एच.एस.सी.सी

HSCC

A Miniratna Co.

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

(एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक)

(भारत सरकार का उद्यम)

35 वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.)

35वीं वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता 31 दिसंबर 2018 को श्री ज्ञानेश पाण्डेय ने की

श्री जगत प्रकाश नड्डा
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण मंत्री

श्री अश्विनी कुमार चौबे
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य–मंत्री

श्रीमती अनुप्रिया पटेल
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य–मंत्री

श्रीमती प्रीति सुदान
माननीय सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

निदेशक मंडल

श्री ज्ञानेश पाण्डेय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती विजया श्रीवास्तव
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री नवदीप रिनवा
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री एस. के. जैन
निदेशक (इंजीरियरिंग)

विषय–सूची

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से 01

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन तथा कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति 03

सेवा वर्णक्रम 04

शेयर धारकों को सूचना 05

कार्य निष्पादन पर एक नजर 07

वित्तीय सारांश 08

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 09

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 25

सचिवालय लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट 31

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट 41

31.03.2017 को तुलन–पत्र 50

31.03.2017 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा 51

31.03.2017 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण 52

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (टिप्पणी संख्या –1) 53

टिप्पणी संख्या 2–19 57

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (टिप्पणी संख्या –20)..... 64

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

प्रिय अंशधारकों,

एचएससीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से, मुझे आपकी कम्पनी की 35वीं वार्षिक आम–सभा बैठक (एजीएम) में आप सभी का स्वागत करते हुये बेहद खुशी हो रही है। आज इस अवसर पर आपके आगमन तथा वर्ष के दौरान कम्पनी को आपके अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन के लिये मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।

वर्ष 2017–18 की डायरेक्टर्स रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा–परीक्षक खाते पहले से ही आपके पास हैं तथा आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ने की आज्ञा चाहूँगा।

उपलब्धियों की समीक्षा

जैसा कि आपने वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, हमने विकास की तर्ज पर तेजी से उन्नति करते हुये कॉरपोरेट रणनीति एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों पर रहकर एक और वर्ष पूरा कर लिया है जो कम्पनी के शानदार वित्तीय परिणाम एवं उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि विशेषरूप से जब अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी और मुद्रास्फीति में अधिकतम गिरावट तथा व्यापार जगत में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद कम्पनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके यह उपलब्धि हासिल की है।

मुझे आपको सूचित करते हुये खुशी हो रही है कि 31 मार्च, 2018 की समाप्ति तक आपकी कम्पनी ने प्रभावोत्पादक कार्य निष्पादन किया है।

मुझे शेयरधारकों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, कुल आय रु. 1612.20 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष में रु. 1619.25 करोड़ थी। कंपनी ने पिछले वर्ष के रु. 79.35 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 96.26 करोड़ का परामर्श शुल्क अर्जित किया, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 21.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो भारत में औसत औद्योगिक विकास से अधिक है।

कम्पनी ने कर पूर्व लाभ रूपये 58.22 करोड़ अर्जित किये गये हैं जो गत वर्ष में रूपये 56.16 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार, कंपनी ने वर्ष 2017–18 के लिए कर–पूर्व लाभों में 3.67 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। कम्पनी ने कर पश्चात लाभ रूपये 37.47 करोड़ रूपये अर्जित किये हैं जो गत वर्ष में रूपये 37.61 करोड़ रूपये थे।

आपके सहयोग द्वारा, आपकी कम्पनी ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसकी बदौलत एचएससीसी भारत में ऊंचाईयों की ओर अग्रसर होकर तेजी बढ़ने वाले पीएसयू का दर्जा हासिल किया है।

मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि कम्पनी ने वर्ष 2017–18 में वर्तमान वर्ष के लाभ से प्रदत्त शेयर पूंजी (पेड–अप कैपिटल) का 624.44% जोकि रुपये 11.28 करोड़ है, का लाभांश घोषित किया है। लाभांश घोषित करने के लिये कम्पनी का यह लगातार 34वां वर्ष है। इस वर्ष के लाभांश का भुगतान करने पर, भारत सरकार को भुगतान किया गया कुल संचयी लाभांश रूपये 79.33 करोड़ होगा जोकि कम्पनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 44 गुणा होगा।

शेयरों की वापस–खरीदी

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति से 25 प्रतिशत पूर्ण तौर पर भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी की वापस–खरीदी को प्रक्रियागत किया था अर्थात रु.100 प्रत्येक के 60,004 इक्विटी शेयरों की वापस–खरीदी जो कि रु.8259 प्रत्येक की कीमत पर थे। कंपनी ने रु. 49.56 करोड़ की राशि वापस–खरीदी प्रक्रियाओं के तहत भारत सरकार को वापस किया है।

मिनी रत्न स्थिति

वर्ष सितंबर 2002 में मिनी रत्न श्रेणी–II के रूप में आंके गये पीएसयू से बदल कर दिनांक 31.12.2015 से एच एस सी सी ने मिनी रत्न श्रेणी–I के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा हासिल कर लिया है।

एमओयू

शीर्ष प्रबंधन लगातार लागत नियंत्रण, संसाधनों और सिस्ट में सुधार के अधिकतम उपयोग करके रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से कारोबार में निरंतर वृद्धि के साथ–साथ कर–पूर्व लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रहा है। कम्पनी ने वर्ष 2016–17 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षर करके समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत '' बहुत अच्छा '' का दर्जा हासिल किया है। इसके अलावा, परिणामों के आधार पर वर्ष 2017–18 के दौरान, कम्पनी को समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के अनुसार '' बहुत अच्छा '' रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

चूंकि कम्पनी की समस्त गतिविधियां स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के क्षेत्रों से जुड़ी हैं अतः अपनी सभी गतिविधियों और कार्यों में परोक्ष रूप से सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, एच एस सी सी ने कुल रु. 144.12 लाख का योगदान कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों में दिया है। कंपनी ने रु. 94.12 लाख की राशि स्वच्छ गंगा निधि में गंगा नदी के नदी विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु योगदान दिया है। एच एस सी सी ने हरियाणा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने साई केन्द्र के लिये 50 लाख रूपये का अंशदान किया है।

विश्व–व्यापी कारोबार

आपकी कम्पनी ने सार्क–समूह के देशों में विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशों में भी व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।

वृद्धि पर दृष्टि

भारत और ओवरसीज देशों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में मूल्य–वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाएं, अन्य बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं में अपनी कोर क्षमता का लाभ एवं अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक बल–वर्द्धक और सक्रिय काम करने का माहौल पैदा करके परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने वाली एक अग्रणी कम्पनी के रूप में जाना जाये।

कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देना।

निगमित प्रशासन

कम्पनी के समस्त प्रदर्शन में व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के क्रम में अपने व्यवहार में पारदर्शिता और देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, जैस : देख–रेख, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जवाबदेही तथा उचित प्रकटीकरण के पहलू।

अभिस्वीकृति

अन्त में, निदेशक मण्डल तथा स्वयं अपनी ओर से, मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा हमारे सभी सम्मानीय हित–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका कम्पनी पर निरन्तर विश्वास बना हुआ हैं तथा जो हमारे प्रेरणा–स्रोत हैं। मैं अपने सभी सम्मानीय शेयर–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका बहुमूल्य समर्थन, मार्ग–दर्शन एवं सहयोग हमें निरन्तर मिलता रहा है और जो सदैव हमारे शक्ति–स्रोत रहे हैं।

मैं कम्पनी के मूल्यवान ग्राहक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़ सरकार, मॉरीशस सरकार, पंजाब तथा हरियाणा सरकार, केरल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा उनके निरन्तर समर्थन और विश्वास के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। कम्पनी का ध्यान हमेशा की तरह ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित रहेगा।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उनके सभी स्तरों पर कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और निरन्तर प्रयासों के लिये सराहना करता हूँ।

आपके द्वारा मुझे दिये गये इस सहयोग और समर्थन के लिये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कम्पनी सफलता की नई बुलंदियों को छुयेगी।

धन्यवाद,

हस्ता./–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान :– नई दिल्ली
तिथि :– 31.12.2018

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन और कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

दृष्टि

'' भारत एवं ओवरसीज देशों में हैल्थकेयर से जुड़ी मूल्य–वर्द्धित, समन्वित एवं नवीनतम सेवाओं को उपलब्ध करवा कर इसके विद्धान संव्यवसायिक कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बल–वर्द्धक एवं कुशलतम कार्य–संस्कृति का निर्माण करने वाली प्रमुख कम्पनी के रूप में जाना जाये।''

लक्ष्य

'' भारत एवं ओवरसीज देशों में भवनों का निर्माण एवं विकास तथा हैल्थकेयर तथा संबंधित अन्य क्षेत्रों में परामर्शदायी संबंधी सेवाओं तथा व्यापक संकल्पना, प्रोजैक्ट परियोजना, वास्तुविद्ध, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण संबंधित कार्यों के विद्धता–पूर्वक ढ़ांचे को उपलब्ध कराना।''

कॉरपोरेट मूल्यांकन

- ग्राहकों की मूल्यवृद्धि पर विशेष ध्यान देना।
- संगठन के अन्दर सृजनशीलता एवं नवीनता को विकसित करना।
- विद्धता संगठन का सर्जन करना।
- टीम–स्प्रीट को अपनाकर हमारे समस्त कार्यकलापों को समर्थ बनाना।

कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर परामर्शी सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहक के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखना ।

सेवा–वर्णक्रम

संकल्पनात्मक अध्ययन एवं प्रबंधन परामर्श

- आधारभूत सर्वेक्षण एवं आर्थिक अध्ययन
- जानपदिक सर्वेक्षण
- प्रणाली योजना
- व्यवहार्यता अध्ययन
- पुनर्संरचना / पुनर्गठन अध्ययन
- मूल्यांकन अध्ययन

प्रापण

- औषधियां एवं दवाईयां
- चिकित्सा उपकरण
- अन्य उपकरण
- संचार प्रणाली
- उपकरण
- फर्नीचर एवं जुड़नार

परियोजना प्रबंधन

- ठेकेदारों के चयन सहित परियोजना योजना तथा कार्य प्रदान करना
- परियोजना मॉनिटरिंग
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- संविदा प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

सूचना तकनीकी प्रणालियां

- स्वास्थ्य एम.आई.एस.
- कार्यप्रणाली समाकलन

सुविधा डिजाइन

- संकल्पनात्मक डिजाइन
- प्रमुख डिजाइन
- वास्तुविद्यात्मक डिजाइन / योजनाएं
- अभियांत्रिक डिजाइन
- उपस्कर योजना
- अपशिष्ट प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

अभियांत्रिक अध्ययन

- नवाचार / पुर्नवास
- आधुनिकीकरण / उन्नयन
- विस्तार
- उत्पादकता / कार्यक्षमता सुधार

लॉजिस्टीक्स एवं स्थापना

- परिवहन
- समाशोधन एवं अग्रेषण
- साईट वितरण
- अधिष्ठापन
- जांचना एवं चालू करना
- प्रशिक्षण

नए क्षेत्र (विविधता)

• इंजीनियरिंग और अनुरक्षण की सुविधाएं
• पशुओं के टीकों के उत्पादन की सुविधाएं
• दवाओं के उत्पादन की सुविधाएं
• विदेशों में मेडिकल पेशेवरों के प्रशिक्षण
• जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विकास
• अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नए विकास की परियोजनाएं

सूचना

यह इसके द्वारा **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निम्न संबंधित गतिविधियों के सम्बन्ध में सोमवार, दोपहर 3.00 बजे, दिसम्बर 31, 2018 को एन बी सी सी भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में कम्पनी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जा रहा है:–**

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और अपनाने के लिए।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करने के लिए:
3. वित्त वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के लेखों के लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

   इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तावों के साथ या इसके बगैर संशोधन एक साधारण संकल्प के रूप में के इसे पारित करने के लिए:

   ''**यह संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतद वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक द्वारा निर्धारित अनुसार पारिश्रमिक को निश्चित करने और निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है, और इसके लिए जैसा भी उचित समझा जाए।''

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के
लिए बोर्ड की ओर से आदेश

हस्ता.
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 दिसंबर, 2018

टिप्पणियां

1. बैठक में भाग लेने और वोट देने के हकदार सदस्य को स्वयं के बजाय वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और यह प्रॉक्सी कंपनी के सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस हेतु नियुक्त प्रनिनिधि या प्रॉक्सी आदेश में लागू होने वाली प्रक्रिया के लिए, बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे से पहले कंपनी द्वारा प्राप्त होना चाहिए (संपत्ति का प्रारूप अनुलग्नक के तौर पर)।

2. कोई व्यक्ति जिसकी आयु पचास (50) वर्ष से अधिक नहीं है, सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, और जिसके पास मतदान का अधिकार हो और वह कुल मिलाकर कंपनी के कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक धारण नहीं करता हो। मतदान का अधिकार रखने के साथ कोई व्यक्ति जिसके पास कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक शेयर का धारण करता हो, वह किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य सदस्य के लिए प्रौक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा। लिमिटेड कंपनियों, सोसायटियों, आदि की ओर से प्रस्तुत प्रॉक्सियों को एक उपयुक्त संकल्प/प्राधिकार द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। बैठक में भाग लेने के दौरान प्रौक्सी धारक अपनी पहचान साबित करेगा।

3. बैठक में कार्यवाही करने के लिए विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार दिए गए कथन/विवरण को एतद् संलग्न किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने कंपनी के भुगतानित इक्विटी शेयर कैपिटल के लाभांश की / 624.44 प्रतिशत की सिफारिश की है, जिसकी राशि रु.11.24 करोड़ है। यह वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदन की शर्त के आधार पर होगा।

5. इक्विटी शेयरों पर लाभांश के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने की रिकार्ड तिथि, यदि यह वार्षिक आम बैठक में घोषित की गई है, वह 28 दिसंबर, 2018 है।

6. उपस्थिति पर्ची और प्रोक्सी फार्म को एतद् संलग्न किया गया है।

7. सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है, और उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा इसकी सामान्य बैठक या इस तरह से तय किया जाना है, जैसा कि सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यह प्रस्तावित है कि सदस्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए विधिवत लेखा परीक्षकों हेतु लागू सेवा कर के अलावा उनके पारिश्रमिक को निर्धारित करने और वास्तविक यात्रा तथा जेब–खर्च की प्रतिपूर्ति तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते हैं।

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के
लिए बोर्ड की ओर से आदेश

हस्ता.
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 दिसंबर, 2018

कार्य निष्पादन पर एक नजर

दिनांक 31.03.2018 को वर्ष की समाप्ति तक एक बार फिर कम्पनी के लेखों की समीक्षा करने पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करते हुए अधिकतम कारोबार 161220 लाख रूपये तथा कर पश्चात लाभ 3747 लाख रूपये हुआ है।

वर्ष 1983 से कम्पनी अपने अस्तित्व में आयी है जिसकी प्रदत्त शेयर पूँजी 40 लाख रूपये के परिणाम स्वरूप 200 लाख रूपये प्रदत्त शेयर पूँजी से बढ़कर बाद में इसने अपनी आरक्षित एवं सरप्लस पूँजी से 240 लाख रूपये के बोनस जारी किये हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति से 25 प्रतिशत पूर्ण तौर पर भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी की वापस–खरीदी को प्रक्रियागत किया था अर्थात रु.100 प्रत्येक के 60,004 इक्विटी शेयरों की वापस–खरीदी जो कि रु. 8259 प्रत्येक की कीमत पर थे। कंपनी ने रु.4955.73 लाख की राशि वापस–खरीदी प्रक्रियाओं के तहत भारत सरकार को वापस किया, जिसके परिणामस्वरूप भुगतानित पूंजी में 180 लाख तक की कमी आई है। दिनांक 31.03.2018 को कम्पनी का नेटवर्थ बढ़कर 17203 लाख रूपये हो गया है।

एचएससीसी के उद्देश्य एवं रणनीति को सकल मूल्य में महत्वपूर्ण तौर पर बढ़ोतरी के लिए डिजाइन किया गया है, जो उच्च राजस्व और मुनाफे के साथ–साथ मजबूत निरंतर निर्बाध नकदी प्रवाह के सृजन को संचालित करता है। इस तरह हम कंपनी के मूल्य में वृद्धि करेंगे, और एक ही समय में एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ–साथ शेयरधारकों हेतु आकर्षक लाभांश भी बनाए रखेंगे।

हम अपने ग्राहकों को गुणवत्ता और समय सीमा दोनों को अपनाकर हैल्थककेयर क्षेत्रों में अपनी सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन, नवीनतम सेवाएं निरंतर प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

(लाख रुपये में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आय	6045	57576	110698	161925	161220
कर पूर्व लाभ	3714	3795	8687	5616	5822
निवल लाभ	3928	2454	5462	3761	3747
निवल मूल्य	**12081**	**13933**	**17422**	**19825**	**17203**
लाभांश	492	492	1638	1128	1124
समझौता ज्ञापन के अधीन कोटि निर्धारण	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा (प्रत्याशित)

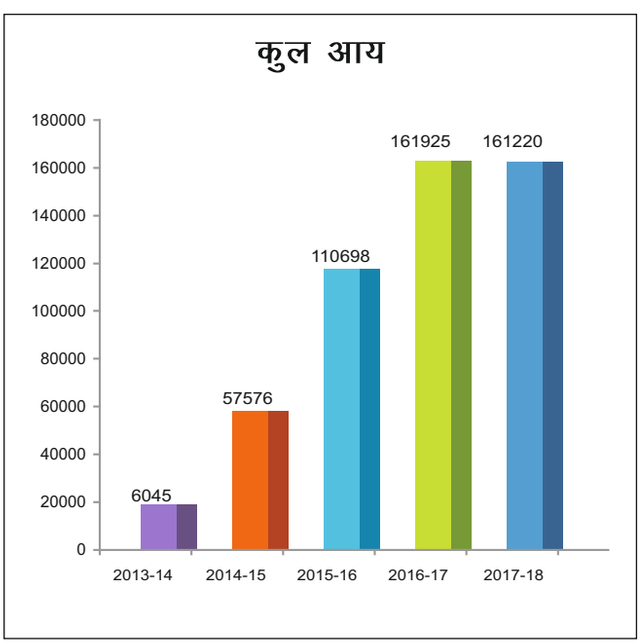

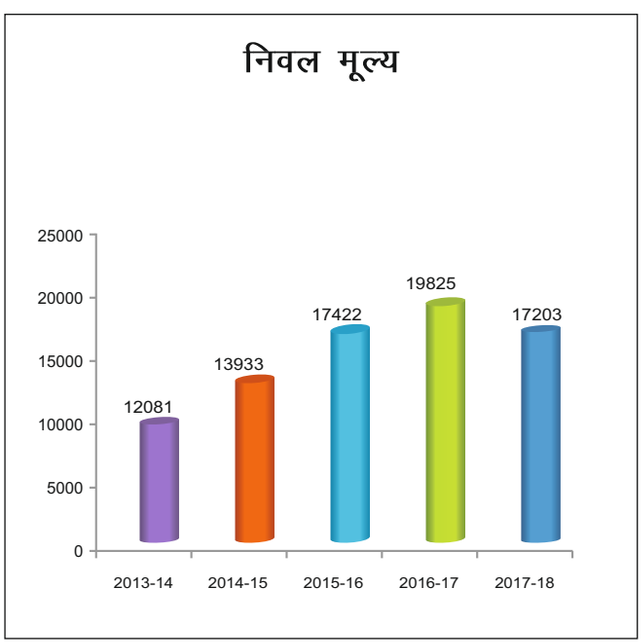

वित्तीय सारांश

इस दशक के वित्तीय परिणामों पर एक नजर

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
वित्तीय निष्पादन										
प्रदत्त पूंजी	240	240	240	240	240	240	240	240	240	180
आरक्षित एवं सरप्लस	6341	6999	7632	8708	10347	11841	13693	17182	19585	17023
निवल मान	6581	7239	7872	8948	10587	12081	13933	17422	19825	17203
कुल स्थायी परिसम्पत्तियां	675	632	615	600	685	693	649	635	707	706
कार्यशील पूंजी	5811	6440	7117	8568	10200	12053	14165	17519	24083	17188
लगाई गई पूंजी	6581	7072	7731	9168	10885	12746	14814	18154	24790	17895
परिचालन आंकड़े										
परामर्श शुल्क	1936	2097	2311	2929	3380	3919	49004	102180	151116	151311
ब्याज और अन्य आय	1337	1218	1034	1529	2455	2126	8572	8518	10809	9910
कुल आय	3273	3315	3346	4458	5835	6045	57576	110698	161925	161220
व्यय	1696	2002	1993	2048	2203	2287	53782	101948	156236	154462
सकल लाभ	1577	1313	1353	2409	3632	3758	3794	8750	5689	900
मूल्यह्रास	44	39	36	58	32	44	69	63	73	78
कर पूर्व लाभ	1533	1274	1317	2352	3600	3714	3725	8687	5616	5822
कर पश्चात लाभ	970	787	830	1472	2257	2398	2384	5462	3761	3747
कराधान हेतु प्रावधान	563	487	487	880	1343	1316	1341	3225	1855	2075
लाभांश	208	173	173	300	468	492	492	1638	1128	1124
जनशक्ति										
कर्मचारी (संख्या में)	139	135	132	124	123	143	153	162	176	184
(नियमित वेतनमानों पर)										
अनुपात										
पी. बी. टी. / कुल आय (%)	47%	38%	39%	53%	62%	61%	6%	8%	3%	4%
शुद्ध लाभ / आय (%)	30%	24%	25%	33%	39%	40%	4%	5%	2%	2%
निवल लाभ / निवल मान	15%	11%	11%	16%	21%	20%	17%	31%	19%	22%
प्रति कर्मचारी अर्जन	24	25	25	36	47	42	376	683	920	876
प्रति कर्मचारी अर्जन (ई.पी.एस.) (रूपये)	404	328	346	613	940	999	993	2276	1567	2081
प्रति–शेयर बुक–वेल्यू (रूपये)	2742	3016	3280	3728	4411	5034	5805	7259	8260	9555

वर्ष 2018–18 के लिये परामर्श शुल्क में 141685 लाख रूपये के समाप्त कार्यों के मूल्य शामिल है और 9626 लाख रूपये का परामर्श शुल्क शामिल है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवामें,

अंशधारकों,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकरण तथा अन्य विवरण

i)	सी.आई.एन.	:	यू 74140 डी. एल. 1983 जी. ओ. आई. 015459
ii)	पंजीकरण तिथि	:	30.03.1983
iii)	कम्पनी का नाम	:	एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
iv)	श्रेणी	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
v)	पंजीकृत कार्यालय	:	205, ईस्ट इण्ड प्लाजा, प्लॉट नम्बर 4, डी.डी.ए.– एल.एस.सी. सेन्टर – II, वसुंधरा इन्क्लेव, दिल्ली – 110096
vi)	कॉरपोरेट कार्यालय	:	ई–6(ए), सैक्टर – 1, नौएडा – 201301
vii)	सूचीबद्ध कम्पनी	:	नहीं

परीक्षित लेखों का विवरण

आपके निदेशकों को कम्पनी के कार्यकलापों और प्रचालन से संबंधित 35वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वित्तीय उपलब्धि

वर्ष 2016–17 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कम्पनी की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार दर्शायी गई है :–

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2017-18	2016-17
सकल आय	1612.20	1619.25
सकल व्यय	1553.84	1563.56
सकल लाभ	58.36	55.69
विशिष्ट एवं असाधारण मद	0.14	(0.47)
कर पूर्व लाभ	58.22	56.16
कराधान (निवल)	20.75	18.55
कर पश्चात लाभ	37.47	37.61
लाभांश	11.24	11.28
निवल मूल्य	172.03	198.25
प्रति–शेयर अर्जित (रूपये)	2081.34	1566.95

पूंजीगत ढांचा (Capital Structure)

वर्ष के दौरान समीक्षा करने पर कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 500 लाख रूपये तक स्थिर रही है।

वर्ष की शुरुआत में कंपनी की चुकता पूंजी 240.01 लाख रुपये थी। वर्ष के दौरान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और निवेश और सरकारी आस्ति प्रबंधन विभाग से अनुमोदन के संदर्भ में, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति से प्रत्येक 8259 रुपये के मूल्य पर 100 रूपये के 60,004 इक्विटी की वापस खरीद की कार्रवाई की। समीक्षाधीन वर्ष के अंत में कंपनी की चुकता पूंजी 180.01 लाख रुपये थी।

लाभांश (Dividend)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कम्पनी के प्रदर्श को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रदत्त शेयरपूंजी पर @624.44% की दर से कम्पनी ने लाभांश के रूप में 11.24 करोड़ रूपये की राशि अनुशंसित की है। यह वार्षिक आम सभा बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इसमें आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिफारिशों के अनुसार 30% पूर्व कर लाभ से लाभांश देने की सिफारिश की है। कंपनी निरंतर 34 वर्षों से लाभांश की घोषणा करती आ रही है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का वर्ष 2017–18 तक संचयी लाभांश 79.33 करोड़ रूपये होगा।

सामान्य आरक्षित निधि का विनियोजन (Appropriation To General Reserve)

लाभांश और आयकर के लिए प्रावधान रखने के बाद निदेशक मण्डल ने लाभ एवं हानि खाते में लिखे शुद्ध लाभ में से 200 लाख रुपये (गत वर्ष 200 लाख रुपये) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की सिफारिश की है। सामान्य रिजर्व से वापस खरीद के प्रयोजनार्थ 60 लाख रुपये का पूंजी मोचन रिजर्व सृजित किया गया था। सरप्लस के अलावा 31.3.2018 तक संचयी सामान्य आरक्षित निधि 170.23 करोड़ रुपये (गत वर्ष 195.85 करोड़ रूपये) हो गयी है।

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से निधि

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देनदारियों के विभिन्न मदों के तहत मानी गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :–

	मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से	**31.03.2018 के अनुसार**	**31.03.2017 के अनुसार**
क.	**वर्तमान परिसम्पत्तियां** (Current Assets)	**रूपये करोड़ में**	**रूपये करोड़ में**
	– नकद एवं नकद समकक्ष	2083.22	1424.80
	– अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	273.91	195.43
	– अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	352.29	383.45
		2709.42	**2003.68**
ख.	**वर्तमान देनदारियां (Current Liabilities)**		
	– अन्य वर्तमान देनदारियां	**2709.42**	**2003.68**

निष्पादन विशेषताएं (Performance Highlights)

कम्पनी अपने समस्त कार्यकलापों एवं गतिविधियों में निरन्तर प्रगति कर रही है। अपनी सेवाओं को विस्तृत करने हेतु कम्पनी द्वारा विभिन्न कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न तकनीकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिये तकनीकी क्षेत्रों में उच्च डिग्री प्राप्त कुछेक विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जा रही हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान, कम्पनी को कुछेक प्रतिष्ठित एवं चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तथा साथ ही डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन तथा चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों एवं औषधि इत्यादि का भी काम मिला।

वर्ष 2017–18 के दौरान, एचएससीसी ने 1612.20 करोड़ रूपये के कुल कारोबार पर 172.03 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है।

एचएससीसी इस समय जिन प्रमुख परियोजनाओं में अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसकी सूची **अनुलग्नक – I** दर्शायी गई है।

समझौता – ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

कम्पनी पिछले एक दशक से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (डव्) पर हस्ताक्षर करती आ रही है। कम्पनी को अच्छे परिणामों के लिए वर्ष 2016–17 हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा '' बहुत अच्छा '' आंका गया है तथा वर्ष 2017–18 के दौरान इसे **''बहुत अच्छा ''** किये जाने की प्रत्याशा है।

रणनीतिक विनिवेश (Strategic Disinvestment)

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कम्पनी समान रूप से सीपीएसई (CPSE) के साथ विनिवेश रणनीति प्रक्रिया में लगी है। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड – एनबीसीसी को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के 100% रणनीतिक विनिवेश के लिये खरीददार के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एनबीसीसी को निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा पत्र जारी किया गया है :–

1. भारत सरकार की मौजूदा 100% पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी एचएससीसी की बिक्री के प्रबंधन के हस्तांतरण के साथ–साथ एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत भारतीय रूपये 285 करोड़ रूपये की मूल्य बोली की स्वीकृति की गई है।

2. अंतिम साझा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अधिकृत किया गया है।

3. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को छूट, बोली लगाने वाले के सरकारी कम्पनी ख्कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत सुरक्षा क्लीयरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से उच्चतर बोली लगाने वाले को मिलेगी।,

4. उपर्युक्त निर्णय के मददेनजर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध है कि वह मैसर्स एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को निर्देश जारी करे कि वह हस्तक्षेप के समय में एनबीसीसी की सहमति लें; जब तक एचएससीसी का प्रबंधन नियंत्रण कम्पनी के परिचालन और वित्तीय परिचालनों को प्रभावित करने वाले निर्णय के संबंध में एनबीसीसी को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

दिनांक 06.11.2018 को शेयरों की खरीद के लिये सहमति हस्ताक्षरित की गई है। अन्य आवश्यक गतिविधियाँ प्रक्रिया में हैं।

शेयरों की पूर्व खरीदारी (Buy Back of Shares)

निवेश और सरकारी आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति से 25% पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी अर्थात प्रत्येक 8259 रूपये के मूल्य पर प्रत्येक 100 रूपये के 60,004 इक्विटी की वापस खरीद की कार्रवाई की। कंपनी ने वापस खरीद की प्राप्तियों के लिए भारत सरकार को 4955.73 लाख रुपये को मोचन किया।

ऊर्जा, प्रोद्योगिकी के विस्तार और विदेश में प्रवेश और बाहर निकलने की अवधारणा

कम्पनी के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक है और यह पहलू प्राकृतिक प्रकाश और प्रकाश और एलईडी प्रतिष्ठानों के अधिकतम उपयोग की वकालत करके अपने ग्राहकों के साथ सहसंबंध में सावधानी बरतता है। कम्पनी ने किसी भी तकनीक का आयात नहीं किया है और समीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा या (आउट–गो) निर्गमन का विवरण निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

	2017–18	2016–17
क. खर्चे (Expenditure)		
– यात्रा	0.12	0.06
– सी.आई.एफ. पूंजीगत माल पर आयात (ग्राहकों की ओर से)	75.86	25.36
ख. आय (Income)	शून्य	शून्य

मानव संसाधन (Human Resources)

एचएससीसी कौशल प्राप्त कम्पनी है तथा जनशक्ति ही इसकी वास्तविक ताकत है किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी, सक्षम पेशेवरों का दल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए, कंपनी ने अपने मानव संसाधनों के विकास पर फोकस किया है। सभी स्तरों के कर्मचारियों को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था कि उनके ज्ञान और कौशल का निरंतर उन्नयन किया जाए। 31 मार्च, 2018 तक, कंपनी के पास 60 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों और शारीरिक विकलांग श्रेणी के 3 कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान पर 184 कर्मचारी और निर्धारित कार्यकाल आधार पर 134 कर्मचारी हैं। वर्षभर कर्मचारी प्रबंधन संबंध उत्कृष्ट रहा।

कल्याण कार्यक्रम (Welfare Activities)

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिये विभिन्न सामाजिक लाभ मुहैया कराती है।

राजभाषा का अनुपालन एवं कार्यान्वयन (Implementation And Promotion of Official Language)

एचएससीसी में वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में राजभाषा अधिनियम तथा इन नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के सक्रिय प्रयास जारी हैं। कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान संबंधी जानकारी हेतु प्रेरित किया जाता है। सभी मानक प्रपत्र, फाईल आदि द्विभाषी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। हिन्दी में टिप्पण, प्रारूपण और पत्राचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हिन्दी में उत्साहवर्धक काम करने के उद्देश्य से कम्पनी में 11.09.2017 से 24.09.2017 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया है, जिसके दौरान हिन्दी पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, कम्पनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा इकाई के सदस्य भी है, जिसके तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, संगोष्ठियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व भी करती है।

सतर्कता (Vigilance)

चूंकि कंपनी, पीएसयू के समूह 'ग' श्रेणी में एक परामर्शदात्री संगठन है, कंपनी में पूर्णकालिक सतर्कता अधिकारी (वीओ) नहीं है। श्री आर.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक– परियोजना (इलेक्ट्रिकल) 14.11.14 से सतर्कता अधिकारी (वीओ) अंशकालिक का काम कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता प्रकोष्ठ एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। सतर्कता आयोग से समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा संबंधित निवारक उपायों को अपनाया जाता है तथा वार्षिक रिपोर्ट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट निजी विदेशी दौरे मासिक रिपोर्ट तथा सीटीई संबंधित जानकारी एजेंसी को समय पर दे दी जाती है। वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अग्रेषित सुधार हेतु उनकी समीक्षा की जाती है तथा कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों में उच्चतम नैतिकता बनाये रखने के लिये कम्पनी में 29 अक्टूबर 2017 से 3 नवंबर 2017 के दौरान **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** मनाया गया है। यहां पहले दिन ही कर्मचारियों द्वारा **शपथ गृहण समारोह** का आयोजन किया गया।

जमा (Deposits)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और दिनांक 31.03.2018 की समाप्ति तक कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था।

ऋण, गारंटी और निवेश (Loan, Guarantees and Investments)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान के तहत कवर किये गये किसी भी ऋण, गारंटी और निवेश के लिये कम्पनी ने प्रदान नहीं किया है।

सहायक, संयुक्त उपक्रम और सहायक कम्पनियाँ (Subsidiaries, Joint Ventures and Associate Companies)

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कम्पनी नहीं है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और तर्क (Contracts and Arrangements with Related Parties)

समीक्षा अवधि के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है।

कर्मचारियों का ब्यौरा (Particulars of Employees)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा प्रकट किया जाता है। कंपनी नियमावली, 1975 के सह–पठित, (समय–समय पर संशोधित), कम्पनी के कर्मचारियों में से काई भी प्रतिवर्ष 102 लाख रूपये या 8.5 लाख रूपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक प्राप्ति से अधिक नहीं था।

जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

कम्पनी के प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं के प्रबंधन और निगरानी के लिये कम्पनी की अपनी जोखिम प्रबंधन नीति है जो कम्पनी के कामकाज को प्रभावित कर सकती है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रक (Internal Financial Control)

कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अपने व्यवसाय की प्रकृति और संचालन के आकार और जटिलता के अनुरूप हैं। कम्पनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee)

कम्पनी ने बोर्ड सदस्यों के साथ ऑडिट कमिटी कागठन किया हुआ है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा स्वीकार गई सिफारिशें की बोर्ड द्वारा स्वीकृत हैं।

पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee)

कम्पनी ने बोर्ड के सदस्यों की पारिश्रमिक समिति का गठन किया हुआ है।

औद्योगिक संबंध (Industrial Relations)

वर्ष के दौरान, सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाये रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल या श्रम की अशांति के कारण मानव दिनों का कोई नुकसान नहीं हुआ था।

निगमित शासन (Corporate Governance)

आपकी कम्पनी में स्वस्थ निगमित शासन को बनाये रखने के लिए पारदर्शिता, अखण्डता, व्यवसायिकता तथा जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निगमित शासन प्रणाली के मार्गदर्शी, सिद्धातानुसार, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को सूचित करते हुए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दी जाती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग जारी निगमित (अभि) शासन हेतु दिशा–निर्देशों के अनुसार, एक ''कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट'' तथा एक ''प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट'' क्रमशः अनुलग्नक–II और III में दी गई है।

निदेशकों के बोर्ड की संख्या (Number of Meeting of Board of Directors)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, बोर्ड की चार बार बैठक हुई और कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के निर्धारित समय सीमा के भीतर बोर्ड की बैठक आयोजित की।

निदेशक मंडल (Board of Directors)

निदेशकों की नियुक्ति आदि पर नीति Policy on Directors Appointment etc. : एच एस सी सी चूँकि एक सरकारी कम्पनी है, अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान कारपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के मददेनजर लागू नहीं होंगे।

निष्पादन मूल्यांकन Performance Evaluation : एच एस सी सी चूँकि एक सरकारी कम्पनी है, अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान कारपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के मददेनजर लागू नहीं होंगे।

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात् कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक नामित / नियुक्त किये गये हैं :–

सुश्री प्रीति पंत – 23.04.2018 से आगे
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात निम्नलिखित निदेशक कार्यालय छोड़ कर गये हैं :–

श्री नवदीप रिनवा – 16.01.2017 से 23.04.2018 तक
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री एस के जैन – 16.04.2013 से 16.04.2018 तक
निदेशक (इंजीनियरिंग)

(ग) वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के समीक्षाधीन अवधि में कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक थे :–

श्री ज्ञानेश पाण्डेय – 26.07.2012 से आगे
सीएमडी, एच एस सी सी

श्रीमती विजया श्रीवास्तव – 19.02.2015 से आगे
एसएस एंड एफए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सुश्री प्रीति पंत – 23.04.2018 से आगे
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण (Directors' Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा आपके निदेशकों की रिपोर्ट निम्नलिखित दी गई है :–

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है।
- कम्पनी में वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू मानक लेखों को अपनाया गया है। कम्नी द्वारा अपनायी गयी लेखाकार नीतियों का लगातार अनुपालन किया जा रहा है, क्योंकि यह वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी की सत्य तथा स्पष्ट छवि एवं उस अवधि में कम्पनी के लाभ अथवा हानि को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए लेखा रिकार्डों का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- वार्षिक लेखों को निरन्तरता आधार पर तैयार किया गया है।
- निदेशकों द्वारा लागू किये गये सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित सिस्टम तैयार की गई है तथा इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढ़ंग से काम कर रही है।

निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर आवश्यक राशि के तहत 1.44 करोड़ रूपये (गत अवधि के लिए 0.23 करोड़ रुपये सहित) (गत अवधि के लिए 1.91 करोड़ रुपये) अर्थात; वित्तीय वर्षों के गत तीन वर्षों का अनुमानित 2% अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 1.21 करोड़ रूपये (गत वर्ष 1.08 करोड़ रूपये) खर्च किये हैं।

कंपनी के पास कोई सीएसआर फंड अकाउंट सुरक्षित नहीं है।

आंतरिक लेखा परीक्षक (Internal Auditors)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के समवर्ती एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार को 2,40,000/– रूपये किराया तथा लागू सेवा–कर सहित शुल्क राशि पर नियुक्त किया गया है। यह उनकी नियुक्ति का प्रथम वर्ष है।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditors)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मैसर्स एल.सी. कैलाश एण्ड एसोसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। इसके लिए उन्हें वर्ष 2017–18 वित्तीय वर्ष के लिए 10,00,000/– रूपये (दस लाख रूपये मात्र) प्रदत्त पारिश्रमिक दिया जा रहा है जिसमें कर अतिरिक्त है। यह उनकी नियुक्ति का तीसरा वर्ष है।

सांविधिक ऑडिट (Statutory Audit)

सांविधिक लेखाकार की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी सचिव मैसर्स प्रवीण रस्तोगी एंड कंपनी की रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के परिशिष्ट के अनुलग्नक–IV में संलग्न है।

लागत लेखांकन (Cost Audit)

जैसा कि कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के तहत निर्धारित है, आपकी कंपनी में लागत लेखांकन रिकार्ड लागू नहीं होते हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों के लिये प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक–V में निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में रखे गये हैं।

सी.ए.जी. (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक – CAG) की टिप्पणियॉ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण (Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Workplace)

कंपनी ने बोर्ड की अगली बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध, प्रतिषेध और निवारण संबंधी एक नीति अनुमोदनार्थ रखने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, वर्ष 2017–18 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली थी।

सामान्य (General)

निदेशकों ने कहा कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्ष के तहत इन वस्तुओं पर कोई लेन–देन नहीं किया गया था :–

1. किसी भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं किया है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद यह वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट की तारीख से संबंधित है।
2. कंपनी समय–समय पर आई.सी.एस.आई. द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

अभिस्वीकृति (Acknowledgment)

कम्पनी के निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के आभारी हैं जिनसे निरन्तर सहायता एवं सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कम्पनी के निदेशक, लोक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष एवं ऑडिट बोर्ड के सदस्य, सांविधिक लेखाकारों, आंतरिक लेखाकारों तथा कंपनी के बैंकरों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

कम्पनी के निदेशक अपने सम्मानित बैंकरों तथा अन्य संगठनों सहित व्यक्ति विशेष का आभार व्यक्त करते हैं जिन्का उन्हें निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है।

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर निष्ठा–पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समर्पित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कम्पनी श्रेष्ठ एवं निरंतर वृद्धि कर रही है।

निदेशक मण्डल के लिए
और उनकी ओर से

हस्ता./–
ज्ञानेश पाण्डेय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 03555957

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.12.2018

अनुलग्नक – I

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

वर्तमान में चल रही परामर्शदायी परियोजनाओं का विवरण

क. वास्तुशिल्पीय योजना, डिजाइन इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन सेवायें

एनसीआई, झज्जर

- निम्हास (NIMHANS) बैंगलूरू में अति–विशिष्ठ मनोचिकित्सक ब्लॉक तथा कॉमन लेबोरेट्री कम्पलैक्स का निर्माण
- शिलीगुड़ी में ई.एस.आई.सी. हेतु 100 बिस्तरों वाला अस्पताल
- मॉरिशस में ई.एन.टी. अस्पताल
- पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेतु द्वारका एवं तुगलकाबाद में हाउसिंग तथा गेस्ट–हाउस
- पटना में नाईट–शैल्टर तथा पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेतु गोवहाटी मेडिकल कॉलेज
- सी.डी.एस.सी.ओ. (CDSCO) – बद्दी में गेस्ट हाऊस
- एम्स (AIIMS) बर्न एवं प्लास्ट वार्ड
- डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली तथा पी.जी.आई.एम.ई.आर. (PGIMER) हेतु रिहायसी डास्टरों के लिये हॉस्टल ब्लॉक का निर्माण
- एम्स (AIIMS) कैम्पस, मस्जिद मौठ, नई दिल्ली में जराचिकित्सा (Geriatrics) ब्लॉक का निर्माण
- एम्स (AIIMS) नई दिल्ली में नया पेड–वार्ड
- एम्स (AIIMS) नई दिल्ली में होस्टल ब्लॉक
- एम्स (AIIMS) नई दिल्ली में मातृ एवं शिशु ब्लॉक
- एम्स (AIIMS) नई दिल्ली में नया ओ.पी.डी. ब्लॉक
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) का सेटेलाईट सेंटर, संगरूर ;ओ.पी.डी. तथा मुख्य कार्यद्ध
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (N R H M) – छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला तथा हिमाचल प्रदेश

एम्स मदर एण्ड चाईल्ड ब्लॉक, नई दिल्ली

एमकेसीजी मेडिकल कालेज, बहरामपुर

सी एन सी आई, कोलकता

- आई.आई.टी. खड़गपुर हेतु 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (फेस I – 400 बिस्तर)
- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, कोलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय (K M C) कोलकत्ता हेतु अति–विशिष्ट ब्लॉक, ओ.पी.डी. एवं शैक्षिक ब्लॉक का निर्माण
- एल.जी.बी.आर.आई.एम.एच. (L G B R I M H) तेजपुर का उन्नयन (मेन बिल्डिंग)
- क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (R I M S) इम्फाल में यू.जी. सीटों को 100 से 150 में बढ़ाने के लिये कार्यान्वयन
- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत उन्नयन परियोजनाएं, फेस – III
  - रीवा – बहरामपुर – उदयपुर
  - ग्वालियर – पटियाला – बीकानेर
  - जबलपुर – बुरला – औरंगाबाद
  - विजयवाड़ा – डिब्रुगढ़ – झांसी
  - कोटा – गुवाहाटी – शिमला
  - इलाहाबाद – लातूर – पणजी (गोवा)
  - दार्जिलिंग

शासकीय मेडिकल कॉलेज–गोवा – पी.एम.एस.एस.वाई. फेज–III

- नागपुर, कल्याणी तथा गुँटूर में नया एम्स (AIIMS)
- मिजोरम चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, फालकॉन, मिजोरम (AIIMS)
- लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (LGBRIMH), तेजपुर, असम
- पाली, राजस्थान में 100 इन्टेक मेडिकल कॉलेज
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबंधित अस्पतालों का पुनर्विकास, नई दिल्ली
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबंधित अस्पतालों का व्यापक पुनर्विकास, नई दिल्ली

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएं

- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अति–विशिष्ट तथा आपातकालीन ब्लॉक हेतु चिकित्सा उपकरण
- कल्पना चावला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल, हरियाणा हेतु चिकित्सा उपकरण
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) सरिता विहार के लिए उपकरणों की खरीद
- एम्स रायबरेली के लिए चिकित्सा उपकरण – अस्थाई ओपीडी ब्लॉक
- एलजीबी क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, असम, तेजपुर के लिए उपकरणों का प्रापण

एम्स गुंटूर

अनुलग्नक - II

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

कारपोरेट शासन रिपोर्ट

कम्पनी सिद्धांत

एक अच्छी कारपोरेट शासन नीति किसी भी कम्पनी के सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो शेयरधारकों के मूल्यों व मैनेजमैंट में पारदर्शिता, नीति परख, जवाबदेही तथा साफ–सुथरे परिणामों को दर्शाने में ध्यान देते है। मैंनेमेंट का यह दायित्व होता है कि वह विर्निदिष्ट मामलों में जहां तक संभव हो विस्तृत रुप से तथ्यों को उपलब्ध करवाये।

क. अन्य कम्पनियों में बोर्ड के निदेशकों की श्रेणी सहित बोर्ड के निदेशकों का गठन

दिनांक 31.03.2018 से कम्पनी के बोर्ड निदेशकों में दो पूर्ण–कालिक तथा दो अंश–कालिक शासकीय निदेशक कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :–

निदेशक	पूर्ण–कालिक / अंश–कालिक	अन्य कंपनियों के बोर्ड के सदस्य
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	पूर्ण–कालिक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	– शून्य –
श्री एस. के. जैन	निदेशक (इंजीनियरिंग)	– शून्य –
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक	– एच एल एल लाइफकेयर लि. – एच एल एल बायोटैक लि. – एच एल एल इन्फ्राटेक सर्विसेस लि.
श्री नवदीप रिनवा	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक	– शून्य –

ख. कार्यकाल (Tenure)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि से और उनकी अधिवर्षिता (Superannuation) की तिथि तक 5 वर्षों की होगी, या भारत सरकार की ओर से अगले आदेशकों तक, और जो भी घटनाक्रम से पहले आदेश प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नामित सदस्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अलग होने की स्थिति में उनके बोर्ड की सदस्यता रद्द मानी जायेगी या भारत सरकार का अगला आदेश जो भी हो।

अंश–कालिक, अ–शासकीय निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार की ओर से तीन वर्ष की अवधि तक की होगी।

ग. बोर्ड बैठकें (Board Meetings)

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें (149वीं से 152वीं) 12.07.2017, 25.09.2017, 30.11.2017 और 27.03.2018 को आयोजित की गईं।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meetings and Attendance)

निदेशक	कार्यकाल के दौरान बोर्ड की कितनी बैठकें आयोजित की गई	उपस्थिति	पिछली वार्षिक सामान्य बैठकों में उपस्थिति
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	4	4	हां
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	4	3	नहीं
श्री नवदीप रिनवा	4	4	हां
श्री एस. के. जैन	4	4	हां

घ. सामान्य निकाय बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठक (Annual General Meeting)

गत 3 (तीन) वार्षिक सामान्य बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई हैं : –

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2016–17	13.12.2017	शाम 05:00 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 249, '' ए '' विंग, दूसरी मंजिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2015–16	29.11.2016	दोपहर 12:00 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 155, '' ए '' विंग, पहली मंजिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2014–15	02.11.2015	दोपहर 12:30 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 155, '' ए '' विंग, पहली मंजिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

ङ. निदेशकों की शेयर–होल्डींग का प्रतिरूप

31.03.2018 के अनुसार कुल 1,80,01,400 इक्विटी शेयर पूंजी में से (100 प्रति शेयर के 1,80,01,400 इक्विटी शेयर) है।

निदेशक	एच एस सी सी के शेयरों की संख्या
श्री ज्ञानेश पाण्डेय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6
श्री नवदीप रिनवा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6
श्रीमती विजया श्रीवास्तव, एस.एस. एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6
श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	6

इसके अतिरिक्त, इन शेयरों का आधिपत्य भारत के राष्ट्रपति की ओर से है।

च. शेयरधारक शिकायत निवारण समिति

यह कम्पनी पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है तथा (जिसके शेयर पंजीकृत नहीं हैं), इसके शेयर महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों के पूर्णतया स्वामित्व में है, इसलिए कम्पनी ने कोई शेयरधारक शिकायत निवारण समिति गठित नहीं की है।

छ. ऑडिट समिति (Audit Committee)

ऑडिट समिति (Audit Committee) की संरचना निम्नवत दी गई है :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव, { विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – अध्यक्ष
2. श्री नवदीप रिनवा, { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – सदस्य
3. श्री एस. के जैन, { निदेशक (इंजीनियरिंग), एचएससीसी } – सदस्य

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान ऑडिट समिति की (14वीं से 17वीं) चार बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में दिनांक 12.05.2017, 25.09.2017, 30.11.2017 तथा 27.03.2018 को आयोजित की गई है।

दिनांक 23.04.2018 के मंत्रालय के पत्र के अनुसार श्रीमति प्रीति पंत, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्थान पर श्री नवदीप रिनवा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। इसके अलावा, श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग) को 16.04.2018 को उनका कार्यकाल पूरा होने पर कार्यमुक्त किया गया है। दिनांक 12.06.2018 को आयोजित बोर्ड की 153वीं बोर्ड बैठक में नई ऑडिट समिति का गठन हुआ है। नई ऑडिट समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव – अध्यक्ष
   { विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
2. सुश्री प्रीति पंत, – सदस्य
   { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
3. श्री ज्ञानेश पाण्डेय, { सीएमडी, एचएससीसी } – सदस्य

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई ऑडिट बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	4	4
श्री नवदीप रिनवा	4	4
श्री एस. के. जैन	4	4

ज. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति
(Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee)

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति (Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव, – अध्यक्ष
   { विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
2. श्री नवदीप रिनवा { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – सदस्य
3. श्री एस. के. जैन { निदेशक (इंजी.), एचएससीसी } – सदस्य

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति की एक बैठक (छठी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में दिनांक 26.10.2017 को आयोजित की गई है।

दिनांक 23.04.2018 के मंत्रालय के पत्र के अनुसार श्रीमती प्रीति पंत, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्थान पर श्री नवदीप रिनवा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। इसके अलावा, श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग) को 16.04.2018 को उनका कार्यकाल पूरा होने पर कार्यमुक्त किया गया है। दिनांक 12.06.2018 को आयोजित बोर्ड की 153वीं बोर्ड बैठक में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति का पुनर्गठन किया गया। कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के नए सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव, { विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – अध्यक्ष
2 श्रीमती प्रीति पंत { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – सदस्य
3 श्री ज्ञानेश पाण्डेय { सीएमडी, एचएससीसी } – सदस्य

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई परिश्रमिक समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	1	1
श्री नवदीप रिनवा	1	1
श्री एस. के. जैन	1	1

पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

1 श्रीमति विजया श्रीवास्तव (विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) – सदस्य
2 श्री नवदीप रिनवा (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) – सदस्य

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान, पारिश्रमिक समिति की दो (पांचवीं एवं छठी) बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में दिनांक 27.03.2018 को आयोजित की गई है।

दिनांक 23.04.2018 के मंत्रालय के पत्र के अनुसार श्रीमती प्रीति पंत, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्थान पर श्री नवदीप रिनवा (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) को सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। दिनांक 12.06.2018 को आयोजित बोर्ड की 153वीं बैठक में नई पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन हुआ है। पारिश्रमिक समिति के नए सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

1 श्रीमती विजया श्रीवास्तव (विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) – अध्यक्ष

2 श्रीमती प्रीति पंत (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) – सदस्य

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई ऑडिट बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	2	2
श्री नवदीप रिनवा	2	2

3 निदेशकों का पारिश्रमिक

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नियुक्त कम्पनी के कार्यवाहक निदेशकों एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित की नियुक्ति के समय सरकार द्वारा जारी निबंधनों और शर्तों में उल्लिखित वेतनों को पहले ही सरकार द्वारा निश्चित किया गया है, उसी के अनुसार औद्योगिक वेतन महंगाई भत्ता (आई डी ए) दिया जाता है। कम्पनी नियमों के तहत भत्ते एवं अनुलब्धियां दी जाती हैं।

कम्पनी के अंश–कालिक निदेशकों को उनके बोर्ड निदेशक खाते से काई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता लेकिन शासकीय कार्यकारी होने के लिए सरकार से उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

अंश–कालिक अशासकीय निदेशक कम्पनी से कोई बैठक भत्ता नहीं लेते हैं, अप्रैल, 2015 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किये गये पारिश्रमिक अनुसार कम्पनी के अंश–कालिक अशासकीय निदेशकों को कम्पनी की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति हेतु 5,000/– रूपये बैठक फीस दी जाती रही है।

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने किसी भी अ–शासकीय अंश–कालिक निदेशकों को कोई भी बैठक शुल्क भुगतान नहीं किया है।

झ. प्रकटीकरण

पूरी अवधि के दौरान, कम्पनी की पार्टियों के साथ लेन–देन एवं व्यापार के संदर्भ में कोई विरोधाभाष नहीं जो कम्पनी के निदेशकों तथा प्रबंधन को प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त, कंपनी की अन्य कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

अनुलग्नक - III

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग की संरचना एवं विकास

एच एस सी सी की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में मार्च, 1983 में की गई थी जिसका प्रशासनिक नियंत्रण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। प्रत्येक 8259 रुपये की दर से प्रत्येक 100/– रूपये के 60,004 इक्विटी शेयरों की वापस खरीद (कुल वापस खरीद– 4955.73 लाख रुपये) के परिणामस्वरूप, कंपनी की शेयर पूंजी 180 लाख रु. और निवल आय 17203 लाख रू. है। कम्पनी की स्थापना के बाद से अब तक कम्पनी ने अपना पूरा कारोबार बिना किसी सरकारी मदद या अन्य किसी स्रोत से किया है। सितम्बर, 1999 में एच एस सी सी को '' मिनी रत्न '' कम्पनी घोषित किया गया है तथा दिसम्बर 2015 में 'मिनी रत्न–श्रेणी–I कंपनी का दर्जा हासिल किया है।

एच एस सी सी कम्पनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शदायी कार्य जैसे अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं अनुवीक्षण सहित, चिकित्सा उपकरणों का प्रापण, स्थापना एवं कमीशनिंग इत्यादि कार्य करती है।

एच एस सी सी ने परियोजनाओं के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ग्राहक की मांग के अनुरूप कम एवं लागत प्रभावी और विशेषज्ञता से ओत–प्रोत अच्छा संयोजन प्रदान करती है। एच एस सी सी ने प्रमुख हैल्थ–केयर परियोजनाएं जिसमें विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्रयोगशालाओं इत्यादि को ना केवल भारत में अपितु विदेशों में सफलतापूर्वक पूरा किया है। कम्पनी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन अध्ययन और प्रशिक्षण, भर्ती आदि गतिविधियों में विविधता पूर्वक निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

एचएससीसी वर्षों से हैल्थ–केयर के क्षेत्रों में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान वाले एक अग्रणी संगठन के रूप में विकसित है। वर्तमान में कम्पनी का ध्यान समूचे भारत में मौजूदा निष्पादन कार्यों पर लगा है किन्तु अभी उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने में लगी

शक्ति :

- अस्तित्व में आने से अब तक डेबिट मुक्त एवं लाभ प्राप्त करने वाली कम्पनी
- भारत सरकार का समर्थन और सहायता
- एक ही छत के नीचे परामर्शदायी सेवाओं के विभिन्न आयाम
- बहुपार्श्व धन एवं अतंर्राष्ट्रीय अन्य एजेंसियो के साथ व्यापक अनुभव
- मजबूत क्षमता के साथ जटिल एवं बड़ी परियोजनाओं को संभालने का अनुभव
- परियोजनाओं की गुणवत्ता और उन्हें समय पर पूरा करने के माध्यम से संगठन प्रदर्शन
- योग्य एवं समर्पित तथा अद्भुत कार्य–शक्ति

कमजोरी :

- निजी कामगारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है
- शाखा संघर्षण असमर्थता
- ज्यादातर कारोबार / व्यापार सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के साथ होता है
- व्यापार के समर्थन का आश्वासन राजस्व मॉडल एक बार की बजाय परियोजनाओं के लगातार राजस्व संबंधी आवर्ती सेवाओं पर आधारित है
- विशेष विक्रेताओं / एजेंसियों की सीमित संख्या

अवसर :

- देश अस्पतालों, बिस्तरों, डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ की संख्या के मामले में पिछड़ रहा है
- वर्तमान अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन
- सार्क देशों में व्यापार का विस्तार
- भवन निर्माण में इंजीनियरिंग एवं रख–रखाव सेवाओं में विविधीकरण संबंधी अन्य सेवाएं
- बुनियादी स्वास्थ्य सेवा (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में) आधारभूत ढ़ांचे के मांग में बढ़ोतरी करना
- अस्पतालों के लिये अवसर प्रदान करना और सरकारी अस्पताल गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग करना
- आधारभूत वास्तुकला, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन का आधारभूत कार्य तथा प्रापण गतिविधियों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कौशल विकसित करना

जोखिम :

- व्यापारिक परियोजनाओं को उत्तर–पूर्व की ओर स्थानान्तरित करने / उनके पूरा होने, दीर्घ–कालीन धन की अनुपलब्धता के कारण कारोबार का लम्बे समय के लिये प्रसार ना हो पाना
- तेजी से निजी क्षेत्र में बढ़ते परिचालन के परिदृश्य में अनुभवी कर्मियों की उदासीनता
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / उपक्रमों से ली जाने वाली सहायता नीति में बदलाव करके परामर्शी सेवाओं के लिये वैकल्पिक स्रोत के रूप में निजी क्षेत्र से आमंत्रित समर्थन
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगियों की एक बड़ी संख्या के साथ खंडित बाजार
- बुनियादी ढ़ांचे में तेजी से आये उछाल के कारण बड़ी संख्या में अनुभव–प्राप्त कामगारों की वजह से मूलभूत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कौशल द्वारा वस्तु–विकरण बढाना
- नियंत्रण से परे कारणों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को रोकना पड़ा
- सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों (PSUs) / फर्मों के बीच प्रतियोगिता व्यापार परियोजनाओं और गैर संबंधित विविधीकरण के लिये उनके द्वारा नामांकन के लिये नुकसान का कारण बनता है
- प्रापण परियोजनाओं के लिये शुल्क की कमी और बड़े सूक्ष्म छोटे कार्य में व्यापार के प्रस्ताव में अग्रणी हानि समनुदेशनों की कमी है

दृष्टिकोण (Outlook)

एच एस सी सी एक बहु–आयामी अनुशासनिक विविध सेवाओं जैसे इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन से ओत–प्रोत कम्पनी है। यह कम्पनी स्वास्थ्य देख–भाल एवं अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में परामर्श प्रबंधन और प्रापण प्रबंधन सेवा के लिये प्रसिद्ध है। कम्पनी की सेवा–वर्णक्रम सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सूचना तकनीकी और चिकित्सा सेवाओं में सहायक क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन एवं इजीनियरिंग, विस्तृत निविदा दस्तावेज, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, खरीद समर्थन सेवाओं को शामिल किया। इसके महत्वपूर्ण ग्राहकों में शामिल हैं :–

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके अस्पताल / संस्थान
- विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकार तथा उनके अस्पताल / संस्थान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम / अन्य संस्थान

कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देनी पड़ती है।

जोखिम एवं चिंताएं

कम्पनी के प्रमुख जोखिम एवं चिंताओं में संबंधित मंत्रालय द्वारा न्यूनीकृत प्रापण समनुदेशन कार्य तथा वर्तमान परिदृश्य में सिविल कार्यों में से कुछ में लगातार कम / परामर्श शुल्क में कमी के कारण रही है।

सूचना तकनीकी संबंधित पहल

- इंटरनेट कनेक्शन कॉरपोरेट कार्यालय और इकाइयों में स्थापित किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभाग लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के माध्यम से जुड़े हुये हैं।
- ई–निविदा गतिविधि

परिचालन निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय अनुपालन पर चर्चा

कम्पनी की कुल आमदनी एवं अन्य आय क्रमशः ब्याज सहित 1612.20 करोड़ रूपये एवं 99.10 करोड़ रूपये एवं पिछले वर्ष में क्रमश 1619.25 करोड़ रूपये तथा 108.09 करोड़ रूपये थी। वर्ष के दौरान कम्पनी का कर पूर्व लाभ 58.22 करोड़ रूपये एवं गत वर्ष में 56.16 करोड़ रूपये था।

गत वर्ष की तुलना में प्रचालन (ऑपरेशन) की लागत 17.86% की बढ़ोतरी हुई है। खर्च में वृद्धि का कारण मुख्यतः कर्मचारी लागत में वृद्धि की वजह है।

खण्ड रिपोर्टिंग (Segment Reporting)

क) व्यावसायिक खण्ड

लेखा मानक एएस – 17 में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार, ''सेगमेंट रिपोर्टिंग'' कम्पनी के व्यावसायिक क्षेत्रों के निर्माण और इसमें शामिल गतिविधियों, उपकरण दवा आदि का परामर्श की आपूर्ति के आधार पर, ''खण्ड रिपोर्टिंग'' अपने सभी ऑपरेशन लेखा–मानक 17 के रूप में एक खण्ड के अन्तर्गत आता है।

ख) भौगोलिक खण्ड

चूंकि कम्पनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से देश के भीतर रह कर उत्पाद/सेवाओं और उनकी प्रकृति को ध्यान में रख कर की जा रहीं हैं, अतः परिचालन जोखिम और रिटर्न वही कर रही हैं और इस तरह के रूप में वहां केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कम्पनी में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिये कम्पनी में एक आंतरिक नियंत्रण की कुशल प्रणाली व्याप्त है। कार्यात्मकता की क्षमता, कानून और नियमों के साथ निर्धारित अनुपालन नीतियां और प्रक्रियाओं का परिपालन किया जाता है।

आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा कार्य पर बल, पारदर्शिता स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये, कम्पनी आंतरिक लेखा–परीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म को कार्य सौंपा गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को समय–समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिये प्रबंधन/मैनेजमेंट को प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन विकास

एच एस सी सी एक ज्ञान आधारित कम्पनी है, जिसकी असली ताकत उसकी जनशक्ति में निहित है। किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 184 कर्मचारी नियमित वेतनमान पर थे एवं 134 कर्मचारी निश्चित–अवधि पर हैं। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। बदलते परिवेश की आवश्यकतानुसार, एचएससीसी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा तथा कम्पनी की कार्य कुशलता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गए, इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिशा में उसकी दक्षता में और बढ़ोतरी हेतु उनका विकास किया जा रहा है। कम्पनी विभिन्न सामाजिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को निरंतर अभिप्रेरित कर रही है।

आचार संहिता

कम्पनी के बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों और कम्पनी के समस्त वरिष्ठ प्रबंधन के लिये आचार संहिता निर्धारित की है। जिसे सभी संबंधित अधिकारियों तथा कार्यपालकों को ई–मेल द्वारा साथ ही हार्ड–कॉपी के माध्यम से वितरित किया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और नामित वरिष्ठ प्रबंधन ने कार्मिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

लोक उद्यम विभाग में तिमाही रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर तिमाही रिपोर्ट को निगमित (अभि) शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को संसूचित करते हुए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भिजवा दिया जाता है।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थिरता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची – VII के तहत, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा गठित गंगा की सफाई एवं उसके उत्थान के लिये स्वच्छ भारत कोष के तहत ''गंगा सफाई कोष'' में 94.12 लाख रूपये (चौरानवे लाख बारह हजार रूपये) तथा सीएसआर परियोजना के तहत, हिसार, हरियाणा में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत साई प्रशिक्षण केन्द्र उन्नयन के लिये 50.00 लाख रूपये (पचास लाख रूपये) का अंशदान किया है।

अनुलग्नक - IV

(निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

प्रपत्र संख्या – एम आर – 3

31 मार्च, 2018 के अंत में वित्तीय वर्ष के लिए सचिवालीय ऑडिट रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियों के नियम 9 (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक नियम, 2014) के बाद]

सेवामें,

सदस्यगण,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
सी आई एन : यू74140डीएल1983जीओ015459
205 (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नं. 4,
एल एस सी, सेंट्रल–II, वसुंधरा एंकलेव,
नई दिल्ली–110096.

हमने सीआईएन संख्याः **यू–74140डीएल1983जीओआई015459** के तहत **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** जिसे ''कम्पनी'' कहा गया है, में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसरण में सचिवालयी लेखा परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कम्पनी के संचालन / सांविधिक अनुपालन के आंकलन के आधार पर अपनी राय निम्न रूप में व्यक्त करते हैं :–

कम्पनी के बहीखाते, कागजात कार्यवृत, फॉर्म एवं रिटर्न तथा दाखिल किए गए अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर, कम्पनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और हमें प्रदान की गयी जानकारी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों को सचिवालयी लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, प्रयोग की पद्धति के तहत, हमारी राय में कम्पनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूची बद्ध वैज्ञानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। कम्पनी को उपर्युक्त बोर्ड प्रक्रियाओं के तहत मान्यता दी गई है, जिसके आधार पर रिपोर्टिंग के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर हम अपनी राय व्यक्त करते है।

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** द्वारा बनाई लेखा पुस्तकों पत्रों कार्यवृत्तों की पुस्तकों, रूपों, तथा दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम; **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत तैयार किए गए विनियम और उप–नियम; **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और बाहरी वाणिज्यिक उधार **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)** की सीमा तक इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम, 1992 ('सेबी एक्ट') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :–

क) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (शेयरों का वास्तविक अधिग्रहण और अधीनीकरण) विनियम, 2011; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है)**

ख) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएं जारी) विनियम, 2009; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है)**

घ) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है)**

ङ) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति के मुद्दे और सूची) विनियम, 2008; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है)**

च) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (जारी शेयर और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993; कम्पनी अधिनियम के बारे में ग्राहक से निपटने; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है)**

छ) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरो का वितरण) विनियम, 2009 **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है)**

ज) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुर्नःखरीद) विनियम, 1998 **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है)**

(vi) हमने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी के लिए अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए बनाई गई प्रणाली और तंत्र द्वारा प्रदर्शित प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी के अधिनियमों, कानूनों और विनियमन के प्रमुख शीर्षों/समूहों की सूची नीचे दी गई है।

1. आयकर अधिनियम 1961 और इसके तहत बनाए गए नियम
2. कर्मचारियों के पीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
3. सेवा कर कानून
4. जी एस टी / वैट
5. कर्मचारियों की पेंशन योजना, 1995
6. कर्मचारियों की राज्य बीमा अधिनियम, 1948
7. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
8. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
9. भुगतान का दायित्व अधिनियम, 1972
10. लागू लेखा मानक

हमने निम्नलिखित बिन्दुओं के लागू होने वाले अनुच्छेदों का अनुपालन भी किया है:

- आज तक संशोधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठक पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक
- हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जैसे कानूनों के साथ लागू वित्तीय कानूनों की कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा ये समीक्षा के अधीन थे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. **कम्पनी ने क्रमशः बोर्ड, ऑडिट समिति और पारिश्रमिक समिति के संबंध में डीपीई के दिशा निर्देशों के खण्ड 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया है, कम्पनी अधिनियम की धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुसार, 2013 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत कम्पनियां (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) नियम, 2014 और अनुसूची–IV के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और कम्पनी अधिनियम की धारा 135(1), 2013 सीएसआर समिति की संरचना के संबंध में है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।**

विशेष रूप से कम्पनी के लिए लागू अन्य कानूनों के संबंध में, हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान, कम्पनी द्वारा दी गई सूचना / रिकॉर्ड पर भरोसा जताया है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।

हम पुनः सूचित करते है कि :

कम्पनी के निदेशक मंडल को व्यवस्थित रूप से पुनः गठित किया गया है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तनों का पालन किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त पर विस्तृत टिप्पणी को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त पद्धति द्वारा सूचित किया जाता है, कम से कम सात दिन पहले ही सूचना भेजी जाती है और बैठक से पहले औउ उसे सार्थक बनाने के लिए एजेंडा पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं संबंधित प्रणाली अपनायी गई थी।

बैठकों के कार्यवृत के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थित रूप से दर्ज और बैठकों के हस्ताक्षरित कार्यवृत के अनुसार, बोर्ड के निर्णय एकमत थे और कोई असहमति दर्ज नहीं किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध कोई भी अभियोजन की कार्रवाई न तो आरंभ ही की गई है और न ही कोई कारण बताओ नोटिस इसे प्राप्त हुआ है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने विशिष्ट आयोजन/कार्रवाई का पालन किया था, जिसका उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानक आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर महत्वपूर्ण असर रहा।

दिनांक 28 सितंबर 2017 को आयोजित असाधारण–साधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए, कंपनी ने 100/– रू. प्रति शेयर हेतु रु. 8259/– प्रत्येक शेयर की कीमत पर 60,004 इक्विटी शेयरों की वापस–खरीदी को प्रक्रियागत किया है।

कृते **प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी**
कम्पनी सचिव

हस्ता./–
प्रवीन रस्तोगी
सी.पी. सं. 2883
एम. सं. 4764

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 23.07.2018

अनुलग्नक - V

(निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों के प्रत्युत्तर

(क) (i) टिप्पणी सं – 20(II)(बी) एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्च) अनुमानित आधी लागत राशि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय अथवा एवं इनसे संबंधित विषयों पर वर्ष के दौरान कोई गतिविधि नहीं हुई जिसके कारण देयता राशि को अभिनिश्चित नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (II) (बी), जोकि स्वत : स्पष्ट है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 20 (II) (सी) कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं से जमा किये गये है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लंबित निपटारें के मद्देनजर लेखा–खातों में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (II) (सी), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 20 (IX) : नोट संख्या 20(IX) रिटेंशन मनी अकाउंट (एसएल–54), क्लाइंट डिपॉजिट फंड्स (एसएल–53), विविध लेनदार, विविध देनदार (एसएल–51), ईएमडी और सुरक्षा जमाराशि, जो एचएससीसी द्वारा दिए गए हैं इनके संबंध में विभिन्न शेष राशि मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से सामंजस्य और पुष्टि की शर्त के आधार पर है।

प्रत्युत्तरः प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (IX), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iv) टिप्पणी संख्या – 20 (XI) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया बिना भुगतान के / अ–समायोजित राशि के संदर्भ में, 7181.42 लाख रूपये (गत वर्ष 2345.79 लाख रूपये) (कॉर्पस खाते में 5946.62 लाख रुपये, पिछले वर्ष 681.54 लाख रुपये शामिल हैं) ग्राहकों के 4 वर्ष से अधिक के जमा खातों में पड़े हैं। मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से खातों की शेष राशि की पुष्टि होना बाकी है।

प्रत्युत्तरः प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (XI), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(v) अभी भी शेष व्यापार देय खाते में बाकी हैं जो बेदावा / अप्राप्त हैं, और ग्राहक के काम के साथ पता लगाए जाने योग्य नहीं हैं, और इनकी देयता के परिणाम, यदि कोई हो, ज्ञात नहीं है। कंपनी की लाभ और हानि लेखा, परिसंपत्तियों और देयताओं में अनिश्चितताओं को देखते हुए उपरोक्त योग्यता का प्रभाव, वर्तमान में निर्धारणयोग्य नहीं है।

प्रत्युत्तर – कंपनी बेदावा राशि के बारे में कंपनी की नीति के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी, या तो ठेकेदार के साथ निपटान करके अथवा परियोजना को वित्तीय तौर पर बंद करके, जो भी पहले हो।

(ख) (i) अभी 141 परियोजनाएं (सिविल वर्क एवं प्रापण) मंत्रालय / ग्राहों की ओर से कम्पनी द्वारा वित्तीय हिसाब रखा जा रहा है। इन्हें वित्तीय सम्पत्तियों और देनदारियों के रूप में कम्पनी की पुस्तक में शामिल किया गया है और ''मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से'' अलग खाते में दिखाया जाता है। मंत्रालय की ओर से बैंक के पास रखे गये बैंक खातों और सावधि जमा / ग्राहक नियमित आधार पर एवं ब्याज के लेखों पर कम्पनी द्वारा नजर रखी जाती है तथा समय–समय पर संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये जमा आंकड़ों / विवरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

विसंगतियों का प्रभाव, यदि कोई हो, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के अभाव में जैसा कि इस प्रतिवेदन के उपरोक्त अनुबंध 2 में संदर्भित किया गया है, पुष्टियोग्य नहीं है।

प्रत्युत्तर – एफडीआर की निगरानी और एफडी पर ब्याज के लिए प्रणाली कार्यान्वित की गई है। समय–समय पर एचएससीसी की आवश्यकता के अनुसार लेनदेन की निगरानी के लिए प्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

(ii) मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, कंपनी अन्य पुराने ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान कर रही है, जिनके लिए कोई अलग वित्तीय रखरखाव नहीं किया गया है। ग्राहक द्वारा जमा की गई धनराशि और इन ग्राहक खातों के व्यय के विवरण के अभाव में, ऐसी निधियों पर अर्जित ब्याज को कंपनी की आय (पता नहीं की गई राशि) के रूप में भी लिया जाता है, जो कि गणना की गई अर्जित ब्याज के अतिरिक्त है।

प्रत्युत्तर – मंत्रालय की ओर से ग्राहक को देय पुराने बकाया राशियों हेतु कोई अलग बैंक खाते नहीं खोले गए हैं। निधियों को एचएससीसी फंड के साथ समेकित आधार पर संचित किया गया है। एचएससीसी द्वारा ब्याज की गणना की गई है।

(iii) ग्राहकों के खातों से शेष जमा राशि (खाता कोड संख्या एसएल 53) के तहत कुछ गैर सुलभ शेष राशि हैं, जिसमें अनुसूची 15 में दिखाये गये 1849.59 लाख रूपये के खाते के प्रमुख ''अन्य दीर्घकालिक देनदारियों'' और डेबिट शेष राशि के अंतर्गत अनुसूची 8 में दिखाये गये 4605.58 लाख रूपये के क्रेडिट शेष राशि है खाता संख्या 15 के तहत प्रमुख ''अल्पकालिक ऋण और अग्रिम'' से वसूली योग्य है, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और वास्तविक समय विश्लेषण और उस पर स्थिर जमा राशि और ब्याज की सत्यापन के कारण लाभ, हानि और परिसंपत्तियां और देयताओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका पता नहीं लगाया जाये।

प्रत्युत्तर – लेखा बहियों के अनुसार ये सभी बकाया हैं। मिलान किया जा रहा है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही के दौरान प्रबंधन को 301.07 लाख की धोखाधड़ी का पता लगा तत्पश्चात इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेखापरीक्षा के पूर्ण होने तक धोखाधड़ी की गई राशि की सही मात्रा अनिश्चित है, क्योंकि सरकारी निकायों के समक्ष जांच लंबित है। हालांकि इस धोखाधड़ी की एफआईआर नोएडा पुलिस में दर्ज करवायी गई है। टिप्पणी संख्या 20(IV) देखें।

प्रत्युत्तर – प्रकटित टिप्पणी संख्या 20(IV), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(घ) एम्स नागपुर, एम्स कल्याणी और एम्स गुंटूर के व्यापक नियोजन और डिजाइनिंग के लिए पार्किन्स यूएसए द्वारा प्रेषित बिलों के आधार पर, कंपनी ने एक्सिस बैंक, मुंबई में अनुरक्षित उनके बैंक खाते में मेसर्स पर्किन्स ईस्टमेन आर्किटेक्ट्स डीपीसी (यूएसए) को रु. 6,64,05,612/– का भुगतान किया है। जबकि अनुबंध को समझौता दिनांक 22.05.2017 के अधीन और साथ ही पार्किन्स इस्टमेन डिजाइन कन्सल्टेन्ट्स इंडिया प्रा.लि. मुंबई (पर्किन्स ईस्टमेन आर्किटेक्ट्स डीपीसी (यूएसए) तथा मेसर्स एडिफाइस कन्सल्टेंट प्रा.लि. मुंबई का कन्सोर्टियम) के अवार्ड पत्र दिनांक 22.02.2017 के माध्यम से सौंपा गया है।

प्रत्युत्तर – अनुबंध की शर्तो के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किया गया है।

(ङ) कंपनी ने ठेकेदारों द्वारा खरीदी गई सामग्री के सापेक्ष अग्रिम प्रदान किया है। दिनांक 31.3.2018 तक इस तरह के अग्रिम बकाया की कुल राशि रु. 44.86 करोड़ थी। सुरक्षा अग्रिम के उचित लेखांकन के अभाव में, अग्रिम में दी गई राशि, समायोजित राशि और इसके दुरुपयोग की जांच करना मुश्किल है। दिनांक 31.3.2018 के अनुसार सुरक्षा–जमा के तौर पर ठेकेदार के पास पड़ी सामग्री का प्रबंधन द्वारा स्टॉक में समतुल्य सामग्री के सापेक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर – सुरक्षा अग्रिम का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है। दिनांक 31.03.2018 के अनुसार सुरक्षा अग्रिम राशि की सही गणना की गई है। भौतिक तौर पर शेष प्रमाण पत्र हर बिल के साथ संलग्न किया जाता है।

(च) एचएससीसी बैंक खाता संख्या सीए 151 को इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर–1, नोएडा में अनुरक्षित किया जाता है जिसमें अनलिंक्ड प्रविष्टियां अमेलित हैं, इसलिए इसे सत्यापित नहीं किया जा सका।

प्रत्युत्तर – सभी लेनदेन आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से मेल खाते हैं, केवल कुछ प्रविष्टियों को छोड़कर जो विगत वर्ष से संबंधित हैं। बैंक से संबंधित सभी लेन–देन की जाँच के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(छ) परियोजना के बैंक खातों में दिखाई देने वाली शेष राशियां: आयुष–शिलांग, आयुष–नई दिल्ली, एम्स (नई दिल्ली), एनआरएचएम छत्तीसगढ़ और पटियाला सबस्टेशन, जिसमें अनलिंक्ड और अमेलित तथा बिना व्याख्या वाले बैंक आहरण की प्रविष्टियां हैं जो क्रमशः रु. 2.55 करोड़, रु.34.34 लाख, रु.9.87 करोड़, रु.30.46 लाख और रु.18.55 लाख की राशि मिलान की शर्त के अधीन हैं।

प्रत्युत्तर – बैंक से संबंधित सभी लेन–देन की जाँच के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

योग्य राय

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार सबसे अच्छा करने के लिए एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद में वर्णित इस मामले के प्रभाव के अलावा, इसके साथ कम्पनी के वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके से कार्य करने एवं जानकारी देने के लिए आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार के तहत हमारी राय और जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, रिपेर्टिंग तारीख और इसके लाभ और वर्ष के लिये अपने नकदी प्रवाह पर उस दिन समाप्त उसका लाभ सत्य एवं स्पष्ट है।

मामले का महत्व

हम निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :–

क. रु.17.85 लाख विदेशी मुद्रा की हानि जो अमेरिकी डॉलर 141053 की सहमत राशि (अवार्ड मूल्य अमेरिकी डॉलर 1410531 का 10 प्रतिशत) में से और अमेरिकी डॉलर 70526 (अमेरिकी डॉलर 1410531 का 5 प्रतिशत के समतुल्य बैंक गारंटी) उत्पन्न हुई जो जीबीसी साईंटिफिक इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में आर्बिट्रल ट्रिब्युनल के आदेश के अनुसार है। विदेशी मुद्रा की हानि को ग्राहक की ओर से किसी भी पत्र के अभाव में, परियोजना के जमा खाते के माध्यम से ग्राहक (क्षमता निर्माण) पर डेबिट किया गया है और विदेशी मुद्रा हानि के प्रति कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर – चूंकि यह एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड का खर्च नहीं है, इसलिए इसे ग्राहक खाते में डेबिट किया जाता है। यदि विदेशी मुद्रा की हानि को दर्शाया जाता यदि विदेशी मुद्रा व्यय एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित होता।

उक्त बैंक गारंटी के नकदीकरण के समय, क्रेडिट को भी ग्राहक के खाते में प्रदान किया गया था।

ख. कर्मचारियों और उनके आश्रितों के गृह नगर (होम टाउन) जाने हेतु प्रदान किये जाने वाले यात्रा अवकाश भत्ते के संबंध में कोई बीमांकित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर – एलटीसी के लिए भुगतान की वास्तविक राशि कुछ नहीं है, इसलिए कोई वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। हालांकि, एचएससीसी के वास्तविक लाभ के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय को चिन्हित किए जाने की नीति विद्यमान है।

ग. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसमें एफडीआर और लिक्विड निधियों में कंपनी द्वारा की गई सावधि जमा राशियों पर ब्याज सहित सभी लेन–देन की जाँच और सत्यापन की आवश्यकता होती है, और ठेकेदारों को समय पर लेखा और सुरक्षा अग्रिमों का समायोजन, ठेकेदारों और पेशेवरों को अंतरिम बिल का भुगतान, व्यय, खाता–बहियों में आय और बैंक लेनदेन की प्रविष्टियां कमजोर पाई गई हैं, जिससे कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में अनुचित देरी होती है।

प्रत्युत्तर – ब्याज और एफडी की निगरानी के लिए प्रणाली कार्यान्वित की गई है। सभी भुगतानों के लिए समयबद्ध लेखांकन किया जाता है। इसके अलावा, समय–समय पर एचएससीसी प्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

घ. वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (स्वतंत्र लेखाकार की रिपोर्ट के अनुलग्नक 2 का संदर्भ ग्रहण करें) क्षीण है और इसे सशक्त करने की आवश्यकता है।

प्रत्युत्तर– आगे और अधिक सुधार के लिए नोट किया गया।

ड. ऐसी परियोजनाएं जिन्हें पूरा किया गया है और मंत्रालय / ग्राहक को सौंप दिया गया है, लेकिन कम्पनी की पुस्तकों में इन खातों का वित्तीय समापन नहीं हुआ है। इसके अलावा, ऐसी परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसके लिये प्रक्रिया को जारी रखने और आगे ले जाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की गयी। लाभ या हानि पर इसका प्रभाव उस वर्ष में किया जायेगा जिसमें वित्तीय समापन होता है।

प्रत्युत्तर – यह स्वस्पष्ट है और एचएससीसी ऐसी परियोजनाओं के वित्तीय लेखाबंदी की प्रक्रिया में है जहां परियोजना पूर्ण हो चुकी है और मंत्रालय / ग्राहक को सौंप दी गई है।

च. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को नोएडा में नम्बर ई–13 और ई–14, सैक्टर–1, नोएडा में 2518.13 वर्ग मीटर माप से दो प्लॉट आवंटित किये गये थे और पट्टे के लिये दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (नोएडा) प्राधिकरण के साथ पट्टा अनुबंध निष्पादित किया गया था। धारा 4 के अनुसार पट्टेदार अर्थात एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को चार साल की निर्दिष्ट अवधि के भीतर भूमि के निर्माण को पूरा करना होगा, जब तक की पट्टादाता समय के विस्तार की अनुमति नहीं देता। जबकि पट्टा अनुबंध दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को समाप्त हो चुका है और कम्पनी ने ना तो विस्तार के लिये आवेदन किया है और ना ही भवन का निर्माण किया है। अतः उल्लिखित संपत्ति के प्राधिकार विलेख की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

प्रत्युत्तर – प्रकटित टिप्पणी संख्या 20(XIII), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

छ. किए गए कार्यों (गणना नहीं किए गए बिलों) के मूल्य पर जीएसटी के प्रावधान के संबंध में कृपया नोट अनुसूची की नोट संख्या (XV) का संदर्भ ग्रहण करें।

प्रत्युत्तर – प्रकटित टिप्पणी संख्या 20(XV), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

ज. रु.33.24 लाख के न्यायालय शुल्क के संबंध में जिसे वसूली याचिका दायर करने के लिए भुगतान किया गया है, यह कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी से संबंधित है, कृपया नोट संख्या (XXVI) का संदर्भ ग्रहण करें।

प्रत्युत्तर – प्रकटित टिप्पणी संख्या 20(XVI), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

अनुलग्नक - V

सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board-IV, New Delhi

गोपनीय

संख्या–736–पी.डी.सी.ए / ऍम.ए.बी.–IV / एच.एस / AA/cs/HSCC/18-19/8342
Date - 05.03.2019

सेवामें,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
ई–6 (ए), सैक्टर–1,
नौएडा (उ प्र) – 201301

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (b) के अंतर्गत एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणी प्रमाण–पत्र भेजा जा रहा हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय

हस्ता.
(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य. लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

आठवाँ व नवाँ तल, सी0ए0जी0 संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष / Phone. : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, Fax/फैक्स : 91-11- 23239416
ईमेल/Email : mabnewdelhi4@cag.gov.in

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों का विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत मानकों को ध्यान में रखकर निर्धारित वित्तीय फ्रेंमवर्क के अनुसार बनाये गयें हैं जिसके लिये कम्पनी का प्रबंधन समूह जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परिक्षकों, धारा 143 के तहत स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से अंकेक्षित इन वित्तीय लेखा विवरणों के लिये जिम्मेदार हैं तथा धारा 143(10) के तहत इन पर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके लिये निर्धारित स्वायत्त इकाई भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित आडिंटिंग एवं अनुपालनात्मक राय व्यक्त कर सकते हैं। यह विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा **दिनांक 27.09.2018** को प्रदान आडिट रिपोर्ट अनुसार प्रदान किया जाता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ए) के तहत, **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** की दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर एक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा जो मुख्य रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कम्पनी के कर्मियों और लेखा–अभिलेखों में से कुछ एक चयनात्मक परीक्षा की जांच तक सीमित हैं। अनुपूरक लेखा–परीक्षा (ऑडिट) के आधार पर, धारा 143(6)(बी) के तहत, मै निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ, जोकि मेरी राय में वित्तीय विवरणों एवं संबंधित अंकेक्षित विवरणों को बेहर समझ योग्य बनाने हेतु आवश्यक है :

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां
लाभ एवं हानि खर्चे का विवरण
असामान्य एवं असाधारण मद :– रू 0.14 करोड़

1. उपरोक्त में रु. की राशि शामिल नहीं है। फर्जी ट्रांसफर के मामलों में उपरोक्त रू.3.01 करोड़ फर्जी ट्रांसफर राशि के मामले में (रु.2.42 करोड़ और रु.0.59 करोड़) शामिल नहीं है, अपितु वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में इसका पता चला और इसे रिपोर्ट किया गया है। क्रमशः 2014–15 और 2015–16 में धोखाधड़ी हुई थी। इण्डियन ओवरसीज बैंक, नोएडा ब्रांच से इन्टरनेट के माध्यम से अज्ञात पार्टियों के खातों में कम्पनी के खाते से कम्पनी के अधिकारी द्वारा नेटबैंकिग / RTGS स्थानांतरण करके यह राशि हस्तांतरित की गई थी, जिसका पता लगने पर कम्पनी ने फर्जी लेनेदेन पर नौएडा पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा जिन फर्मों को यह फंड ट्रांसफर किए गए थे, कंपनी ने उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के तहत वसूली का मुकदमा भी दायर किया है। हालांकि लगभग दो साल हो गए हैं, धोखाधड़ी का पता लगाने के बाद से अब तक कोई और बड़ी घटना नहीं हुई है, जो वसूली की संभावना को स्थापित करती है, धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से धन हस्तांतरित किया जाता है इसलिए इस राशि की वसूली की संभावना बढ़ जाती है। वस्तुतः, इस प्रकार इस रु.3.01 करोड़ को लाभ और हानि के विवरण के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है जो एक असाधारण और असाधारण आइटम के रूप में वर्ष के लिए रू.3.01 करोड़ के लाभ भी अधिक है।

ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

1. इंडियन ओवरसीज बैंक, नोएडा में कंपनी के खाते के लेन–देन की जाँच के दौरान, महत्वपूर्ण लेन–देन पर ध्यान दिया गया है जिसे संदिग्ध विश्वसनीयता के उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है। वित्तीय मामले के लिए नोट्स कथन ऐसे अन–सुलझे हुए लेनदेन / प्रविष्टियों का खुलासा नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे कहा गया है:

(i) इस रु.3.52 करोड़ रुपये को अन्य प्रमुख मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत 'ब्याज प्राप्य' में शामिल किया गया था, हालांकि अक्टूबर, 2014 में समान प्राप्त हुआ था।

(ii) वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी द्वारा अपने ग्राहको पर 0.11 करोड़ रूपये बिक्री कर जमा किया गया है, ग्राहक से वसूली–योग्य राशि के रूप में हिसाब लगाया गया था और अल्पावधि ऋण और अग्रिम के तहत दिखाया गया है। प्रायः यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी द्वारा न तो इतनी राशि जमा की गई थी और न ही कंपनी सत्यापन के लिए ऑडिट के लिए इस तरह की जमा की प्रासंगिक प्रतियां तैयार कर सकता है।

(iii) एक मुस्त राशि रू.1.97 करोड़ को फिक्स्ड डिपॉजिट जमा किया गया तथा अप्रैल 2014 में इसे खोला गया था तथा जुलाई 2014 में एनकाउंटर कर के तहत कमाये गये था जिससे 0.06 करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। यह देखा गया कि कंपनी के बैंक खाता बही में, एक एकल नकदीकरण के खिलाफ दो बार रु.1.97 करोड़ था डेबिट (प्राप्त) किये गये थे।

(iv) दिनांक 12.04.2014 तक कम्पनी के बैंक खातों में ग्राहकों की ओर से 7.83 करोड़ रूपये क्रेडिट हुआ है तथा वही ग्राहकों की आरे से जमा किये गये, जो कम्पनी हेड डिपॉज़िट के तहत कंपनी के खातों में दिखाये गये हैं। इसके बाद, कई बदलाव और डेबिट वर्ष 2014–15 के दौरान, ग्राहक की बही में राशि की क्रेडिट प्रविष्टियां सुधार के बहाने की गईं हैं। दिनांक 31 मार्च, 2018 को 7.12 करोड़ रूपये कम्पनी के खातों में डेबिट शेष दिखाये गये हैं जबकि कंपनी की खाते/पुस्तकें जोकि देयता प्रकृति की हैं।

(v) कंपनी के यूको बैंक के खाते में अगस्त 2013 में सावधि जमा (एफडी) के रूप में 12.82 करोड़ रुपये डाले गए थे, जिस पर 1.10 करोड़ रुपये की ब्याज राशि अर्जित हुई है। 31 मार्च 2014 को इंडियन ओवरसीज बैंक में कंपनी के खाते में, नकदीकरण कार्यवाही की प्राप्ति के लिए एक प्रविष्टि की गई थी, हालांकि, एक ही वाउचर में, राशि प्राप्त हुई थी जिससे एफडी नकदीकरण उलट गया था। इस प्रकार, एफडी नकदीकरण की प्राप्ति को रद्द कर दिया गया था।

2. इसके अलावा, वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 20(iv) : इस तथ्य का खुलासा नहीं करती है कि धोखाधड़ी के मामलों के मद्देनजर इ स का वित्त वर्ष 2016–17 की 4वीं तिमाही में पता लगाया गया, मामले के निपटारे के लिये कंपनी ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट की एक फर्म को शामिल किया था, जिसने अप्रैल 2017 में कम्पनी के सभी बैंक भुगतानों की जांच कीं। यह बैंक सावधि जमा रसीदों के सत्यापन के लिए लेखाकार वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 से संबंधित है, चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म से रिपोर्ट आने का इंतजार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, धोखाधड़ी करने वाली फर्म द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के मद्देनजर वित्तीय लेनदेन, यदि कोई हो तो (वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में पहले से पता चला है) और इसमें शामिल राशि वर्तमान में मात्रात्मक नहीं है।

कृते, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.03.2019

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–IV

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों का विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत मानकों को ध्यान में रखकर निर्धारित वित्तीय फ्रेंमवर्क के अनुसार बनाये गयें हैं जिसके लिये कम्पनी का प्रबंधन समूह जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परिक्षकों, धारा 143 के तहत स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से अंकेक्षित इन वित्तीय लेखा विवरणों के लिये जिम्मेदार हैं तथा धारा 143(10) के तहत इन पर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके लिये निर्धारित स्वायत्त इकाई भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित आडिंटिंग एवं अनुपालनात्मक राय व्यक्त कर सकते हैं। यह विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा **दिनांक 27.09.2018** को प्रदान आडिट रिपोर्ट अनुसार प्रदान किया जाता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ए) के तहत, **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** की दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर एक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा जो मुख्य रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कम्पनी के कर्मियों और लेखा–अभिलेखों में से कुछ एक चयनात्मक परीक्षा की जांच तक सीमित हैं। अनुपूरक लेखा–परीक्षा (ऑडिट) के आधार पर, धारा 143(6)(बी) के तहत, मै निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ, जोकि मेरी राय में वित्तीय विवरणों एवं संबंधित अंकेक्षित विवरणों को बेहर समझ योग्य बनाने हेतु आवश्यक है :

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां
लाभ एवं हानि खर्चे का विवरण
असामान्य एवं असाधारण मद :– रू 0.14 करोड़

1. उपरोक्त में रु. की राशि शामिल नहीं है। फर्जी ट्रांसफर के मामलों में उपरोक्त रू.3.01 करोड़ फर्जी ट्रांसफर राशि के मामले में (रु.2.42 करोड़ और रु.0.59 करोड़) शामिल नहीं है, अपितु वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में इसका पता चला और इसे रिपोर्ट किया गया है। क्रमशः 2014–15 और 2015–16 में धोखाधड़ी हुई थी। इण्डियन ओवरसीज बैंक, नोएडा ब्रांच से इन्टरनेट के माध्यम से अज्ञात पार्टियों के खातों में कम्पनी के खाते से कम्पनी के अधिकारी द्वारा नेटबैंकिग / RTGS स्थानांतरण करके यह राशि हस्तांतरित की गई थी, जिसका पता लगने पर कम्पनी ने फर्जी लेनेदेन पर नौएडा पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा जिन फर्मों को यह फंड ट्रांसफर किए गए थे, कंपनी ने उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के तहत वसूली का मुकदमा भी दायर किया है। हालांकि लगभग दो साल हो गए हैं, धोखाधड़ी का पता लगाने के बाद से अब तक कोई और बड़ी घटना नहीं हुई है, जो वसूली की संभावना को स्थापित करती है, धोखाधड़ी वाले लेनदेन के माध्यम से धन हस्तांतरित किया जाता है इसलिए इस राशि की वसूली की संभावना बढ़ जाती है। वस्तुतः, इस प्रकार इस रु.3.01 करोड़ को लाभ और हानि के विवरण के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है जो एक असाधारण और असाधारण आइटम के रूप में वर्ष के लिए रू.3.01 करोड़ के लाभ भी अधिक है।

   प्रत्युत्तर

   कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाया गया था और जिसके लिए एफआईआर दर्ज की गई थी और वसूली का मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

   I. कंपनी के खातों के लेखों में 3.01 करोड़ रुपये के प्रावधान के संबंध में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां की गई हैं।

ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

1. इंडियन ओवरसीज बैंक, नोएडा में कंपनी के खाते के लेन–देन की जाँच के दौरान, महत्वपूर्ण लेन–देन पर ध्यान दिया गया है जिसे संदिग्ध विश्वसनीयता के उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है। वित्तीय मामले के लिए नोट्स कथन ऐसे अन–सुलझे हुए लेनदेन / प्रविष्टियों का खुलासा नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे कहा गया है:

(i) इस रु.3.52 करोड़ रुपये को अन्य प्रमुख मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत 'ब्याज प्राप्य' में शामिल किया गया था, हालांकि अक्टूबर, 2014 में समान प्राप्त हुआ था।

(ii) वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी द्वारा अपने ग्राहको पर 0.11 करोड़ रूपये बिक्री कर जमा किया गया है, ग्राहक से वसूली–योग्य राशि के रूप में हिसाब लगाया गया था और अल्पावधि ऋण और अग्रिम के तहत दिखाया गया है। प्रायः यह देखा

गया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी द्वारा न तो इतनी राशि जमा की गई थी और न ही कंपनी सत्यापन के लिए ऑडिट के लिए इस तरह की जमा की प्रासंगिक प्रतियां तैयार कर सकता है।

(iii) एक मुस्त राशि रू.1.97 करोड़ को फिक्स्ड डिपॉजिट जमा किया गया तथा अप्रैल 2014 में इसे खोला गया था तथा जुलाई 2014 में एनकाउंटर कर के तहत कमाये गये था जिससे 0.06 करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। यह देखा गया कि कंपनी के बैंक खाता बही में, एक एकल नकदीकरण के खिलाफ दो बार रु.1.97 करोड़ था डेबिट (प्राप्त) किये गये थे।

(iv) दिनांक 12.04.2014 तक कम्पनी के बैंक खातों में ग्राहकों की ओर से 7.83 करोड़ रूपये क्रेडिट हुआ है तथा वही ग्राहकों की आरे से जमा किये गये, जो कम्पनी हेड डिपॉज़िट के तहत कंपनी के खातों में दिखाये गये हैं। इसके बाद, कई बदलाव और डेबिट वर्ष 2014–15 के दौरान, ग्राहक की बही में राशि की क्रेडिट प्रविष्टियां सुधार के बहाने की गईं हैं। दिनांक 31 मार्च, 2018 को 7.12 करोड़ रूपये कम्पनी के खातों में डेबिट शेष दिखाये गये हैं जबकि कंपनी की खाते / पुस्तकें जोकि देयता प्रकृति की हैं।

(v) कंपनी के यूको बैंक के खाते में अगस्त 2013 में सावधि जमा (एफडी) के रूप में 12.82 करोड़ रुपये डाले गए थे, जिस पर 1.10 करोड़ रुपये की ब्याज राशि अर्जित हुई है। 31 मार्च 2014 को इंडियन ओवरसीज बैंक में कंपनी के खाते में, नकदीकरण कार्यवाही की प्राप्ति के लिए एक प्रविष्टि की गई थी, हालांकि, एक ही वाउचर में, राशि प्राप्त हुई थी जिससे एफडी नकदीकरण उलट गया था। इस प्रकार, एफडी नकदीकरण की प्राप्ति को रद्द कर दिया गया था।

प्रत्युत्तर

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 से संबंधित बैंक की सावधि जमा रसीदों के सत्यापन के साथ–साथ सभी बैंक लेनदेन की जाँच के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म को जांच करने का कार्य सौंपा गया था। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म से रिपोर्ट का इंतजार है। सीएजी द्वारा उनकी टिप्पणियों में बताई गई प्रविष्टियों के लिए चालू वित्त वर्ष में खातों में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।

2. इसके अलावा, वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 20(iv) : इस तथ्य का खुलासा नहीं करती है कि धोखाधड़ी के मामलों के मद्देनजर इसका वित्त वर्ष 2016–17 की 4वीं तिमाही में पता लगाया गया, मामले के निपटारे के लिये कंपनी ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट की एक फर्म को शामिल किया था, जिसने अप्रैल 2017 में कम्पनी के सभी बैंक भुगतानों की जांच कीं। यह बैंक सावधि जमा रसीदों के सत्यापन के लिए लेखाकार वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 से संबंधित है, चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म से रिपोर्ट आने का इंतजार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, धोखाधड़ी करने वाली फर्म द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के मद्देनजर वित्तीय लेनदेन, यदि कोई हो तो (वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में पहले से पता चला है) और इसमें शामिल राशि वर्तमान में मात्रात्मक नहीं है।

प्रत्युत्तर

वर्तमान वित्तीय वर्ष से टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।

फार्म संख्या : एम.जी.टी. – 9
वार्षिक रिपोर्ट का सारांश
दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I पंजीकरण और अन्य विवरण:

i	सी.आई.एन.	यू 74140डीएल 1983जीओआई015459
ii	पंजीकरण तिथि	30.03.1983
iii	कम्पनी का नाम	एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
iv	कम्पनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क सूत्र विवरण	205, ईस्ट एण्ड प्लाजा, प्लॉट नं. 4, डी.डी.ए.–एल.एस.सी. सेन्टर–II, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली – 110 096
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	यदि हां, तो पंजीयक एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम पता एवं सम्पर्क सूत्र विवरण	लागू नहीं

II कम्पनी की प्रमुख कारोबारी क्रियाकलाप

कम्पनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख निम्नलिखित है:–

क्रमांक	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एन.आई.सी. कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	इंजीनियरिंग सेवाओं हेतु परामर्श	9983	100%

III कम्पनी की होल्डिंग, सहायक तथा एसोसिएट कम्पनियों की जानकारी

क्रमांक	कम्पनी का नाम एवं पता	सी.आई.एन./जी.एल.एन.	होल्डिंग/सहायक/एसोसिएट	रखे गए शेयर का प्रतिशत	लागू अनुभाग
1	लागू नहीं				

IV शेयर होल्डिंग पैटर्न (इक्विटी शेयर पूंजी को कुल इक्विटी में प्रतिशतता हेतु ब्रेक–अप)

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरुवात में आयोजित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में आयोजित शेयरों की संख्य				वर्ष के दौरान बदलावों का प्रतिशत	
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत		
क. प्रवर्तक Promoters										
(1) भारतीय										
क) व्यक्तिक/एच.यू.एफ.	शून्य	54	54	0.02%	शून्य	54	54	0.02%	-	-
ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार	शून्य	239964	239964	99.98%	शून्य	179960	179960	99.98%	-	-
ग) कारपोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
ड़) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
उप–जोड़ :(क) (1)		**240018**	**240018**	**100%**		**180014**	**180014**	**100%**	**-**	**-**
(2) विदेश										
क) एन.आर.आई. व्यक्तिक	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
ख) अन्य व्यक्तिक	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
ग) कॉरपोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
ड़) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
उप–जोड़ : (क) (2)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रवर्तक की कुल शेयर होल्डिंग (क)= (क)(1)+(क)(2)		**240018**	**240018**	**100%**		**180014**	**180014**	**100%**	**0**	**0**
ख. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग										
(1) संस्थान										
क) म्यूच्यूअल फण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
ग) केन्द्रीय सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
घ) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
ड.) वेंचर कैपिटल फण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
च) बीमा कंम्पनियां	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
छ) एफ.आई.आई.एस.	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	.	.
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
उप–जोड़ (ख)(1):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) गैर संस्थान										
क) बॉडी कॉरपोरेट										
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
ख) व्यक्तिक				-						
i) व्यक्तिक शेयर–होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 1 लाख रुपये तक	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
ii) व्यक्तिक शेयर–होल्डस जिनकी शेयर पूंजी 1 लाख रुपये से अधिक	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
उप–जोड़ (ख)(2):	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयर–होल्डिंग (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
ग. अभिरक्षक द्वारा जी.डी.आर. तथा ए.डी.आर. संबंधित सुरक्षित शेयर	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
कुल योग (क+ख+ग)		**240018**	**240018**	**100%**		**180014**	**180014**	**100%**	**0**	**0**

(ii) प्रवर्तक की शेयर–होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष की शुरुवात में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान, वर्ष के अन्त में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर धारण में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	निर्धारित कुल शेयरों की प्रतिभूत का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी क कुल शेयरों का %	निर्धारित कुल शेयरों की गिरवी पड़े %	
1	भारत के राष्ट्रपति	239964	99.98%	-	239964	99.98%	-	-
2	भारत के राष्ट्रपति की ओर नामिती	54	0.02%	-	54	0.02%	-	-
	कुल	**240018**	**100.00%**		**180014**	**100.00%**		

टिप्पणीः– सभी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति और उसके नव नामधारियों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

(iii) प्रवर्तक की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (विनिर्दिष्ट परिवर्तन यदि कोई हो)

क्रमांक		वर्ष की शुरुवात मे शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के शुरुवात में				
	प्रवर्तकों में तिथि–दर–वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान हिस्सेदारी (जैसे आवंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में				

टिप्पणीः– सभी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति और उसके नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

(iv) शीर्ष 10 शेयर धारक पैटर्न (निदेशक, पर्वतक और जी.डी.आर. और ए.डी.आर. के धारकों के अलावा)

क्रमांक		वर्ष के अंत में शेयर–होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष की शुरुवात में				
	प्रवर्तकों में तिथि–दर–वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान हिस्सेदारी (जैसे आवंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (या अलग होने के तिथि तक, यदि वर्ष दौरान अलग हो)				

टिप्पणीः– सभी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति और उसके नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

(v) निदेशकों और के.एम.पी. की शेयर होल्डिंग

क्रमांक		शेयरधार शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और के.एम.पी. हेतु	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के शुरुवात में	लागू नहीं			
	प्रवर्तकों में तिथि–दर–वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान हिस्सेदारी (जैसे आवंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

टिप्पणीः– सभी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति और उसके नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

V बकाया

बकाया/अर्जित ब्याज सहित, कम्पनी का ऋण, लेकिन भुगतान के कारण नहीं					
प्रत्येक निदेशक और के.एम.पी. हेतु	**आरक्षित ऋण जमा रहित**	**अन–आरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल बकाया**	
वित्तीय वर्ष के शुरुवात में बकाया	शून्य				
i) प्रमुख राशि					
ii) देय ब्याज–भुगतान रहित					
iii) ब्याज देय–भुगतान रहित					
कुल (i+ii+iii)					
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में बदलाव					
जोड़					
घटाव					
निवल परिवर्तन					
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण					
i) प्रमुख राशि					
ii) देय ब्याज–भुगतान रहित					
iii) ब्याज देय–भुगतान रहित					
कुल (i+ii+iii)					

VI निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक पूर्ण–कालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक विवरण	प्रबंध निदेशक/अंश–कालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		श्री ज्ञानेश पाण्डेय		श्री एस.के. जैन		
		सी.एम.डी.		निदेशक		
1	**सकल वेतन**					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	59.21	-	57.56	-	116.77
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	1.15	-	1.45	-	2.60 -
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन के बदले मुनाफा	-	-	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-	-
3	स्वेज इक्विटी	-	-	-	-	-
4	आयोग	-	-	-	-	-
	लाभ का प्रतिशत	-	-	-	-	-
	अन्य (विनिर्दिष्ट)					
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	3.00	-	3.03	-	6.03
	कुल (क)	**62.21**	**-**	**60.59**	**-**	**122.80**
	अधिनियम के तहत सीमा					

ख. अन्य निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

क्रमांक	पारिश्रमिक विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक		
	(क) बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	-	-
	(ख) आयोग	-	-
	(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
	निदेशक पारिश्रमिक		
	निदेशक पारिश्रमिक		
	कुल (1)	-	-
2	अन्य–गैर कार्यकारी निदेशक		
	(क) बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-
	(ख) आयोग	-	-
	(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
	कुल (2)	**-**	**-**
	कुल (ख)=(1+2)	**-**	**-**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के तहत सीमा		

ग. प्रबंध निदेशक पूर्ण–कालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्रमांक	पारिश्रमिक विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी				कुल
1	सकल वेतन	सी.ई.ओ.	कम्पनी सचिव	सी.एफ.ओ.	कुल	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य					
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन के बदले मुनाफा					
2	स्टॉक का विकल्प					
3	स्वेज इक्विटी					
4	आयोग					
	लाभ का प्रतिशत					
	अन्य (विनिर्दिष्ट)					
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें					
	कुल	-	-	-	-	-

VII पेनल्टी/दण्ड/जुर्म हेतु दण्ड

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/लगाये गये शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आर.डी./एन.सी.एल.टी./कोर्ट)	अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
दण्ड	शून्य				
सजा					
जुर्म					
ख. निदेशक					
दण्ड	शून्य				
सजा					
जुर्म					
ग. डिफॉल्ट अन्ध अधिकारी					
दण्ड	शून्य				
सजा					
जुर्म					

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यो के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र भी है, जिसमें समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ एवं हानि लेखों का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश दिया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को सही और निष्पक्ष तैयार करने के लिये कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) के तहत, आम–तौर पर भारत में मान्य लेखा विवरणों एवं लेखांकन मानकों के तहत तैयार करने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं जो कम्पनी की साफ–सुथरी वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय उपलब्धियाँ तथा नकदी प्रवाह विवरणों को दर्शाते हैं, इसमें लेखा मानकों के तहत विनिर्दिष्ट धारा 133 के अधिनियम कम्पनी (लेखा) नियमों, 2014 के अधीन पठनीय नियम 7 भी शामिल है। यह जिम्मेदारी भी कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा और उसे रोकने, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख–रखाव शामिल, चयन और उचित लेखांकन नीतियों के आवेदन, निर्णय एवं उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाकर उसका निर्वाहन कर रही है तथा डिजाइन, कार्यान्वयन और सामग्री गलत होने से मुक्त एक सच्ची और निष्पक्ष जांच के लिये तैयार कर रही है, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिये प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे कि इसमें पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, रख–रखाव, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है या नहीं।

लेखा–परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आवश्यक अधिनियम को ध्यान में रखा है जो लेखा और लेखा–परीक्षा मानकों तथा इन मामलों के प्रावधानों से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गये नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किये जाते हैं।

हमने इस ऑडिट प्रक्रिया को ऑडिट प्रक्रिया की विनिर्दिष्ट धारा 143(10) अधिनियम के मानको के तहत किया है। ऑडिट के लिये हमने उन मानको को अपनाया है जिनकी योजना एवं नैतिकता के आधार पर जरूरत होती है एवं जिसमें उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये लेखा परीक्षा प्रदर्शन के लिये चाहे वो वित्तीय विवरण में सामग्री के गलत बयान से संबंधित हों, लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक है।

इस ऑडिट को उपलब्ध किये गये राशियों से संबंधी तथ्यों के तहत तैयार किया गया जिनका प्रकटन एवं उल्लेख वित्तीय विवरणों में कर दिया गया है। यह चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जो वित्तीय विवरणों में गलत बयान के जोखिम का मूल्यांकन सहित, जोकि त्रुटि से संबंधित धोखाधड़ी की वजह से है या नहीं है। लेखा–परीक्षा में जो परिस्थितियां उपयुक्त हैं लेखा–परीक्षा/ऑडिट प्रक्रिया को डिजाइन करने के क्रम में कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण की तैयारी के लिये प्रासंगिक और वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। इस लेखा–परीक्षा/ऑडिट में लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के अलावा इसमें कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए गए अनुमान भी शामिल हैं, साथ ही साथ जिन्हें वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हमें विश्वास है कि लेखा–परीक्षा से संबंधित दिये गये साक्ष्य पर आधारित है तथा ऑडिट और वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त हमारी राय पर्याप्त एवं सही है एवं उसी पर आधारित है।

योग्य राय के आधार पर

निम्नलिखित लेखा अनुसूची 20 की ओर ध्यानाकृर्षित किया जाता है जो वित्तीय विवरण ''लेखा टिप्पणियों'' का हिस्सा हैं :–

(क) (i) टिप्पणी संख्या – 20(II)बी : एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्चा) अनुमानित आधी लागत राशि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय पर संबंधित वर्ष के दौरान कोई विकास कार्य नहीं किया गया है तथा देयता राशि को लेखा–पुस्तकों में अभीनिश्चित नहीं किया गया है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 20(II)(सी) : कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये जमा करने के बारे में, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं के जमा से बाहर किये गये हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लम्बित निपटारों को देखते हुये खातों के लिये कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 20(IX) रिटेंशन मनी अकाउंट (एसएल–54), क्लाइंट डिपॉजिट फंड्स (एसएल–53), विविध देनदार, विविध लेनदार (एसएल–51), ईएमडी और सुरक्षा जमाराशि, जो एच एस सी सी द्वारा दिए गए हैं इनके संबंध में विभिन्न शेष राशि मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से सामंजस्य और पुष्टि की शर्त के आधार पर है।

(iv) टिप्पणी संख्या – 20(XI) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया / अ–समायोजित राशि के संदर्भ में, 7181.42 (गत वर्ष 2345.79 लाख रूपये) 4 वर्षों के अधिक के ग्राहकों के जमा खातों में पड़े हैं।

(v) अभी भी बैलेंस ट्रेड देय खाते में पड़े हुये हैं जो लावारिस / अन–सैटल्ड हैं और ग्राहक के काम और देयता के दायित्व के परिणाम के साथ पता लगाने योग्य नहीं हैं, यदि कोई है तो ज्ञात नहीं है। उपरोक्त योग्यता का प्रभाव, लाभ और हानि खाते में, कम्पनी की सम्पत्ति और देयताओं में अनिश्चितताओं को देखते हुये, वर्तमान में मात्रात्मक नहीं हैं।

(ख) (i) अभी 141 परियोजनाएं (सिविल कार्य एवं प्रापण) को मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा ली गई है। इन वित्तीय कारकों को कंपनी की पुस्तकों में शामिल किया गया है और ''मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से'' अलग खाते में दिखाया जाता है। मंत्रालय की ओर से बैंक के पास रखे गए बैंक खातों और सावधि जमा / ग्राहक नियमित आधार एवं ब्याज के लेखों पर कम्पनी द्वारा पूर्ण तौर से नजर नहीं रखी जाती है तथा समय–समय पर संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों / विवरण के आधार पर कम्पनी द्वारा जमा व उसके ब्याज का लेखा रखा जाता है।

विसंगतियों का प्रभाव, यदि कोई हो, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के अभाव में जैसा कि इस प्रतिवेदन के उपरोक्त अनुबंध 2 में संदर्भित किया गया है, पुष्टियोग्य नहीं है।

(ii) मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, कंपनी अन्य पुराने ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान कर रही है, जिनके लिए कोई अलग वित्तीय रखरखाव नहीं किया गया है। ग्राहक द्वारा जमा की गई धनराशि और इन ग्राहक खातों के व्यय के विवरण के अभाव में, ऐसी निधियों पर अर्जित ब्याज को कंपनी की आय (राशि का पूरा पता नहीं लगाया जा सकता) के रूप में भी लिया जाता है, जोकि कम्पनी की अपनी जमा पर की गई अर्जित ब्याज के अतिरिक्त है।

(iii) ग्राहकों का खाता संख्या (अकाउंट कोड एस.एल.53) से मुनाफा जमा के तहत कुछ अ–रिकन्साइल शेष बकाया है, जिसमें खातों की ''अन्य वर्तमान देयताएं'' के खातों के अनुसार सारणी संख्या 8 में दिखाये गये 4605.58 लाख रूपये के ऋण शेष राशि और रूपये का डेबिट बैलेंस है जो 1849.59 लाख रूपये खाते में ''लघु अवधि के ऋण और अग्रिम'' के अनुसार अनुसूची संख्या 15 में दिखाया गया है, जैसा कि ग्राहकों से पुनर्प्राप्ति योग्य है। जैसा कि प्रभाव में, यदि कोई हो, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और वास्तविक समय विश्लेषण और स्थिर जमा और उसके ब्याज के सत्यापन के कारण लाभ या हानि और परिसम्पत्तियों और देनदारियों का पता नहीं लगाया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2016–17 के वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में 301.12 लाख रूपये की वित्तीय धोखाधड़ी का पता चला था और हमें सूचित किया था। धोखाधड़ी की सटीक राशि हमारे लेखा–परीक्षा के पूरा होने तक अनजान हैं। हालांकि, नोएडा पुलिस के साथ प्रबंधन द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संदर्भ हेतु टिप्पणी संख्या : 20(IV) देखें।

(घ) एम्स नागपुर, एम्स कल्याणी और एम्स गुंटूर के व्यापक नियोजन और डिजाइनिंग के लिए पार्किन्स यूएसए द्वारा प्रेषित बिलों के आधार पर, कंपनी ने एक्सिस बैंक, मुंबई में अनुरक्षित उनके बैंक खाते में मेसर्स पर्किन्स ईस्टमेन आर्किटेक्ट्स डीपीसी (यूएसए) को रु.6,64,05,612/– का भुगतान किया है, जबकि अनुबंध को समझौता दिनांक 22.05.2017 के अधीन और साथ ही पार्किन्स इस्टमेन डिजाइन कन्सल्टेन्ट्स इंडिया प्रा.लि. मुंबई (पर्किन्स ईस्टमेन आर्किटेक्ट्स डीपीसी (यूएसए) तथा मैसर्स एडिफाइस कन्सल्टेंट प्रा.लि. मुंबई का कन्सोर्टियम) के अवार्ड पत्र दिनांक 22.02.2017 के माध्यम से सौंपा गया है।

(ड़) कंपनी ने ठेकेदारों द्वारा खरीदी गई सामग्री के सापेक्ष अग्रिम प्रदान किया है। दिनांक 31.3.2018 तक इस तरह के अग्रिम बकाया की कुल राशि रु. 44.86 करोड़ थी। सुरक्षा अग्रिम के उचित लेखांकन के अभाव में, अग्रिम में दी गई राशि, समायोजित राशि और इसके दुरुपयोग की जांच करना मुश्किल है। दिनांक 31.3.2018 के अनुसार सुरक्षा–जमा के तौर पर ठेकेदार के पास पड़ी सामग्री का प्रबंधन द्वारा स्टॉक में समतुल्य सामग्री के सापेक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(च) एच एस सी सी बैंक खाता संख्या सीए 151 को इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर–1, नोएडा में अनुरक्षित किया जाता है जिसमें अनलिंक्ड प्रविष्टियां अमेलित हैं, इसलिए इसे सत्यापित नहीं किया जा सका।

(छ) परियोजना के बैंक खातों में दिखाई देने वाली शेष राशियां: आयुष–शिलांग, आयुष–नई दिल्ली, एम्स (नई दिल्ली), एनआरएचएम छत्तीसगढ़ और पटियाला सबस्टेशन, जिसमें अनलिंक्ड और अमेलित तथा बिना व्याख्या वाले बैंक आहरण की प्रविष्टियां हैं जो क्रमशः रु.2.55 करोड़, रु.33.34 लाख, रु.34.34 लाख, रु.9.87 करोड़, रु.30.46 लाख और रु.18.55 लाख की राशि मिलान की शर्त के अधीन हैं।

योग्य राय

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार सबसे अच्छा करने के लिए एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद में वर्णित इस मामले के प्रभाव के अलावा, इसके साथ कम्पनी के वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके से कार्य करने एवं जानकारी देने के लिए आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार के तहत हमारी राय और जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, रिपोर्टिंग तारीख और इसके लाभ और वर्ष के लिये अपने नकदी प्रवाह पर उस दिन समाप्त उसका लाभ सत्य एवं स्पष्ट है।

मामले का महत्व

हम निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :–

(क) रु.17.85 लाख विदेशी मुद्रा की हानि जो अमेरिकी डॉलर 141053 की सहमत राशि (अवार्ड मूल्य अमेरिकी डॉलर 1410531 का 10 प्रतिशत) में से और अमेरिकी डॉलर 70526 (अमेरिकी डॉलर 1410531 का 5 प्रतिशत के समतुल्य बैंक गारंटी) उत्पन्न हुई जो जीबीसी साईंटिफिक इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में आर्बिट्रल ट्रिब्युनल के आदेश के अनुसार है। विदेशी मुद्रा की हानि को ग्राहक की ओर से किसी भी पत्र के अभाव में, परियोजना के जमा खाते के माध्यम से ग्राहक (क्षमता निर्माण) पर डेबिट किया गया है और विदेशी मुद्रा हानि के प्रति कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए होम–टाउन की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जो एफ.डी.आर. और तरल निधि में कम्पनी द्वारा निर्धारित फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज के सभी लेन–देन की जांच और सत्यापन की आवश्यकता है और खर्चो के समायोजन, संबंधी लेखों में आय और बैंक लेन–देन, कम्पनी के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में अनुचित देरी के कारण उन्हें कमजोर पाया गया।

(घ) वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (संदर्भ हेतु : स्वतंत्र लेखाकारों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–2 देखें) जोकि अशक्त है और जिसे मजबूत करने की जरूरत है।

(ड़) ये सभी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और मंत्रालय / ग्राहकों को सौंप दिया गया है, लेकिन कम्पनी की पुस्तकों में इन खातों की वित्तीय समाप्ति नहीं हुई है। आगे, ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें सौंपने और उसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिये अभी समयोचित समय मांगा गया है। इससे लाभ या हानि पर इसका असर उस वर्ष में होगा, जिसमें वित्तीय समापन किया गया है।

(च) दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को न्यू औखला इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (नोएडा) द्वारा एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को 2518.13 वर्ग मीटर के हिसाब से दो प्लॉट नम्बर :– ई–13 तथा ई–14, सैक्टर–1, नोएडा का आवंटित किया गया तथा नोएडा के साथ पूरक पट्टे का कार्य निष्पादित किया गया। विधेयक के खण्ड 4 के अनुसार कम–से–कम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को चार वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर भूमि का निर्माण अथवा निर्माण को पूरा करना होगा, जब तक की पट्टादाता समय के विस्तार की अनुमति नहीं देता। जबकि पट्टा अनुबंध 21.04.2017 को समाप्त हो चुका है और कम्पनी ने ना तो विस्तार के लिये आवेदन किया है और ना ही इमारत का निर्माण किया है।

(छ) किए गए कार्यों (गणना नहीं किए गए बिलों) के मूल्य पर जीएसटी के प्रावधान के संबंध में कृपया नोट अनुसूची की नोट संख्या (XV) का संदर्भ ग्रहण करें।

(ज) रु. 33.24 लाख के न्यायालय शुल्क के संबंध में जिसे वसूली याचिका दायर करने के लिए भुगतान किया गया है, यह कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी से संबंधित है, कृपया नोट संख्या (XXVI) का संदर्भ ग्रहण करें।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी आदेश (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के तहत धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार, इस दिशा में केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 व 4 में लागू हद तक, उल्लिखित मामलों पर एक विवरण अनुबन्ध ''1'' के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जरूरी है, हम रिपोर्ट देते हैं कि :–

   (क) हमने वह सभी सूचना एवं विवरण प्राप्त किए जो हमारी ऑडिट की मांग, पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के लिए लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे।

   ख. हमारे विचार से जहां तक खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियां रखी हैं।

   ग. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, नकदी प्रवाह विवरण और लाभ–हानि खाते लेखा बहियों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   घ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरणों को कम्पनी (लेखा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन अनुभाग–133 पठनीय अधिनियम के तहत तैयार किया गया है।

   ङ. दिनांक 21.10.2003 को कम्पनी अधिनियम, 2013, जोकि पठनीय धारा 620(1) के तहत जारी, अधिसूचना संख्या : जीएसआर–829(ई) के तहत जारी कम्पनी अधिनियम 1956 तथा पठनीय धारा 465(2) की उपधारा (2) जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत ये प्रावधान सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होते।

   च. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता को हमने अपनी अनुबंध–2 की रिपोर्ट में दे दिया है।

छ. अन्य विषय के संबंध में हमारी राय में कम्पनियों के नियम 11 (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में है और हमारी जानकारी में सबसे अच्छा है हमारे लिए दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार करने के लिए भी :

(i) कम्पनी ने वित्तीय विवरणों में आई अपनी स्थिति पर 31 मार्च, 2017 से ही लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (संदर्भ हेतु वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 20(II), (III) तथा (XXVIII) देखें।

(ii) दीर्घ–कालीन अनुबंध सहित कम्पनी का किसी भी मामले में अनुबंध लम्बित नहीं है जिसका प्रकटीकरण किया जाये।

(iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को हस्तांतरित करने के लिये कोई रकम नहीं है।

3. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुभाग 143(5) के अनुरूप, भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये उप–दिशा के तहत हम अपने उत्तर अनुबंध ''3'' में दिये गये विवरण के तहत दे रहे हैं।

कृते **एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–

(एल.सी.गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2018

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "1"

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के खातों पर एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समसंख्यक तिथि तक की रिपोर्ट में वर्णित, पैरा 3 और 4 के आदेश में निर्दिष्ट मामलों का विवरण धारा 143 की उप–धारा(11) में विनिर्दिष्ट किया गया है :–

i. (क) कम्पनी ने मात्रा संबंधी विवरणों एवं अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित अभिलेखों का उचित रिकॉर्ड बना रखा है।

(ख) वर्ष 2017–18 के लिए मुख्यालय में आयोजित कंपनी की अचल संपत्तियों को वर्ष के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, और इस तरह के सत्यापन पर कोई भी सामग्री विसंगति(यों) की सूचना नहीं दी गई है, जो हमारे अभिमत में उचित है जो कंपनी के आकार, और अचल संपत्तियों की प्रकृति के संबंध में है। लेकिन हमें प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना स्थलों पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा ही किया गया है। हालाँकि, अचल संपत्तियों के ऐसे भौतिक सत्यापन के दस्तावेज हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए। इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इस तरह की अचल संपत्तियों के सत्यापन के बारे में सामग्री विसंगति (विसंगतियों) पर टिप्पणी कर सकें, जोकि इस तरह की अचल संपत्तियों के सत्यापन में पाई गई हैं।

(ग) सभी अचल सम्पत्तियों के अधिकार–पत्र कम्पनी के नाम पर हैं।

ii. कंपनी द्वारा कोई सूची नहीं रखी जाती है क्योंकि सभी अनुबंधों को टर्नकी आधार पर सामग्री के साथ ठेकेदारों को प्रदान किया जाता है, लेकिन कंपनी द्वारा दी गई सामग्री के सापेक्ष सुरक्षा अग्रिम के संबंध में ठेकेदारों के पास पड़ी रु. 44,85,71,500/– मूल्य की मालसूची का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

iii. हमें दी गई सूचना और जानकारी के आधार पर, कम्पनी ने ना ही कोई ऋण स्वीकृत किया और न ही कोई ऋण लिया। कम्पनी अधिनियम, 2013, अन्य पैरा की धारा 189 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कम्पनी संगठन से/अथवा अन्य पार्टियों तथा/कम्पनी से किसी प्रकार का आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं लिया है, इसलिये इस पैरा के आदेश लागू नहीं होते।

iv. कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत, कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण, निवेश की सुरक्षा की गारंटी अथवा इसके तहत धारा 185 / धारा 186 का उल्लंघन नहीं किया है।

v. हमें दी गई सूचना और जानकारी के आधार पर हमारी राय में, कम्पनी ने लोक–जन से कोई भी राशि जमा अथवा स्वीकार नहीं की है अतः जैसा कि भारतीस रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित है, धारा 73 तथा धारा 76 के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना हीं ये कम्पनी पर लागू होते हैं।

vi. चूँकि कम्पनी किसी भी वि–निर्माण गतिविधि को नहीं ले रही है, इसलिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाये रखने का सवाल लागू नहीं होता है।

vii. (क) चूँकि भविष्य निधि, आयकर बिक्री–कर, धन–कर, सेवा–कर, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक देय राशि को सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारी को नियमित तौर पर जमा करा दी और कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है। 31 मार्च 2018 को छः महीने से अधिक की अवधि के लिये बकाया के रूप में आयकर मांग के अलावा आयकर छूट, प्राधिकरण के आयकर अधिनियम, 1961 तहत धारा 143(3) के आकलन वर्ष 2013–14 हेतु 42,87,870 रूपये जो उस तारीख से छः महीने से अधिक के लिये उदत्त और बकाया राशि है जो इसे देय हो गया है। हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी ने ठेकेदार के कार्य से संबंधित पी.एफ और ई.एस.आई. की बकाया राशि को जमा करने के संबंध में प्रणाली और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।

(ख) कम्पनी के रिकॉर्ड और हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, कम्पनी पर किसी भी प्रकार का बिक्री–कर या संपत्ति कर या उत्पाद शुल्क या मूल्य–वर्धित कर या उप–कर या सीमा–शुल्क की राशि बकाया नहीं है। हालांकि, विवाद के कारण जमा नहीं किये गये आयकर, सर्विस–टैक्स तथा अन्य वैधानिक देय राशि, उसका विवरण निम्नवत है :–

देय का नाम	राशि लाख में	संबंधित अवधि	किस फोरम के तहत लंबित है
सर्विस टैक्स	5.29 प्लस दण्ड और ब्याज के बराबर राशि	अक्टूबर 2009 – सितम्बर 2010	केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील)
सर्विस टैक्स (सेनवैट क्रेडिट)	10.05 प्लस ब्याज	अप्रैल 2010 – मार्च 2012	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद
सर्विस टैक्स (दंड)	2.64 प्लस 2.64 दंड सहित	जनवरी, 2004	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई)	1.83	01.01.1997 से 31.07.2004	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर
भविष्य निधि	6.86	2004–2005 से 2008–09	भविष्य निधि ट्रिब्यूनल, दिल्ली

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश से विद्युत की बकाया राशि	12.32	जून, 2013	जिला उपभोक्ता फोरम, ग्रेटर नोएडा

(ग) हमें सुलभ करायी गई सूचना एवं विवरणों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 तक वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में किसी भी राशि को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

viii. जब से कम्पनी स्वामित्व में आई हे तब से कम्पनी ने किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक अथवा डिबेंचर होल्डर से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है। अतः कम्पनी पर यह पैरा लागू नहीं होता।

ix. कम्पनी ने अब तक आद्य लोक प्रस्ताव या पुनः लोक प्रस्ताव और शर्तों द्वारा ऋण के माध्यम से कोई भी पैसा (ऋण साधनों सहित) नहीं उठाया है, अतः कम्पनी पर यह पैरा लागू नहीं होता।

x. कई लेन–देन से जुड़े दो धोखाधड़ी की सूचना दर्ज की गई हैं जिसमें कम्पनी के कुछेक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिप्त होने की सूचना मिली हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में अभी तक की गई धोखाधड़ी की राशि 301.07 लाख (241.52 रूपये तथा 59.55 लाख रूपये) का पता चला है। यह मामला अभी नोएडा पुलिस के समक्ष विचाराधीन है। बैंक खातों के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया में, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सैक्टर–1, नोएडा के साथ कम्पनी के बैंक खाते में कुछ अज्ञात प्रविष्टियां / धोखाधड़ी का लेन–देन देखा गया था तथा यह मामला अभी जांचाधीन है।

xi. हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 2013 के तहत, आपेक्षित अनुमोदन मेनडेटिड द्वारा कम्पनी ने धारा 197, जोकि पठित अनुसूची–V के प्रावधानों के तहत अपना प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।

xii. कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है इसलिये सीएआरओ–2016 के आदेश के खण्ड–3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं हैं।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी का संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणी अनुसूची की टिप्पणी संख्या 20(xxiii) में संबंधित पार्टी के लेन–देन और विवरणों का खुलासा किया गया है।

xiv. वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी प्रकार के निजी शेयरों का आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट पुर्णतः या आंशिक तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचर्स का लेन–देन अथवा समीक्षाधीन नहीं हैं। तदनुसार, खण्ड–3(xiv) के आदेश कम्पनी पर लागू नहीं होते।

xv. हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में विनिर्दिष्ट नियमों के तहत, कम्पनी ने उसके साथ जुड़े हुये निदेशकों या व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर नकद या लेन–देन नहीं किया है।

xvi. भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम,1934 की धारा 45–1ए के तहत पंजीकृत किसी भी वस्तुओं का कारोबार अथवा कार्यकलापों का लेन–देन नहीं करती है। तदनुसार, खण्ड–3(xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

कृते एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

दिनांक : 27.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2 जो एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को स्टैन्डअलोन पर दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुये वर्ष का वित्तीय विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('' अधिनियम '') के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर धारा–143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के तहत रिपोर्ट

हमने एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड ('' कम्पनी '') की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी लेखा–परीक्षा के साथ संयोजन की उस तिथि तक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण लेखा–परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी के प्रबंधन की स्थापना और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड कम्पनी द्वारा स्थापित किये है, आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करने एवं मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है, आंतरिक वित्तीय की लेखा–परीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग को नियंत्रित करता है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और अपने व्यापार के रख–रखाव और उसके कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, कम्पनी की नितियों के पालन सहित, अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने, सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के रूप में कम्पनी अधिनियम,2013 के तहत आवश्यक माहौल एवं वातावरण तैयार करना है।

लेखा–परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने की है। हम वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्ग–दर्शक टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा के साथ गाइडेंस नोट अनुसार हमारे लेखा–परीक्षा का आयोजन तथा अंकेक्षण पर मानक, आई.सी.ए.ई. द्वारा जारी किये गये और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा–परीक्षा को प्रतिपादित करने एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को एक लेखा–परीक्षा के लिये लागू करने की गई है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई हैं। हमने द्वारा इस्तेमाल किये गये मानक एवं गाइडेंस टिप्पणियां उन्हें लेखा–परीक्षा में हमने नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के आधार पर प्रयोग किया गया है तथा इस योजना को कार्यान्वित करने कि क्या यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये तथा लेखा–परीक्षा प्रदर्शन करने में अगर इस तरह के नियंत्रण को सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित की जाती है। हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभाव के बारे में लेखा–परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने वाले मानक शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग को तैयार करने में हमने लेखा–परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की बारीकियों और दूरदर्शिता मद्देनजर मद्देनजर मारी लेखा–परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझदारी भी शामिल है जो जोखिम की एक सामग्री कमजोरी मौजूद आकलन, परीक्षण और मूल्यांकन जोखिम तथा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का मूल्यांकन, प्रक्रियाओं से चयनित लेखा–परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि, जो भी हो, इसमें वित्तीय बयान की सामग्री एवं गलत बयान के जोखिम का आकलन भी शामिल हैं। हम मानते हैं कि लेखा–परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा की राय में आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उचित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ और वित्तीय रिपोर्टिंग

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये बनाई गई है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है जोकि (1) यह कि, उचित विस्तार से, सही अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित है और काफी लेन–देन और कम्पनी की सम्पत्ति के स्वभाव को प्रतिबिंबित (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, यह कि लेन–देन में आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति के लिये दर्ज कर रहे हैं तथा आवश्यक अनुरूप और प्राप्तियों और व्यय को कम्पनी के केवल प्रबंधन प्राधिकरण और कम्पनी के निदेशक के अनुसार किया जा रहा है, जैसा कि (3) रोकथाम या अनधिकृत अधिग्रहण के समय का पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, कम्पनी की सम्पत्ति का स्वभाव है कि वित्तीय बयान पर एक सामग्री हो सकता है जिसका उल्लेख वित्तीय विवरणों में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय की निहित सीमाओं पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं की, मिली–भगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन तथा ओवर–राइड की संभावना सहित धोखाधड़ी के होने अथवा नहीं होने की स्थिति अथवा किसी भी त्रुटि के कारण गलत बयानों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अध्याधीन है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है इसलिए शर्तों में परिवर्तन की वजह से या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय (Opinion)

हमारे अभिमत में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कमजोर है, और आंतरिक रिपोर्टिंग के आवश्यक घटकों को देखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग में इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को सुधारने की आवश्यकता है जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्ट की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेख किया गया है।

कृते एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

दिनांक : 27.09.2018
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "3"

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 2017–18 के दौरान वार्षिक खातों का सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा किये गये ऑडिट पर दिशा–निर्देश / उप दिशा–निर्देश क्षेत्रों पर जांच हेतु टिप्पणी की है।

क्रम संख्या	दिशा–निर्देश / उप–दिशा–निर्देश	की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
क	**दिशा–निर्देश**		
1.	क्या कम्पनी का शीर्षक / लीज़ क्रमशः फ्री–होल्ड और लीज़–होल्ड प्रलेख क्रमानुसार है? यदि नहीं, तो कृपया बतायें किस भूमि का फ्री–होल्ड / लीज़–होल्ड शीर्षक क्षेत्र और उसके कार्य की डीड उपलब्ध नहीं है।	कम्पनी के पास ई–13 और ई–14, सैक्टर–1, नौएडा में दो लीज़–होल्ड प्लॉट हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 2518.13 वर्ग मीटर है। जैसा कि पट्टा समझौते के अनुसार इमारत का निर्माण करने के लिये विस्तारित अवधि 21.04.2017 को समाप्त हो गई है। कम्पनी ने ना तो इसके विस्तार के लिये आवेदन किया है और ना ही इमारत का निर्माण किया है।	लीज़ समझौते के कालातीत होने के कारण दिनांक 21.04.2017 को उल्लिखित संपत्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
2.	क्या वहाँ छूट के किसी भी मामलें / चाहे वे डेबिटों के बट्टे खातों / ऋणों / ब्याज इत्यादि, यदि हॉ तो कोई हो तो वहाँ के लिये और राशि शामिल की जाये।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के अधित्याग /कुल हानि का मामला नहीं बनता ।	– शून्य –
3.	सरकार और अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में स्वीकार किये जाने वाले माल एवं अन्य वस्तुओं का उचित रिकार्ड किया जाता है।	लागू नहीं, कम्पनी की वजह से अपने कारोबार की प्रकृति की किसी भी सूची को जारी नहीं करती है तथा कोई भी सम्पत्ति उपहार के रूप में सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त नहीं की है।	– शून्य –
ख	**उप–दिशा–निर्देश : शून्य**		

कृते एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2018

एच एस सी सी (इंडिया) लि.

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
I इक्विटी एवं देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधियां:			
(क) शेयर पूंजी	2	18,001,400	24,001,800
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3	1,702,337,777	1,958,523,317
(ग) विनिर्दिष्ट आरक्षित	4	8,968,923	5,315,523
2 अ–सामयिक देयताएं			
(क) अन्य दीर्घ–कालीन प्रावधान	5	50,835,814	50,205,638
(ख) दीर्घ–कालीन प्रावधान	6	87,012,999	74,124,532
3 वर्तमान देयताएं			
(क) ट्रेड भुगतान योग्य	7	7,418,541	4,100,791
(ख) (i) अन्य वर्तमान देयताएं	8	852,605,525	710,654,543
(ii) अन्य वर्तमान देयताएं – मंत्रालय/ग्राहक		27,094,206,229	20,036,845,875
(ग) अल्प–अवधि प्रावधान	9	207,584,211	188,596,538
कुल		**30,028,971,420**	**23,052,368,557**
II परिसंपत्तियां			
1 अ–सामयिक परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां	10		
(i) मूर्त		68185963	69,194,046
(ii) अ–मूर्त		624,673	712,784
(iii) बचाई गई अवशिष्ट परिसम्पत्तियां		165,441	165,440
(iv) विकास के तहत अमूर्त सम्पत्तियां		1,315,678	621,000
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	11	70,961,482	68,935,201
(ग) दीर्घ कालीन ऋण तथा अग्रिम	12	7,069,005	6,206,344
2 वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) ट्रेड प्राप्ति योग्य	13	1,303,433,673	782,706,548
(ख) (i) नकद तथा नकद समकक्ष	14	1,093,017,618	1,535,551,034
(ii) नकद तथा नकद समकक्ष (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		20,832,206,017	14,247,974,375
(ग) (i) अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम	15	200,244,142	332,490,433
(ii) अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		2,739,090,127	1,954,357,824
(घ) (i) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	16	189,747,515	218,939,852
(ii) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		3,522,910,087	3,834,513,676
कुल		**30,028,971,420**	**23,052,368,557**

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

ह0/–
भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.09.2018

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03555957

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह0/–
(प्रीति पंत)
निदेशक
संयुक्त सचिव (स्वा. और परि. कल्याण मंत्रालय)
डीआईएनः 08134305

ह0/–
(अजय सूरी)
उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	टिप्पणी सं0	2017-18		2016-17	
I. प्रचालनों से राजस्व					
क. किये गये कार्य की राशि			15,131,054,047		15,111,652,106
ख. अन्य आय	17		990,955,321		1,080,887,135
II. कुल राजस्व			**16,122,009,368**		**16,192,539,241**
III. व्यय :					
क. अनुबन्ध व्यय			14,168,461,403		14,318,204,253
ख. ब्याज श्रेय/सरकारी ग्राहकों के लिए भुगतान किया गया			888,276,574		908,772,970
ग. कर्मचारी लाभ व्यय	18		389,502,721		323,870,307
घ. प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	19		84,302,800		77,433,017
ड़. मूल्यह्रास एवं प्रतिशोधन व्यय	10		7,840,203		7,320,057
IV. कुल व्यय			**15,538,383,701**		**15,635,600,604**
V. अपवादी एवं असाधारण मदों से पहले लाभ (II - IV)			583,625,668		556,938,637
VI. अपवादी एवं असाधारण मद					
क) अपवादी मद					
गत–अवधि आय		-		8,961,852	
गत–अवधि व्यय		55,320		-1,529,652	
पहले वर्ष में अतिरिक्त लेखा		1,346,150	1,401,470	-2,758,883	4,673,317
ख) असाधारण मद			-		-
VII. कर पूर्व लाभ (V - IV)			582,224,198		561,611,954
VIII. कर व्यय :					
क. वर्तमान कर		209,579,390		207,633,040	
ख. गत वर्ष के कर		-		442,300	
ग. आस्थगित कर		(2,026,280)		(22,559,317)	
			207,553,110		185,516,023
IX. वर्ष हेतु लाभ (VII - VIII)			**374,671,087**		**376,095,931**
X. 100 रूपये के प्रति अर्जित प्रति इक्विटी शेयर	**20(XXVII)**				
मूलभूत अर्जित प्रति शेयर			2,081.34		1,566.95
प्रति शेयर कम की गई आमदनी			2,081.34		1,566.95

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

ह0/–
भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.09.2018

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03555957

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह0/–
(प्रीति पंत)
निदेशक
संयुक्त सचिव (स्वा. और परि. कल्याण मंत्रालय)
डीआईएनः 08134305

ह0/–
(अजय सूरी)
उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(राशि ₹ में)

विवरण		31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
(क) नकद प्रवाह प्रचालक कार्यकलाप			
कर पूर्व लाभ		582,224,198	561,611,954
समाशोधन हेतु:			
जोड़ें : कराधान (मूल्यह्रास)		7,840,203	7,320,057
जोड़ें : ई.एम.डी./एस.डी./डेबिटर्स हेतु प्रावधान		-	232,910
जोड़ें : परियोजना प्राधिकारियों को ब्याज भुगतान		888,276,574	908,772,970
जोड़ें : स्थायी परिसंपत्तियों के सकल भुगतान हेतु समाशोधन		-	2,870,894
जोड़ें : विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव नुकसान		28,219	1,228
जोड़ें : भर्ती परामर्श शुल्क हेतु प्रावधान		1,346,150	
घटाएं : दावा नहीं की गयी शेष राशियों का पुनरांकन		-	1,131,759
घटाएं : प्रावधान जिनकी आवश्यकता नही		15,898,932	241,465
घटाएं : जमें हुए मूल्यह्रास से समायोजित किया हुआ		-	2,870,894
घटाएं : स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		3,968	2,566
घटाएं : ग्राहक फण्ड पर ब्याज		888,276,574	908,772,970
घटाएं : पुनरांकन हेतु प्रावधान (लाभांश कर)		-	-
घटाएं : ब्याज आय		83,062,560	163,393,152
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालक लाभ (I)		**492,473,310**	**404,397,207**
समाशोधन हेतु:			
बढ़ोत्तरी/(कमी) – अन्य वर्तमान देयताओं में – मंत्रालय		6,678,710,594	2,153,481,043
बढ़ोत्तरी/(कमी) – अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं		630,176	38,935,532
बढ़ोत्तरी/(कमी) – दीर्घ–कालीन प्रावधान		12,888,467	14,230,797
बढ़ोत्तरी/(कमी) – प्रावधानं		35,401,079	212,343
बढ़ोत्तरी/(कमी) – अन्य वर्तमान देयताएं		141,950,982	107,755,579
बढ़ोत्तरी/(कमी) – भुगतान हेतु ट्रेड		3,317,750	983,592
बढ़ोत्तरी/(कमी) – कॉरपोरेट समाजिक दायित्व निधि		(2,347,000)	(8,345,000)
कुल बढ़ोत्तरी/(कमी)–वर्तमान देयताएं		**6,870,552,048**	**2,307,253,885**
बढ़ोतरी/(कमी) – प्राप्ति योग्य ट्रेड		(520,727,125)	357,940,433
बढ़ोतरी/कमी – अल्प–कालीन ऋण एवं अग्रिम		132,218,072	55,180,738
बढोतरी/कमी – अल्प–कालीन ऋण एवं अग्रिम – मंत्रालय ग्राहकों की ओर से		(784,732,303)	391,882,551
कमी : दीर्घ कालीन ऋण एवं अग्रिम		(862,661)	(503,568)
बढ़ोतरी/(कमी) – अन्य वर्तमान संपत्तियों पर – मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से		326,882,877	980,416,059
कमी – अन्य वर्तमान सम्पत्तियों में		18,664,088	(104,830,473)
कुल बढ़ोतरी / (कमी) – वर्तमान संपत्तियाँ		**(828,557,052)**	**1,680,085,740**
कार्यशील पूंजी में शुद्ध परिवर्तन (II)		6,041,994,996	627,168,145
प्रचालक कार्यकलापों से नकद राशि की उत्पत्ति (I+II)		**6,534,468,306**	**1,031,565,352**
घटायें : प्रत्यक्ष कर भुगतान		236,177,487	209,987,606
प्रचालक कार्यकलापों से कुल नकद प्रवाह (क)		6,298,290,819	821,577,746
(ख) निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाहः			
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री		7,000	15,872
जोड़ें : ब्याज प्राप्त किया गया (ग्राहक निधि)		872,997,285	825,824,448
जोड़ें : ब्याज प्राप्त किया गया (अपना निधि)		118,842,744	1,224,810,382
घटायें : परियोजना प्राधिकारियों को भुगतान किया गया ब्याज		509,626,814	908,772,970
घटायें : नये उपकरणों का प्रापण		7,441,708	14,401,778
निवेश कार्यकलापों से कुल नकद प्रवाह (ख)		**474,778,507**	**1,127,475,954**
(ग) वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाहः			
शेयर पूंजी का पुनः क्रय		(6,000,400)	-
आरक्षण में कमी		(489,572,636)	
भुगतान किये गये इक्विटी शेयरों पर लाभांश		(112,828,780)	163,846,425
जोड़ें : भुगतान किया गया लाभांश		(22,969,285)	33,355,277
वित्तीय कार्यकलापों से कुल नकद (ग)		**(631,371,101)**	**(197,201,702)**
कुल बढ़ोतरी / (कमी) – नकद और नकद के समांतर (क+ख+ग)		6,141,698,226	1,751,849,543
जोड़ें – वर्ष के शुरुवात में नकद		15,783,525,409	14,031,675,865
नकद वर्ष के अंत में		**21,925,223,635**	**15,783,525,409**
सारांश:			
नकद, वर्ष के अन्त में			
(क) हस्थगत नगद		4,873	4,873
(ख) बैंकों में शेष राशि			
- चालू खाते में		310,681,909	102,480,786
- जमा खाते में (< 3 माह)		116,800,320	1,433,065,375
- जमा खाते में (> 3 माह)		665,530,516	
	कुल (क)	**1,093,017,618**	**1,535,551,034**
मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से अन्य बैंकों में उपलब्ध राशि			
- बचत खाते में		705,220,100	1,612,370,226
- जमा खाते में (< 3 माह)		1,476,351,462	135,204,171
- जमा खाते में (> 3 माह)		18,650,634,455	12,500,399,978
	कुल (ख)	**20,832,206,017**	**14,247,974,375**
	कुल योग (क+ख)	**21,925,223,635**	**15,783,525,409**

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

ह0/–
भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.09.2018

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03555957

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

ह0/–
(प्रीति पंत)
निदेशक
संयुक्त सचिव (स्वा. और परि. कल्याण मंत्रालय)
डीआईएनः 08134305

ह0/–
(अजय सूरी)
उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

1. लेखा संबंधी आवश्यक नीतियाँ

I. कम्पनी के विषय में

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में एक मिनी रत्न (श्रेणी – 1 कंपनी) है, जो भारत एवं विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए परामर्श और क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पेशेवर सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में संलग्न है, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल हैं ; संकल्पनात्मक अध्ययन, प्रबंधन परामर्श, परियोजना प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और स्थापना, खरीद, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और इंजीनियरिंग और स्वस्थ्य देखभाल सुविधा डिजाइन।

II. तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (इंडियन जीएएपी) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 7, कंपनी (नियम) नियम, 2014 के नियम 7 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक के अनुपालन के लिए तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान, ऐतिहासिक आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को कंपनी द्वारा लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखा मानक शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए उपयोग में लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

III. अनुमान के उपयोग

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन द्वारा अनुमान और धारणाओं को अपनाया गया है, जो संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करती हैं, और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण, और रिपोर्ट की अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की मात्रा की जानकारी प्रदान करती है। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों और धारणाओं से अलग हो सकते हैं और इस तरह की विसंगतियाँ उस अवधि में चिन्हित की गईं हैं, जिसमें परिणाम ज्ञात हों/कार्यान्वित किए गए हैं।

IV. आगम मान्यता

विभिन्न गतिविधियों के संबंध में राजस्व की मान्यता हेतु नीतियां निम्नानुसार हैं :–

क) निर्माण संविदाओं पर (परियोजना प्रबंध)

i. कार्य पूर्णता को मूल्य प्रतिशत पूर्णता विधि के अनुसार मान्यता दी जाती है। मूल्य अनुबंधों में निर्धारित प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, और साथ ही वास्तव में कार्यान्वित किए गए मापने योग्य कार्य के आधार पर तथा रिपोर्टिंग तिथि तक आनुपातिक लाभ प्रतिशत के अनुसार जहां अनुबंध कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

ii. किये गये कार्यों का मूल्य / परामर्श शुल्क का निर्धारण प्राप्त उपलब्धियों / अनुबंध में निर्दिष्ट की गई प्रमात्रागत उपलब्धियों की प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

iii. वर्ष के अंत में, ऐसे कार्य जो किए तो गए हैं पर मापे नहीं गए हैं, उनकी गणना प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर की जाती है।

iv. परियोजनाओं के समय से पहले बंद होने / समाप्त किए जाने के मामले में, परियोजना के प्रभारी अभियंता द्वारा सहमति प्राप्त पिछले अनुभव के आधार पर राजस्व केवल अनुबंध के उस हिस्से की सीमा तक ही मान्य किया जाता है, जिसकी वसूली संभव है।

v. जमा और / अथवा लागत तथा अनुबंध के मामले में, राजस्व ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों पर खर्च की गई लागत के आधार पर, उसमें निर्दिष्ट लाभ के आनुपातिक प्रतिशत के अनुसार मान्यता दी गई है।

vi. अतिरिक्त/प्रतिस्थापित वस्तुओं के लिए दावा का मूल्य मद दर के आधार पर और परियोजना के प्रभारी अभियंता द्वारा प्राप्य अन्य दावों के पिछले अनुभव के आधार पर माना गया है।

ख) प्रापण पर

i. ग्राहक के साथ हुए समझौते में निर्धारित कार्य/स्तरों के लिए प्राप्त शुल्क के संबंध में प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार पर राजस्व (फीस) को आय के रूप में माना गया है।

ii. ऐसे मामलों में, जहां परामर्श शुल्क हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले बिल के स्तरों को, ग्राहकों के साथ हुए समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, वहाँ इसे निम्न तौर पर आय के रूप में माना गया है:

– आपूर्ति आदेश के कार्यादेश देने पर – कुल शुल्क का 70 प्रतिशत

– उपस्करों की आपूर्ति / स्थापना पर – शेष शुल्क का 30 प्रतिशत

ग) **डिजाइन इंजीनियरिंग / शिक्षण / डी.पी.आर. / समझौता ज्ञापन / प्रशिक्षण / सूचना तकनीकी पर**

ग्राहकों के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार, और संबंधित प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित शुल्क के संबंध में प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार पर राजस्व को आय के रूप में माना गया है।

ड़) **साधारण**

i) जहां परियोजना की लागत में संशोधन हो, वहाँ संशोधन के वर्ष में लागत में राजस्व प्रभाव (फीस) को परिलक्षित किया गया है।

ii. जहां परामर्श शुल्क के विरुद्ध संग्रहण अग्रिम प्राप्त होने की दशा में, ग्राहक के साथ समझौते में निर्धारित अनुसार, विभिन्न चरणों के सापेक्ष इसे समान रूप से समायोजित किया जाता है।

iii. यदि अग्रिम शुल्क, स्तर भुगतान का हिस्सा है, तो इसे अनुबंध में निर्दिष्ट अनुसार अगली अवस्था के पूर्ण होने के साथ आय के रूप में माना गया है।

ढ़) **ब्याज (Interest)**

ग्राहकों से प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज की गणना ब्याज आय के तौर पर की जाती है। ग्राहकों को किया गया भुगतान/अर्जित ब्याज को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

V. मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां

क. स्थायी संपत्तियां

i. मूर्त संपत्तियां

मूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण लागत, कुल संचित मूल्यह्रास, और संचित हानि नुकसान, यदि कोई हो, के अनुसार उल्लेख किया गया है। मूर्त संपत्तियों के संबंध में उनकी सीधी अधिग्रहण लागत को पूंजीकृत किया गया है। स्थायी संपत्ति के किसी मद से संबंधित व्यय को व्यय की बहियों के मूल्य में तभी जोड़ा जाता है, जब वे मौजूदा संपत्ति से भविष्य के लाभों को बढ़ाते हैं, और प्रदर्शन के पहले मूल्यांकन किए गए मानक से परे हैं।

ii. अन–उपयुक्त / अन–उपयोगी संपत्तियां

सक्रिय उपयोग से विरत हो चुकी अचल संपत्तियों के मद, और निपटान के लिए रखे गए मद को, उनके शुद्ध बही मूल्य के निचले स्तर में और कुल प्राप्य मूल्य पर दर्शाये गए हैं, और अलग–अलग तौर पर 'त्याग संपत्ति' के रूप में दिखाए गए हैं।

iii. अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को इसकी अधिग्रहण की लागत, कुल संचित ऋण परिशोध, और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर दर्शाया गया है। लागत में क्रय लागत (छूट और रियायम को घटाकर), और संपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए किसी भी सीधे तौर पर सम्मिलित लागत शामिल है।

ख. मूल्यह्रास

क. मूर्त परिसंपत्तियां

i. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में निर्धारित दरों एवं तरीके से लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यह्रास निर्धारित किया गया है। वर्ष के दौरान 5,000/– रुपये तक की प्रत्येक सम्पत्ति की खरीद के मूल्य को क्रय वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है।

II. पट्टा भूमि का पट्टा अवधि के समय परिशोधन अनुपातिक रूप से किया जाता है।

ख. अमूर्त परिसंपत्तियां

i. अमूर्त सम्पत्तियों की लागत को लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर 3 वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

ii. वर्ष में 5000/– रुपये से कम राशि के सॉफ्टवेयर की लागत को उसी वर्ष में पूर्ण रूप से परिशोधित कर दिया जाता है।

VI. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि की 20,000/– रुपये प्रत्येक से अधिक की आय / व्यय को पूर्व वर्षों की आय / व्यय के रूप में मान्य किया जाता है एवं यथोचित उल्लेख किया जाता है।

VII. पूर्वदत्त व्यय

आगामी वर्षों से संबंधित 20,000/– रुपये तक के प्रत्येक व्यय को चालू वर्ष में मान्य किया जाता है। 20,000/– रुपये से अधिक के व्यय को पूर्वदत्त व्यय माना जाता है।

VIII. कर्मचारी हित–लाभ (सेवा–निवृत्ति / सेवा–निवृत्ति पश्चात)

क. अल्प–कालिक लाभ

कर्मचारियों के अल्प–अवधि वेतन, भत्ते और कार्यप्रदर्शन से संबंधित लाभों को प्रदान करने पर किये गये व्ययों को उस संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

I. गृह निवास हेतु छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत

कंपनी के पास इसके कर्मचारियों को उनके घर और आश्रितों से मिलने जाने के लिए छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत योजना है। यह योजना अनिधिक है और मूल भुगतान के आधार पर इसे लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

ख. दीर्घ–कालिक योजना (परिभाषित योगदान):

परिभाषित योगदान योजनाएं वे योजनाएं हैं, जहां कंपनियां भविष्य निधि, पेंशन निधि इत्यादि के योगदान का निश्चित प्रतिशत का भुगतान करती हैं।

I. चिकित्सा सुविधा

कंपनी के पास चिकित्सा लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना को कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसे एक अलग ट्रस्ट, अर्थात् 'एच.एस.सी.सी. कर्मचारी मेडिकल फंड ट्रस्ट' द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ट्रस्ट में अंशदान को लाभ और हानि खाते में भुगतान के आधार पर दर्शाया जाता है।

II. पेंशन योजनाएं

परिभाषित अंशदायी योजनाओं, जैसे कि अधिवर्षिता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना इत्यादि में अंशदान, अंशदान के रूप में किए जाने वाले योगदान की मात्रा के आधार पर, कर्मचारियों द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सापेक्ष प्रदान की जाने वाली राशि के आधार पर एक व्यय के रूप में माना जाता है। भविष्य निधि के नियोक्ता के हिस्से से कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान दिया जाता है। उपर्युक्त योजना में अंशदान कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवश्यक अंशदान की मात्रा के आधार पर व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

III. भविष्य–निधि

पीएफ ट्रस्ट द्वारा प्रशासित एक ट्रस्ट (न्यास) में भविष्य निधि अंशदान दिया जाता है। ट्रस्ट के सदस्यों को देय ब्याज दर, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत केंद्र सरकार द्वारा घोषित ब्याज की सांविधिक दर से कम नहीं होगी, और यदि न्युनता हो तो कंपनी द्वारा इसे वहन किया जाएगा ।

ग. दीर्घ–कालिक योजनाएं (परिभाषित योगदान)

I. उपदान

कंपनी उपदान (ग्रेच्युटी), मुआवजा अनुपस्थिति के रूप में सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ भी प्रदान करती है। इस तरह की परिभाषित लाभ की योजनाओं के संबंध में तुलन–पत्र की तिथि के आधार पर समूह की देयता का मूल्यांकन, स्वतंत्र लेखपालकों द्वारा प्रोजेक्टेड क्रेडिट विधि द्वारा किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में सभी वास्तविक लाभ एवं हानियों का उल्लेख वर्ष में लाभ एवं हानि के उन विवरणों में किया गया है, जिस वर्ष में वे अर्जित हुये हैं।

कंपनी में परिभाषित उपदान हित–लाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पाँच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 गुणा अंतिम आहारित मूल वेतन व महंगाई भत्ता) पर उपदान प्राप्त करने का हकदार है, जिसकी अधिकतम राशि 10 लाख रुपये (गत वर्ष 10 लाख रुपये) अधिवर्षिता (Superannuation), त्यागपत्र (Resignation), अक्षमता, या मौत पर देय होती है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है एवं इसे एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसका नाम 'एच एस सी सी – कर्मचारी उपदान फंड ट्रस्ट' है। कंपनी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप–ग्रैच्युटी–एवं–जीवन बीमा योजना ली गई है। जितनी राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देनी होती है उतनी राशि की देयता मान्य की जाती है, जिसकी गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट प्रणाली आधारित एक्युरियल वैल्यूवेसन के माध्यम से वार्षिक आधार पर की जाती है।

II. छुट्टी नकदीकरण (Leave Encashment)

अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश (अस्वस्थता छुट्टी) के लिए, कंपनी ने मुआवजा देयता हेतु एक परिभाषित लाभ अवकाश नगदीकरण योजना अपनाई है। यह योजना अनिधिक है तथा इसे प्रावधान के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है, जिसकी देयता की गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट प्रणाली आधारित एक्चुरियल वैल्यूवेसन के माध्यम से वार्षिक आधार पर की जाती है। नये तौर पर नियुक्त कर्मचारी के पिछले संगठन से प्राप्त राशि को प्राप्ति के वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में जमा किया जाता है।

IX. उपलब्धि संबंधित आय

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों (3 वेतन संशोधन समिति की रिपोर्ट) के क्रम में, कर्मचारी के कार्यप्रदर्शन संबंधित वेतन हेतु देयता प्रदान की जाती है, अर्थात 65 प्रतिशत के सकल हेतु पीबीटी का 5 प्रतिशत, पीबीटी के 3.25 प्रतिशत और सकल न्यून के 35 प्रतिशत का 5 प्रतिशत, अर्थात 1.75 प्रतिशत पीबीटी, या वेतनवृद्धि लाभ, को अधिकारियों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत पीबीटी और गैर–अधिकारियों के लिए अतिरिक्त देयता के रूप में प्रदान की जाती है।

X. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेन–देन को उस तिथि को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया जाता है। मुद्रा विनिमय दरों में आने वाली उतार–चढ़ाव से उत्पन्न लाभ/हानि को या तो निबटान के आधार पर अथवा अंतरण के आधार पर लाभ और हानि लेखा में दर्ज किया जाता है। जहां ऐसे लेनदेन ग्राहकों की तरफ से होते हैं, वहाँ लाभ/हानि संबंधित ग्राहकों के खातों में अंतरित की जाती है।

XI. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान और विकास पर राजस्व व्यय को उस वर्ष में खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है, जिसमें यह खर्च किया जाता है। अनुसंधान के संदर्भ में, क्रय की गई अचल परिसंपत्तियों को पूँजीकृत किया जाता है तथा लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर उनके उपयोगी जीवन काल के अनुसार मूल्यह्रासित किया जाता है।

XII. कराधान हेतु प्रावधान

कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर वर्तमान आयकर का मापन किया जाता है। आस्थगित आयकर वर्ष के लिए करयोग्य आय और लेखांकन आय के बीच वर्तमान वर्ष के समय अंतर के प्रभाव को दर्शाते हैं, और जो पिछले वर्षों / अवधि के समय के अंतर के विपरीत होते हैं। आस्थगित कर संपत्तियां केवल उस सीमा तक दर्ज की जाती हैं, कि ऐसी पर्याप्त भविष्य करयोग्य आय उपलब्ध हो सके, जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर संपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं।

XIII. देयताएं / प्रावधान जिनकी दीर्घकालीन आवश्यकता नहीं

पिछले चार वर्षों या उससे अधिक के लिए बकाया प्रावधानों/देयताओं को जिन्हें तुलन पत्र की तिथि के अनुसार अब आवश्यक नहीं है/भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें प्रतिलेखित किया गया है। उस तिथि के बाद उत्पन किसी दावे को, यदि कोई हो, उस वर्ष के दावे में प्रभारित किया जाता है।

XIV. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

आकस्मिक देयता के लिए ऐसे प्रावधान तब अपनाए जाते हैं जब कंपनी के पास कुछ पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है; यह संभव है कि इस तरह के दायित्व को सुलझाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता है। इन्हें प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है, और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने अथवा गैर–घटना द्वारा पुष्टि की जाएगी, जो कि कंपनी या वर्तमान दायित्व के नियंत्रण से बाहर होती हैं, और यह संभाव्य नहीं है कि इस तरह के दायित्व को सुलझाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक देयता बहुत ही दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होती है, जहां ऐसी देयता होती है उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। आकस्मिक देयताएं प्रकट तो की जाती हैं पर इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। आकस्मिक संपत्ति न तो स्वीकार्य है और न ही इन्हें प्रकट किया जाता है।

XV. संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान

बकाया ऋण जो उनकी परिपक्वता अवधि के 3 साल तक एकत्र नहीं किए जाते हैं, इनकी समीक्षा की जाएगी और प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध ऋण हेतु खातों बहियों में इनका प्रावधान किया जाएगा। ऐसे बकाया जो सभी प्रयासों के बाद वसूल नहीं किए जा सके हैं, उन्हें निदेशक मंडल की मंजूरी के उपरांत बट्टे–खाते में डाल दिया जाता है। अन्य ऋणों के लिए, वसूली की अनिश्चितता होने पर प्रावधान किया जाता है। प्राप्ति के वर्ष के दौरान इन लेखों में भविष्य की किसी भी वसूली को कंपनी की आय के रूप में माना जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरण टिप्पणियां

विवरण	31.03.2018 तक		31.03.2017 तक	
	(शेयर्स की संख्या)	(राशि रु0 में)	(शेयर्स की संख्या)	(राशि रु0 में)
2. शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
प्रति 100 रुपये के साधारण शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
(ख) जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रति 100 रुपये के साधारण शेयर (वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान जारी किए गए पूर्णतया भुगतानित बोनस शेयर 1,20,009 (संख्या) तथा वर्ष 2008–09 के दौरान 8006 (संख्या) जिसका कुल 200015 (संख्या) और 60,004 शेयरों की वापस–खरीदी अर्थात वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतानित शेयरों का 25 प्रतिशत	240,018	24,001,800	240,018	24,001,800
(ग) वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधानः				
वर्ष के प्रारंभ में	240,018	24,001,800	240,018	24,001,800
वर्ष के अन्त में	180,014	18,001,400	240,018	24,001,800

विवरण	31 मार्च, 2018 तक		31 मार्च, 2017 तक	
(घ) शेयरधारक कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखते हैं:				
शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भारत का राष्ट्रपति (भारत के राष्ट्रपति के नामितियों की ओर से आरक्षित 36 (संख्या) शेयर्स सहित)	180,014	100.00%	240,018	100%

विवरण	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2017 तक
(ड.) आरक्षित निधि के पूंजीकरण द्वारा जारी किए गए पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस सामान्य (इक्विटी) शेयरों का विवरणः		
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
2003-04	120,009	120,009
2008-09	80,006	80,006
कुल	**200,015**	**200,015**

विवरण	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2017 तक
(च) शेयरों की पूर्व खरीदारी का विवरणः		
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
2017-18	60,004	-
कुल	**60,004**	**-**

विवरण	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2017 तक
(छ) शेयरों की पूर्व खरीदारी का विवरणः		
सामान्य (इक्विटी) शेयरः	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
1. प्रति 100 रुपये के अवधि की शुरुआत में शेष बचे शेयर घटाएं: शेयरों की पूर्व खरीदारी	240,018 60,004	240,018 -
2. प्रति 100 रुपये के अवधि के अंत में शेष बचे शेयर	180,014	240,018

विवरण	31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2017 तक
3 आरक्षित एवं अधिशेष		
(क) सामान्य आरक्षित		
वर्ष के शुरुवात में	319,553,727	299,553,727
जोड़े : लाभ एवं हानि विवरण में सरप्लस से अंतरित	20,000,000	20,000,000
घटाएं : पूंजी प्रतिदान–आरक्षण का सृजन	6,000,400	-
	333,553,327	**319,553,727**

(राशि रु0 में)

विवरण			31 मार्च, 2018 तक		31 मार्च, 2017 तक
ख)	लाभ और हानि के विवरणों में अधिशेष–शेष		1,638,969,590		1,418,671,724
	साल की शुरुआत में				
	जोड़े : वर्ष के लिए लाभ		374,671,087		376,095,931
	विनियोग :				
	घटाएं : (क) सामान्य आरक्षितों को हस्तांतरित		20,000,000		20,000,000
	(ख) प्रस्तावित लाभांश (शुद्ध लाभ का 30%)				
	पिछले वर्ष (शुद्ध लाभ का 30%)		112,401,326		112,828,780
	(ग) प्रस्तावित लाभांश पर कर		22,882,265		22,969,285
	(घ) बैंक रेमिटेंस खरीदें		489,572,636		
		कुल (ख)	1,368,784,450		1638,969,590
		कुल (क+ख)	**1,702,337,777**		**1,958,523,317**
4.	**विनिर्दिष्ट आरक्षित**				
क)	निगमित सामाजिक दायित्व फण्ड*				
	अथ–शेष		2,347,423		10,692,423
	जोड़ें : वर्ष के लिए अंशदान		12,065,000		10,798,000
	जोड़ें : वर्ष 2014–15 हेतु अल्प–अंशदान		-		-
		कुल	**14,412,423**		**21,490,423**
	घटायें : वर्तमान वर्ष के सी.एस.आर. खर्चे				
	स्वच्छ गंगा निधि के तहत स्वच्छ भारत कोष एसटीसी, हिसार			(9,412,000)	(10,798,000)
	केंन्द्र, हरियाणा (भारतीय खेल प्राधिकरण) का निर्माण/उन्नयन		(2,653,000)		
	घटाएं: वर्तमान वर्ष के सी.एस.आर. खर्चे				
	अल्मिको			(3,345,000)	
	भारतीय खेल प्राधिकरण				(5,000,000)
	एसटीसी, हिसार केंद्र, हरियाणा (भारतीय खेल प्राधिकरण) का निर्माण/उन्नयन		(2,347,000)		-
	बैलेंस फंड			423	2,347,423
ख)	अनुसंधान और विकास फंड			1,677,200	1,677,200
ग)	सतत विकास फंड			1,290,900	1,290,900
घ)	पूंजी प्रतिदान–आरक्षण			6,000,400	
		कुल		**8,968,923**	**5,315,523**
5	**अन्य दीर्घ–कालीन देयताएँ**				
	प्रतिधारण राशि – ठेकेदारों से			50,835,814	50,205,638
		कुल		**50,835,814**	**50,205,638**
6	**दीर्घ–कालीन प्रावधान**				
	कर्मचारी के हित–लाभ हेतु प्रावधान (छुट्टी नकदीकरण)			87,012,999	74,124,534
		कुल		**87,012,999**	**74,124,534**
7	**वर्तमान देयताएँ:**				
	भुगतान योग्य ट्रेड (माल और सेवाएं)			7,418,541	4,100,791
		कुल		**7,418,541**	**4,100,791**
8	**अन्य वर्तमान देयताएँ**				
	ग्राहकों से जमा			460,557,969	402,913,044
	ग्राहकों की ओर से भुगतान योग्य ट्रेड			32,888,934	39,097,488
				493,446,903	**442,010,532**
	ग्राहकों की ओर से अग्रिम–शुल्क			121,136,126	74,075,516
	भुगतान योग्य कर			152,208,432	82,462,829
	बयाना जमा			58,919,922	85,649,538
	कर्मचारी को भुगतान योग्य			7,865,625	9,129,966
	भुगतान योग्य खर्चे			1,303,310	2,224,828
	बुक ओवरड्राफ्ट			-	15,101,334
	अन्य भुगतान योग्य			17,725,207	-
		कुल		**852,605,525**	**710,654,543**

(राशि रु0 में)

विवरण		31 मार्च, 2018 तक	31 मार्च, 2017 तक
	मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से		
	भुगतान योग्य ट्रेड	3,866,935,707	1,870,804,035
	प्रतिधारण राशि	1,483,212,104	1,225,540,167
	ग्राहकों की ओर से जाम:-		
	जमा शेष राशि	13,799,420,882	8,906,323,613
	जमा राशि पर ब्याज	3,705,514,704	3,326,864,944
		17,504,935,586	**12,233,188,557**
	संविदा खर्चों हेतु अनंतिम देयताएं	3,225,834,628	3,882,664,712
	बुक ओवरड्राफ्ट*	1,013,288,205	824,648,404
	कुल	**27,094,206,229**	**20,036,845,875**
	*जारी किये गये चैकों के कारण बुक ओवरड्राफ्ट, जो सावधि जमा के तहत समाप्त हो जायेंगे।		
9	**अल्पावधि प्रावधान**		
	पीआरपी हेतु प्रावधान	36,780,691	49,225,700
	कर्मचारियों के हित–लाभ हेतु प्रावधान (ग्रेच्युटी)	28,802,589	-
	मेडिकल ट्रस्ट को भुगतान योग्य	-	
	कर्मचारियों के हित–लाभ हेतु प्रावधान (छुट्टी नकदीकरण	6,717,340	3,572,773
	लाभांश के लिए प्रावधान	112,401,326	112,828,780
	लाभांश वितरण कर हेतु प्रावधान	22,882,265	22,969,285
		135,283,592	135,798,065
	कुल	**207,584,211**	**188,596,538**

टिप्पणी संख्या–10

(रुपयों में)

	वित्तीय वर्ष 2017–2018 हेतु मूल्यह्रास										
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	सकल मान				मूल्यह्रास					निवल मान	
विवरण मूर्त सम्पत्तियां : कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार	01 अप्रैल 2017 को	वर्ष के दौरान जोड़	इस वर्ष बिक्री /समाशोधन	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को	2017–18 वर्ष हेतु	समाप्त की गई सम्पत्तियां	वर्ष के दौरान समाशोधन	वर्ष के दौरान समाशोधन	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
भवन	34,007,044		-	34,007,044	18,260,801	1,560,952	-		19,821,753	14,185,292	15,746,243
फर्नीचर और फिटिंग्स	18,937,120	2,945,746	-	21,882,866	10,398,442	2,371,016	-		12,769,458	9,113,408	8,538,678
कार्यालय उपस्कर	19,047,141	643,634	20,000	19,670,775	15,218,390	950,699	-	16,968	16,152,121	3,518,653	3,828,751
मोटर वाहन	1,148,477	-	-	1,148,477	884,100	72,909	-		957,009	191,468	264,377
कम्प्यूटर्स तथा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	18,892,916	2,927,582	-	21,820,498	16,424,619	2,070,166	-		18,494,785	3,325,713	2,468,290
उप–योग – क	**92,032,698**	**6,516,962**	**20,000**	**98,529,660**	**61,186,352**	**7,025,743**	**-**	**16,968**	**68,195,127**	**30,334,534**	**30,846,338**
मूर्त सम्पत्तियां :											
भवन–पट्टे की भूमि पर*	44,665,262	-	-	44,665,262	6,317,553	496,281	-	-	6,813,834	37,851,429	38,347,709
अ–मूर्त सम्पत्तियां:											
सॉफ्टवेयर	2,354,201	230,068	-	2,584,269	1,641,416	318,180		-	1,959,596	624,673	712,784
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	621,000	694,678	-	1,315,678	-	-		-	-	1,315,678	621,000
उप–योग – ख	**47,640,463**	**924,746**	**-**	**48,565,209**	**7,958,969**	**814,461**	**-**	**-**	**8,773,429**	**39,791,779**	**39,681,494**
वर्तमान वर्ष का योग	**139,673,161**	**7,441,708**	**20,000**	**147,094,868**	**69,145,321**	**7,840,203**	**-**	**16,968**	**76,968,557**	**70,126,313**	**70,527,832**
गत वर्ष का योग	128,195,276	14,401,778	2,923,894	139,673,160	64,735,859	7,320,057	184,077	2,726,511	69,145,328	70,527,831	63459417

टिप्पणी :– :-

* लगभग 90 वर्षों तक पट्टे पर ली गई भूमि– 1996: 57,49,075/– रूपये में तथा 2006: 3,89,16,187/– रूपये की राशि को अनुपातिक रूप से प्रत्युत्सर्जन (Amortisation) किया जा रहा है।

	विवरण		31.03.2018 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2017 तक (राशि रुपयों में)
11.	**आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)**				
	आस्थगित कर संपत्तियों का निवल		70,961,482		68,935,202
			70,961,482		**68,935,202**
12.	**दीर्घ–कालीन ऋण एवं अग्रिम**				
	आरक्षित – असंदिग्ध समझे गए				
	– कर्मचारियों का अग्रिम				
	– यातायात अग्रिम (वाहन पर प्रभारी द्वारा सुरक्षित)		2,160,072		1,104,572
	– हाऊस बिल्डिंग अग्रिम		313,718		541,718
	(कम्पनी द्वारा आयोजित कन्वेएन्स डीड द्वारा सुरक्षित)				
	ग्राहक द्वारा सुरक्षित कटौती		2,666,227		2,666,226
	सुरक्षा जमा राशि				
	असंदिग्ध समझे गए	1,928,988.27	1,928,988		1,893,828
	संदिग्ध समझे गए	77,910			77,910
	घटायें : प्रावधान	(77,910)			(77,910)
			-		
	कुल		**7,069,005**		**6,206,344**
13.	**प्राप्ति योग्य ट्रेड**				
	निम्न अवधि से बकाया ऋण छः माह से अधिक :				
	- रक्षित		-		-
	- अरक्षित				
	- असंदिग्ध समझे गए		535,391,733		380,545,019
	- संदिग्ध समझे गए		72,272,054		72,272,054
	घटाएं: संदिग्ध नामों हेतु प्रावधान		72,272,054		72,272,054
			-		-
	अन्य ऋण – असंदिग्ध समझे गए		768,041,940		402,161,529
	कुल		**1,303,433,673**		**782,706,548**
14	**नकद एवं नकद तुल्यांक**				
	(क) हस्तगत नकद		4,873		4,873
	(ख) बैंकों के चालू खातों में शेष :		310,681,909		102,480,786
	(ग) अन्य बैंक खातों में शेष :				
	– 3 महीने से कम परिपक्व अवधि वाली निश्चित जमा रसीद	116,800,320		1,336,212,125	
	(घ) 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधी जमा रसीद	665,530,516		96,853,250	
			782,330,836		1,433,065,375
	कुल		**1,093,017,618**		**1,535,551,034**
14.	**मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से बैंक खातों में शेष**				
	(क) बैंकों के बचत खातों में शेष		705,220,100		1,612,370,226
	(ख) अन्य बैंक खातों में शेष				
	- 3 महीने से कम परिपक्वता अवधि वाली निश्चित जमा रसीद	1,476,351,462		135,204,171	
	(ग) 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली निश्चित जमा	18,650,634,455	20,126,985,917	12,500,399,978	12,635,604,149
	कुल		**20,832,206,017**		**14,247,974,375**

	विवरण		31.03.2018 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2017 तक (राशि रुपयों में)
15.	**अल्पावधि ऋण और अग्रिम**				
	अनारक्षित, स्वीकार किये अन्यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त–				
	*कर्मचारियों के अग्रिम:				
	- यात्रा अग्रिम		1,140,512		252,962
	- कर्मचारियों से प्राप्ति–योग्य अग्रिम		1,894,745		2,157,452
	- ग्राहकों की ओर से प्राप्ति–योग्य (ग्राहक की जमा राशि में 20,33,33,738 रुपये की सीमा तक सुरक्षित)		184,958,655.49		313,902,111
	ग्राहकों की ओर से प्राप्त करने योग्य				
	- ग्राहकों की ओर से जमा (संदिग्ध समझे गए)	1,301,053		1,301,053	
	घटाः प्रावधान	(1,301,053)	-	(1,301,053)	-
	नकद या प्रकार या मूल्य प्राप्त करने के लिए अग्रिम पुनप्राप्ति योग्य और/या समायोजित करने के लिए				
	- सप्लायरों का अग्रिम	1,245,109		231,767	
	- प्रीपेड खर्चे	549,546		608,776	
	- अन्य	10,455,575	12,250,230	4,337,342	5,177,885
	संदिग्ध समझे गए	155,000		155,000	
	घटाएंः संदिग्ध	(155,000)	-	(155,000)	-
	प्राप्ति योग्य सैनवेट				11,000,023
	कुल		**200,244,142**		**332,490,433**
	मंत्रालय ग्राहकों की ओर से				
	ठेकेदारों का अग्रिम		816,948,639		215,903,179
	ठेकेदारों को लामबंदी अग्रिम – बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित				
	सामग्री के विरुद्ध सुरक्षित अग्रिम		448,571,500		376,624,471
	प्रगतिशील ठेकेदारों का अग्रिम (वर्तमान बिलों के तहत समाशोधित)		728,224,571		974,374,290
			1,993,744,710		1,566,901,940
	अग्रिम/जमा				-
	प्राप्ति–योग्य एन ए एम पी – कोर्ट में जमा		170,000,000		170,000,000
	दूसरों से प्राप्य		575,345,417		217,455,884
	कुल		**2,739,090,127**		**1,954,357,824**
16.	**अन्य वर्तमान सम्पत्तियां**				
	अर्जित ब्याज जो दे नहीं है				
	- बैंकों में जमा राशियों पर		62,771,282		99,463,633
	- स्टाफ को दिए गए ऋणों और पेशगियों पर		1,713,459		801,304
	प्राप्ति योग्य ब्याज		35,729,380		35,729,380
	समाप्ति कार्य की राशि (सदिग्ध परामर्श–शुल्क)		25,880,690		46,536,787
	सेवा कर अपील के तहत जमा		434,220		407,776
	सेवा–निवृत कर्मचारियों का रिकवर योग्य		77,451		18,485
	राजस्थान जीएसटी प्राप्य की वापसी		560,449		-
	आयकर विभाग प्राप्त योक्य राशि				
	वित्तीय वर्ष - 2005-06		5,835,000		5,835,000
	वित्तीय वर्ष - 2006-07		330,850		330,850
	अनुशंसी लाभ पर प्राप्ति–योग्य कर		196,481		196,481
	आयकर विभाग से रिकवर योग्य		56218253.17		29,620,156
	कुल		**189,747,515**		**218,939,852**
	- मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से				
	- बैंक में जमा राशियों पर				
	ब्याज प्रोद्भूत किन्तु देय नहीं		297,075,459		281,796,171
	समाप्त कार्य की राशि (संदिग्ध)		3,225,834,628		3,552,717,505
	कुल		**3,522,910,087**		**3,834,513,676**

विवरण		31.03.2018 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2017 तक (राशि रुपयों में)	
17.	ग्राहक निधि पर ब्याज आय	888,276,574		908,772,970	
	जमा राशि पर ब्याज (एच एस सी सी फंड)	79,079,570	967,356,143	163,230,621	1,072,003,591
	स्टॉफ ऋणों पर ब्याज		933,708		162,531
	बिलंबित प्राप्तियों पर ब्याज आय		3,049,282.00		
	दावा नहीं किए गए शेष की वापसी		-		1,131,759
	पुनः हिसाब में लिए गए प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है		15,898,932		241,465
	निविदा दस्तावेज की बिक्री		2,190,585		5,531,250
	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		3,968		2,566
	विविध आय		1,522,703		1,813,973
	कुल		**990,955,321**		**1,080,887,135**
18.	**कर्मचारी हित–लाभ व्यय**				
	वेतन, मजदूरी, प्रोत्साहन/पीआरपी तथा भत्ते		284,652,901		203,810,074
	भविष्य निधि तथा पेंशन फंड में अंशदान		41,488,521		79,635,514
	उपदान (ग्रेच्युटी) में अंशदान		28,802,589		5,011,242
	समूह बीमा (ग्रुप इंश्योरेंस) अंशदान		107,301		60,313
	स्टाफ के आवास के लिए लीज रेंट (वसूलियों का निवल)		18,756,061		20,443,905
	स्टाफ कल्याण (चिकित्सा एवं छुट्टी यात्रा सहायता सहित)		10,694,355		10,190,346
	अंशदान एवं सदस्यता शुल्क		115,984		39,432
	मेडिकल फंड ट्रस्ट में अंशदान		3,045,001		2,909,827
	कल्याण फंड ट्रस्ट में अंशदान		1,840,008		1,769,654
	कुल		**389,502,721**		**323,870,307**
19	**प्रशासनिक एवं अन्य व्यय**				
	किराया		4,015,147		2,054,625
	यात्रा एवं वाहनः (वसूली का निवल 24000/–रूपये)				
	निदेशक	855,526		1,100,590	
	अन्य	15,203,863	16,059,389	11,717,396	12,817,986
	बागवानी व्यय		20,880		
	बीमा प्रीमियम		111,880		110,051
	विद्युत एवं इधन		4,102,844		4,140,668
	जल प्रभार		208,727		181,614
	मुद्रण (प्रिटिंग) एवं लेखन सामग्री		4,337,590		5,099,792
	डाक एवं संचार व्यय		1,419,823		2,360,871
	वाहन रखरखाव व्यय		86,053		109,376
	वाहन/टैक्सी किराया प्रभार		5,915,277		4,881,512
	विज्ञापन एवं प्रचार		1,666,318		1,678,134
	विधि एवं व्यवसायिक प्रभार		14,781,023		10,710,106
	मरम्मत एवं रखरखाव				
	- भवन	2,434,663		6,008,301	
	- अन्य	1,929,193	4,363,856	320,997	6,329,298
	लेखा–परीक्षा शुल्क – टिप्पणी संख्या 20 (XI) देखें		1,250,000		1,485,000
	कारोबारी उन्नति		5,066,478		7,086,742
	निदेशकों का बैठक शुल्क		-		-
	कल एवं शुल्क		1,546,745		21,194
	कम्प्यूटर मरम्मत और रखरखाव		2,075,485		1,472,922
	निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए व्यय				
	सी.एस.आर. व्यय		12,065,000		10,798,000
	भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय		1,307,460		1,847,264
	चौकीदार व्यय		2,283,095		2,475,753
	बैक प्रभार		1,421,539		939,712
	विदेशी विनिमय में उतार–चढ़ाव		28,219		
	विविध व्यय		169,973		599,487
	संदिग्ध एवं अप्राप्य ऋणों हेतु प्रावधान		-		232,910
			84,302,800		**77,433,017**

20. वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

I. आकस्मिक देयताएं एच एस सी सी को प्रदान नहीं की गई हैं

(रूपये लाख में)

विवरण	वि.वर्ष 2017–18	जोड़ी गई वस्तु	हटाई गई वस्तु	वि.वर्ष 2017–18
ई.एस.आई. ESI - निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर से दिनांक 01.01.1997 से 31.07.2004 की अवधि के लिये ई.एस.आई. अधिनियम के तहत क्लेम अथवा ऋण की भरपाई के लिये अभी तक कोई पावती प्राप्त नहीं हुई है।	1.83	शून्य	शून्य	1.83
बैंक गारंटी Bank Guarantee - कम्पनी की ओर से निर्माण परियोजनाओं के लिये बैंक द्वारा 31.03.2018 जो जारी किये गये बकाया प्रदर्शन बैंक गारंटी	635.98	586.00	145.24	1076.74
सेवा कर विभाग की ओर से उठाई गई मांगे				
क) सेवा कर अधिनियम, 1994 के वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 के नियम 6(1) और 6(2) की धारा 68 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जनवरी 2004 की अवधि के लिये धारा 73 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त की मांग और अधिनियम की धारा 76 के तहत दंड। दिनांक 29.12.2017 को कस्टम, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, आर के पुरम, दिल्ली के पास अपील है। राशि 19,840/– रुपये पहले से जमा किये गये हैं। पैनल्टी 2.64 लाख रुपये।	2.64	शून्य	शून्य	2.64
ख) अक्टूबर 2009 से सितंबर 2010 की अवधि के दौरान सेनवैट क्रेडिट की अस्वीकृति। दिनांक 28.11.2017 को केंद्रीय कर (अपील) के आयुक्त के समक्ष अपील वापस की गई है। राशि 0.40 लाख रुपये पहले से जमा किये गये हैं, पैनल्टी 5.29 लाख रुपये	5.29	शून्य	शून्य	5.29
ग) अप्रैल, 2010 से मार्च, 2012 की अवधि के दौरान सेनवैट क्रेडिट की अस्वीकृति। 28.02.2018 को कस्टम, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष अपील लंबित है। राशि 3.18 लाख रुपये पहले से जमा किये गये है। पैनल्टी 10.05 लाख रुपये।	10.05	शून्य	शून्य	10.05
भविष्य निधि (Provident Fund): क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) द्वारा उठाई गई मांग वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान कंपनी द्वारा लगे ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध कर्मचारियों के संबंध में पी.एफ. न्यायालय में हमारी अपील लंबित है। राशि 5.15 लाख रुपये पहले से ही जमा किये गये हैं।	6.86	शून्य	शून्य	6.86
आयकर विभाग की ओर से उठाये गई मांग :–				
क) आकलन वर्ष 2014–15 के लिए आयकर की मांग– सरकार के कोष पर टीडीएस की अस्वीकृति के संदर्भ में दिनांक 20.09.2018 को दायर अपील आईटीएटी के समक्ष लंबित है।	232.60	शून्य	190.60	42.00
कुल (क)	**895.25**	**586.00**	**335.84**	**1145.41**

II. मंत्रालयों / ग्राहकों के लिए प्रत्याशित देयताएं प्रदान नहीं की गई

(क) जहां विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ माल और कार्य अनुबंधों की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों द्वारा अदालत / मध्यस्थता के तहत 7296.03 लाख रुपये (गत वर्ष के 5663.34 लाख रुपये) लगभग का दावा किया है, जिसमें एच एस सी सी सह–प्रतिवादी है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा इन मामलों में कंपनी पर कोई देनदारी की उम्मीद नहीं है।

(ख) कुछ खामियों के कारण एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई), कसौली) में परामर्श शुल्क के संदर्भ में, इस परियोजना में कुछ छोटी–मोटी त्रुटियां होने के कारण, इन्हें ठीक करने एवं इनमें बदलाव के लिए विगत (अक्टूबर 2006 में) कंपनी 3 करोड़ रुपये की राशि के लिए सहमत है तथा इस राशि को 2/3 तक लिया जायेगा। किन्तु इस निर्णय को निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी नहीं दी गई। अब, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि कंपनी ग्राहक के साथ संयुक्त रूप से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस परियोजना में आई उद्घाटित कमियों को दूर करे। इस असाधारण जिम्मेदारी के कारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH&FW), भारत सरकार ने एक एजेंसी को यह कार्य सौंपा हैं जो कंपनी द्वारा 2004 से भवन निर्माण में उपलब्ध करवाई जा रही परामर्श सेवाओं में आई बढ़ोतरी को मूल्यांकित करेगी जैसे; जब केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई), को बिल्डिंग सौंपी जायेगी, यदि मांग नहीं की जायेगी जब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान एवं वहन कंपनी करेगी। अभी तक देयता राशि को विनिश्चित नहीं किया गया है। इसके अनुसार, यह लाभ एवं हानि लेखे उसी वर्ष दर्ज की जाती है जब यह देयता निर्धारित की जाती है।

(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 09/05/2013 पत्र संदर्भ संख्या टी–14020/27/2009–वीबीडी, के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संख्या एस.एल.पी संख्या 12397/2013 के संदर्भ में उठाये गये मामले के एवज में दिये गये आदेश की अनुपालना में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिये गये न्याय तथा दिनांक 21/12/2012 को जारी आदेश संख्या एफ.ए.ओ संख्या 623/2012 के संदर्भ में कोर्ट ने कहा है तथा निर्णय लिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के स्तर पर मैसर्स एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को मैसर्स आई.एस.एस.ए. इंडस्ट्रीज के बेडनेटों (Bednets) के मामले में विधान राशि (Decreetal Amount) भुगतान राशि जमा करने होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन करने के लिये, दिनांक 15/05/2013 को एचएससीसी ने 1700 लाख रुपये जमा कर दिये हैं तथा शेष धनराशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जमा की है जो एचएससीसी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है बाकी अभी उपलब्ध नहीं है। जिसे दिनांक 10/5/2013 को आयोजित 128वीं बोर्ड की बैठक (ठवंतक डममजपदह) तथा और शेयरधारकों (Shareholders) की दिनांक 13/05/2013 को आयोजित द्वितीय असाधारण आम–सभा बैठक (2nd Extra Ordinary General Meeting) में अनुमोदित कर दिया गया है। यह राशि ग्राहक – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH&FW) की ओर से जमा, राष्ट्रीय मलेरिया रोधक कार्यक्रम–एन.ए.एम.पी. से प्राप्त टिप्पणी संख्या 15 तथा 4.77 लाख रुपये बकाया राशि हेतु अल्पअवधि ऋण एवं अग्रिमों की टिप्पणियों के तहत एन.ए.एम.पी. फंड के वित्तीय विवरणों में शामिल है। जैसा कि असाधारण आम–सभा बैठक (Extra Ordinary General Meeting) में निर्णय लिया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले से जुड़े व्यक्तियों/खामियों के लिए जिम्मेदार संगठन की जांच तथा खामियों का पता लगाने के लिये विवाचन/न्यायालयों के आदेशों का दायित्व निभाने तथा मामले से जुड़ी खामियों/भूल/चूक की जांच स्थापित करने के लिए निवेदन किया गया है। विशेष रूप से इन तथ्यों को देखते हुए पुरस्कृत कार्यों में इन भूल–चूकों के कारणों के लिए संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है तथा इसके विवाचन में एचएससीसी विवाचनार्थ उत्तरदायी नहीं है। देयताओं के संबंध में, यदि कोई हो तो एचएससीसी से संबंधित तत्वों का पता लगाकर उन्हे उसी वर्ष निपटा लिया जाता है। एचएससीसी इस संबंध में किसी भी दायित्व को छोड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

III. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) के तहत आंकलन अधिकारी द्वारा की गई आयकर मांग के लिए कोई भी प्रावधान 42,87,870/– रुपये के निर्धारण के लिए वर्ष 2013–14 के लिये नहीं दिये गये हैं, विभिन्न पीएसयू बैंकों और ग्राहकों द्वारा काटे गए टीडीएस के खातों में बेमेल होने के कारण एच.एस.सी.सी. के 26 एएस में प्रदर्शित नहीं हैं, जो 6 महीने से अधिक के लिए बकाया है।

IV. विभिन्न प्रमुख खातों के रिकेनसिलेशन की प्रक्रिया में, सेक्टर–1, नोएडा के भारतीय ओवरसीज बैंक (आईओबी) में कंपनी के खाते में कुछ अज्ञात प्रविष्टियाँ देखी गईं। यह पाया गया कि कंपनी के कर्मचारी द्वारा बैंक खाते में हस्तांतरण (ट्रांसफरिंग)/पैसा निकालने (विदड्राइंग) में धोखाधड़ी की गई है। अज्ञात पार्टियों द्वारा वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान, 2,41,52,087.00 (दो करोड़ इक्तालिस लाख बावन हजार सत्तासी रुपये केवल) तथा नवंबर 2015 में 59,55,407.00 (उनसठ लाख पचपन हजार चार सौ सात रुपये) की राशि का लेन–देन किया गया था। इस संबंध में, नोएडा पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी चल रही है और श्री अमित सरोया को दोषी पाया गया है और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार दिनांक 21.11.2017 को उसे बर्खास्त कर दिया गया है और बर्खास्तगी दिनांक 23.02.2017 से प्रभावी है तथा चार अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

लेनदेन वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में सामने आया था। नौएडा पुलिस के साथ एफ आई आर दर्ज की गई है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है।

V. कंपनी आकस्मिक रूप से निलंबित किए गए कर्मचारियों के संबंध में उत्तरदायी है और देयताओं के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जो अनुशासनात्मक जांच के निर्णय के बाद उत्पन्न हो सकती है क्योंकि राशि का पता नहीं लगाया गया है।

VI. ग्राहकों से प्राप्त फंड को समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार अलग–अलग बैंक खातों (कॉर्पस अकाउंट्स) में रखा गया है। इस तरह के समझौतों के संदर्भ में, विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 2,16,585.00 लाख रुपये (गत वर्ष 1,37,989.78 लाख रुपये) प्राप्त हुए थे।

VII. दिनांक 31.03.18 तक मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से तथा उनके लिये, विदेशी पत्रों की 367.16 लाख रुपये (गत वर्ष 3265.13 लाख रुपये) की बकाया राशि आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में खोली गयी है। हालांकि, प्रबंधन इन मामलों में कंपनी पर किसी भी दायित्व की उम्मीद नहीं करता है।

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	मुद्रा में एलसी	विदेशी मुद्रा में राशि	भारतीय रुपये में समतुल्य राशि
1.	यूएस डॉलर	381598.17	24819145
2.	यूरो	52599	4240531
3.	सीएचएफ	112250	7656573
	कुल	546447.17	36716249

VIII. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत, दिनांक 31.03.2018 तक (गत वर्ष शून्य रुपये) ग्राहक की ओर से उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचान के रूप में, न तो मूलधन और ना ही ब्याज सामने आया है।

IX. कंपनी ने विविध देनदारों को पुष्टिकरण पत्र (Confirmation Letter) भेजे हैं किन्तु आज तक केवल कुछ के ही उत्तर प्राप्त हुए हैं। मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अधिकतर पार्टियों के खातों में जमा राशिओं और विभिन्न शेष राशियों में एच.एस.सी.सी. द्वारा ट्रेड–पेयेबल, रिटेंशन मनी अकाउंट में राशि (एस.एल.–54), विविध लेनदार (एसएल–51), ग्राहकों से अग्रिम शुल्क (एस.एल.–52), ग्राहक जमा निधि (एस.एल.–53), अन्य वसूलियां (एस.एल.–47), सामान्य अग्रिम (एसएल–46), लीज डिपोजिट, विविध देनदार, ई.एम.डी. तथा सिक्योरिटी डिपोजिट की पुष्टि शेष राशि निपटारा होने पर कर दिया जाता है।

X. ग्राहकों के कार्यों में ट्रेड पेयेबल विविध लेनदारों के क्लैम न किये गये खातों का निपटारा उन्हें स्थानांतरित करके संबंधित ग्राहक खातों को उसी वर्ष उनसे निपटाये खातों के अनुसार समाशोधित कर लिया जाएगा।

XI. अ–समायोजित राशि जो ग्राहकों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारों, सरकारी अधीनस्थ निकायों, लोक उद्यम विभागों इत्यादि) के खाते में पिछले 4 वर्षों से पड़े 7181.42 लाख रुपये (गत वर्ष 2345.79 लाख रुपये) जिसमें कायिक खाते (कॉर्पस अकाउंट) में पड़े 5946.62 लाख रुपये (गत वर्ष 681.54 लाख रुपये) सहित को उनके साथ उसी वर्ष चुकता किया जाता है।

XII. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के कल्याणार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर क्रमशः कर्मचारी चिकित्सा ट्रस्ट और कल्याण फंड ट्रस्ट में अंशदान के लिए 30.45 लाख रुपये और 18.40 लाख रुपये (गत वर्ष 29.10 लाख रुपये और 17.70 लाख रुपये) का प्रावधान किया है।

XIII. नोएडा के सेक्टर –1 में दो प्लॉट नंबर ई –13 और ई–14, 2518.13 वर्ग मीटर के माप के एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को आवंटित किये गये थे और 22 अप्रैल, 2013 को नवीन ओखला ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के साथ पूरक लीज डीड को निष्पादित किया गया था। पट्टेदार अर्थात एचएससीसी. (इंडिया) लिमिटेड के खंड संख्या 4 के अनुसार, चार वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर पट्टे की भूमि पर निर्माण का कार्य पूरा करना होगा जब तक कि पट्टेदार समय के विस्तार की अनुमति नहीं देता। पट्टे का समझौता 21–04–2017 को समाप्त हो गया था। कंपनी एक्सटेंशन (अवधि बढ़ाने) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

XIV. कंपनी की समान नीति के अनुसार एल.टी.सी. का लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्होंने गृह निवास हेतु छुट्टी यात्रा के लिए दावा किया।

XV. कंपनी की लेखांकन नीति संख्या पअ;कद्ध;पपपद्ध के आधार पर 31.03.2018 को बिना माप के बिल के संबंध में लिए गए वीडब्ल्यूडी हेतु जीएसटी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह, जीएसटी इनपुट क्रेडिट का कोई क्रेडिट संबंधित व्यय के संबंध में लेखाबद्ध नहीं किया गया है। इस प्रकार जीएसटी (इनपुट) और आउटपुट लेखाबद्ध किया जाएगा तथा जिसमें वर्ष में आरए बिल ठेकेदार द्वारा उठाए जाते हैं और उपार्जित आधार पर कंपनी द्वारा उठाए गए कंसल्टेंसी बिलों के संबंध में, किसी भी जीएसटी को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

XVI. कंपनी ने 33,24,100/– रुपये धोखाधड़ी के मामलों से संबंधित राशि की वसूली के लिए जिला न्यायालय, गौतमबुद्धनगर में वसूली का मुकदमा दायर करने के लिए अदालती शुल्क भुगतान किया। उसी को चालू वर्ष के व्यय के रूप में माना गया है और लाभ और हानि खाते पर लगाया गया है। जिस वर्ष यह राशि वसूल की जाएगी उस वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा में जमा की जाएगी।

XVII. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएमएम) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कंपनी रणनीतिक विनिवेश–विलय की प्रक्रिया में है जो समान रूप से सी.पी.एस.ई. के साथ है। विलय उन्नत स्तर पर है।

XVIII. लेखा–परीक्षकों का भुगतान (Payment to Auditors):

XIX. बोर्ड निदेशकों के मतानुसार, 31.03.2018 को लागू चालू संपत्तियों और ऋणों तथा अग्रिमों की राशि साधारण मानकानुसार कारोबार में कम से कम उक्त राशि दर्शाई गई तारीख के बराबर ही है जोकि तुलन–पत्र के शुरू में वर्णित की गई है।

XX. वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के साइट कार्यालयों को छोड़कर स्थायी सम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक स्वायत्त फर्म द्वारा किया जाता है।

XXI. लेखा मानक –15 के तहत प्रकटण 'कर्मचारियों के हित–लाभ' ("Employee Benefits")

'कर्मचारियों के हित–लाभ' से संबंधित प्रणाली का प्रकटन निम्नलिखित है:–

(क) निर्धारित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan)

i. भविष्य निधि (Provident Fund)

कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिए अलग ट्रस्ट अर्थात 'एच.एस.सी.सी. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट' के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमोदित प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। वर्ष के लिए कोष में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे लाभ एवं हानि खाते में समाशोधित कर लिया जाता है। प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों के योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। ट्रस्ट की कमी, यदि कोई हो, तो इस तरह की न्यूनतम ब्याज दर के भुगतान के कारण कंपनी द्वारा वहन किया जाता है और इसे लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने नियोक्ता की ओर से अंशदान के रूप में भविष्य निधि में 201.63 लाख रुपये (गत वर्ष का 133.65 लाख रुपये) का योगदान किया है। कंपनी ने न्यूनतम ब्याज दर के भुगतान के कारण 29.93 लाख रुपये (गत वर्ष 5.81 लाख रुपये) की कमी का योगदान दिया है तथा जैसा कि कंपनी की लागत के रूप में लाभ एवं हानि खाते में यह मान्यता प्राप्त है।

ii. चिकित्सा सुविधा (Medical Facility)

वर्ष के दौरान कंपनी की ओर से ट्रस्ट के तहत लाभ एवं हानि लेखा में 30.45 लाख रुपये (गत वर्ष 29.09 लाख रुपये) का योगदान दिया गया है जिसमें मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बीमारियों का व्यय शामिल है।

(ख) दीर्घ–कालीन योजनाएं (Long Term Plan)

i. उपदान (Gratuity)

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा उन्हें वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित अनुसार मान्यता दी जाती है :–

क्रम सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1.	**सदस्यता विवरण**		
	सदस्यों की संख्या	186	172
	औसत आयु (वर्ष)	39.70	40.30
	औसत मासिक आय (रुपये)	63437.39	53815.35
	औसत पूर्व सेवा (रुपये)	9.78	9.85
2.	**बीमांकक धारणाएं**		
	मृत्यु संख्या दर	एल.आई.सी (2006–08) अंतिम	एल.आई.सी (2006–08) अंतिम
	वापसी दर	1% से 3% आयु पर निर्भर	1% से 3% आयु पर निर्भर वार्षिक
	छूट दर	7.5% वार्षिक	8% वार्षिक
	आय वृद्धि	7% वार्षिक	7% वार्षिक
3.	**परिणामों का मूल्यांकन**		
	गत–सेवा हित–लाभ का पी.वी.	728.51	438.37
	वर्तमान सेवा लागत	49.39	25.68
	कुल सेवा उपदान	1728.48	1214.75
	प्रोद्भूत उपदान	803.54	569.62
	एल.सी.एस.ए.	924.93	645.13
	फंड राशि	489.88	415.95

कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नीति के अनुसार उपदान के लिये योगदान 2.88 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

ii. छुट्टी प्रतिपूर्ति (Leave Encashment)

अनुपस्थिति (छुट्टी प्रतिपूर्ति एवं अस्वस्थता अवकाश देयता) हेतु मुआवजा घटकों का सारांश निम्नलिखित है :–

I. वर्तमान मूल्य पर आभार में परिवर्तन

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	कार्यकाल की शुरूवात पर आभार का वर्तमान मूल्य	776.97	626.46
(ख)	लाभांश लागत	58.58	50.11
(ग)	वर्तमान सेवा लागत	91.78	84.74
(घ)	किया गया हित–लाभ भुगतान	(68.79)	(29.99)
(ड)	वास्तविक (प्राप्त) / आभार पर हानि	78.75	45.63
(न)	कार्यकाल के अन्त में आभार का वर्तमान मूल्य	937.30	776.95

II. लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किये गये खर्चे

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	वर्तमान सेवा मूल्य	91.78	84.74
(ख)	लाभांश लागत	58.58	50.11
(ग)	वास्तविक (प्राप्त) निवल / कार्यकाल में दर्ज हानि	78.75	45.63
(घ)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किये गये खर्चे	229.11	180.48

III. देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	अथ निवल देयता	776.95	626.46
(ख)	उपरोक्त खर्च	229.11	180.48
(ग)	भुगतान किये गये हित–लाभ	(68.79)	(29.99)
(घ)	शेष निवल देयता	937.27	776.95

IV. बीमांकिक मूल्यांकन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएँ निम्नलिखित हैं:

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	छूट दी गई दर (%)	7.73	7.54
(ख)	भविष्य में वेतन–वृद्धि (%)	5.50	5.50
(ग)	सेवा–निवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60

अतिरिक्त जानकारी :–.

XXII. प्रयुक्त विदेशी मुद्रा के बारे में जानकारी :

विवरण	2017–18	2016–17
विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय : - यात्रा	11.53	6.03
- सी.आई.एफ. आधार पर आयात लागतः पूंजीगत माल (ग्राहकों की ओर से)	7585.76	2535.80

XXIII. प्रतिवेदन अंश (Segment Reporting)

(क) कारोबार अंश (Business Segment)

लेखा मानक टिप्पणी कारोबार अंश (Business Segments) संख्या ए.एस.–17 के मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियों में उसका कारोबार निर्माण गतिविधियां, परामर्श, उपकरणों की आपूर्ति, चिकित्सा आदि से संबंधित है। अतः इसके सभी प्रचालक आन्तरिक संबंधित हैं जो कारोबार अंश (Business Segments) संख्या ए.एस.–17 के लेखा मानक के अंतर्गत एकल खंड के तहत आते हैं।

(ख) भौगोलिक खंड (Geographical segments)

जैसा कि विदित है कंपनी की गतिविधियां मुख्य रूप से देश के भीतर ही चल रही हैं तथा उसके उत्पाद/सेवाओं की प्रकृति सौदों को पर विचार करके/निर्भर करता है, अतः उसके परिचालन जोखिम और रिटर्न सभी वही है और यही इसका भौगोलिक क्षेत्र भी है।

XXIV. परिचालन लाभ (Operating Profit)

परिचालन लाभ 48,09,46,920/– रुपये की गणना की गई है इस पर निम्न रूप से काम कर रही कंपनी की आय शून्य से परिचालन व्यय पर विचार किया गया।

	राशि (रुपये)
असाधारण और असाधारण मद पूर्व लाभ	58,36,25,668/-
घटाएं :– अन्य आय	10,26,78,748/-
परिचालन लाभ	48,09,46,920/-

XXV. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आयकर मांग का कोई प्रावधान उठाया गया है तथा छह महीने की अवधि के मध्य निर्धारण वर्ष 2013–14 में 4287870/– रुपये की मांग के लिए कोई देयता बकाया नहीं है।

XXVI. लेखा मानक – 18 के तहत प्रकटन 'पार्टी से संबंधित प्रकटन' ("Related Party Disclosures")

संबंधित पार्टी से लेन–देन से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैः–

(क) सहायक इकाईयां - शून्य
(ख) साथी सहायक इकाईयां - शून्य
(ग) संबंधित पार्टियां - शून्य
(घ) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

	नाम	संबंध का प्रकार
(i)	श्री ज्ञानेश पाण्डेय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
(ii)	श्री एस. के. जैन निर्देशक (इंजीनियरिंग)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(ङ) **मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक**

पारिश्रमिक खर्चों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (इंजीनियरिंग) को वर्ष के दौरान 122.80 लाख रुपये (गत वर्ष के 88.26 लाख रुपये) दिये गये प्रतिपूर्ति खर्चों का विवरण नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:–

(रूपये लाख में)

	2017-18 (रुपये लाख में)			2016-17 (रुपये लाख में)		
विवरण (देय / देने योग्य)	**सीएमडी**	**निदेशक (इंजीनियरिंग)**	**कुल**	**सीएमडी**	**निदेशक (इंजीनियरिंग)**	**कुल**
वेतन एवं भत्ते	51.38	49.40	100.78	33.84	32.84	66.68
भविष्य निधि में अंशदान	2.90	2.93	5.83	2.31	2.34	4.65
मकान का किराया (निवल)	4.91	4.35	9.26	5.41	4.80	10.21
चिकित्सा	0.02	0.88	0.90	0.08	0.64	0.72
अधिवर्षिता (सुपरेन्यूएशन) पेंशन फंड में अंशदान	2.90	2.93	5.83	2.90	2.90	5.80
कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.20
कुल	**62.21**	**60.59**	**122.8**	**44.64**	**43.62**	**88.26**

इसके अलावा, उक्त पारिश्रमिक में उपदान योजना तथा सामूहिक बीमा योजनाओं एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया है।

XXVII. लेखांकन मानक के अनुसार 'अर्जित प्रति शेयर' ("Earning per Share") से संबंधित लेखा मानक–20

	प्रति श्ओयर उपार्जन का परिकलन (Calculation of E.P.S.)	**2017-18**	**2016-17**
क.	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु आरोप्य निवल लाभ	37,46,71,087	37,60,95,931
ख.	वर्ष के दौरान शेष बचे इक्विटी शेयरों की संख्या	180014	240018
ग.	प्रति शेयर मूल उपार्जन	2,081.34	1566.95
घ.	प्रति शेयर कम की गई आमदनी	2081.34	1566.95
ङ.	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	100	100

XXVIII. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की ओर से भेजे गये दिनांक 05/01/2017 के कार्यालय ज्ञापन मिसिल संख्या 3(3)–बी(एस)/2015 के तहत, कंपनी के निदेशक मंडल ने अपने इक्विटी शेयर–होल्डर्स को वित्तीय वर्ष 2017–18 में 30 प्रतिशत कर पश्चात लाभ (पीएटी) (गत वर्ष कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत) के वार्षिक लाभांश की घोषणा की है। इस वर्ष 11,24,01,326/– रुपये (गत वर्ष 11,28,28,780/– रुपये) प्रस्तावित लाभांश की राशि की घोषणा की गई है।

XXIX. क्षति के कारण हुये घाटे का किसी भी लेखा बहियों का कोई भी दायित्व नहीं है, यदि कोई हो तो, देयता परियोजनाओं के संबंध में निपटाने योग्य राशि और ग्राहक के साथ खातों की सुलह पर उत्पन्न होने वाली सम्भावनाएं जो पूरी हो चुकी हैं या दिनांक 31/03/2018 से वे परियोजनाएं जिन पर कार्य प्रगति पर हैं उन्हें निपटाने के लिये वर्ष में कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

XXX. दिनांक 31 मार्च 2018 से कंपनी द्वारा जमा ना किये गये आयकर, सेवा कर, जीएसटी के संबंध में विवादित देय राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

कानून का नाम	देयों की प्रकृति	राशि शामिल (रु.)	जिस अवधि के लिए राशि संबंधित है	किस प्राधिकरण के तहत विवाद लंबित है	किस के तहत राशि का भुगतान किया गया
आयकर	आयकर	232.60 लाख	की निर्धारित वर्ष 2014-15	आईटीएटी	-
सेवा कर	सेवा कर	529473/- तथा ब्याज और इसके बराबर दण्ड की राशि	अक्टूबर 2009 - सितम्बर 2010	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)	39720/-
सेवा कर	सेवा कर	1005498/- तथा ब्याज और इसके बराबर दण्ड की राशि	अप्रैल 2010 - मार्च 2012	सीईएसटीएटी, इलाहाबाद	318466/-
सेवा कर 19,840/-	सेवा कर	2,64,437/- तथा ब्याज और इसके बराबर दण्ड की राशि	जनवरी 2004	सीईएसटीएटी दिल्ली	19,840/-

सामान्य टिप्पणियां :

i) पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित और दोबारा जमा किया गया है, ताकि जहां भी आवश्यक हो, उनकी वर्तमान वर्ष के साथ तुलना की जा सके।

ii) सभी आंकड़े निकटतम रुपये में समाप्त कर दिए गए हैं।

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलनपत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है। कृते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

हo/–
भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

हo/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03555957

हo/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

हo/–
(प्रीति पंत)
निदेशक
संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
डीआईएनः 08134305

हo/–
(अजय सूरी)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नौएडा
दिनांक : 27.09.2018

सतर्कता कार्य–कलाप

कम्पनी में अलग से कोई सतर्कता एकक नहीं है। दिनांक 14.11.2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिये महाप्रबंधक (विद्युत) श्री राजीव कुमार अग्रवाल, कम्पनी में अंश–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग मैनेमैंट के महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। वार्षिक रिपोर्ट तिमाही प्रगति रिपोर्ट, निजी विदेशी दौरे, मासिक रिपोर्ट, तथा सी.टी.ई. के जवाब सांविधिक एजेंसियों को समयानुसार भिजवा दी जाती है। सतर्कता आयोग से प्राप्त दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा संबंधित निवारक तत्वों को अपनाया जाता है। एवं मांगी गये तत्वों को समय पर उचित माध्यम से दिया जाता है। वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अग्रेषित सुधार एवं उन्नति हेतु उनकी समीक्षा जारी है तथा कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों में उच्चतम नैतिकता बनाये रखने के लिये कम्पनी में 29 अक्टूबर, 2017 से 3 नवम्बर, 2017 के दौरान **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** मनाया गया है। यहां सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह–2018

एच एस सी सी में 72 वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया।

वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग प्रमुख

श्री एस. ए. उस्मानी
मुख्य महाप्रबंधक

श्री वी. वी. गोविन्दा राव
मुख्य महाप्रबंधक (पी.जी.–I)

श्री एस. सी. गर्ग
मुख्य महाप्रबंधक (पी.जी.–II)

श्री सौरभ श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

श्री करम वीर खन्ना
सूचना तकनीकी विभाग

श्री प्रमोद कुमार
प्रापण

श्री पी. के. भाटिया
ऋषिकेश

श्री राजीव
पी. एच. ई.

श्री एस. सामन्ता
तेजपुर

श्रीमती मोनिशा तनखा
सिविल

श्री आर. के. अग्रवाल
विद्युत

श्री देबाशिश बंद्योपाध्याय
प्रापण एवं विशेष परियोजनाएं

श्री शिवन्ना
शिलाँग

एच एस सी सी के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय :

205 (द्वितीय तल), ईस्ट एण्ड प्लाजा,
प्लॉट न. 4, डी. डी. ए. – एल. एस. सी., सेंटर – II
वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली – 110096

कॉरपोरेट कार्यालय :

ई – 6 (ए), सैक्टर – 1,
नौएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश)

परियोजना एवं साईट कार्यालय :

असम

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई,
मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
प्रथम तल, एक्स–पुलिस लाईन, नजदीक काली मंदिर,
पोस्ट– तेजपुर, जिला–सोनितपुर,
पिन – 784001 (असम)

छत्तीसगढ़

मकान नम्बर : बी–19/7, नजदीक पानी की टंकी, क्षेत्रीय
न्यू राजेन्द्र नगर,
रायपुर – 492001 (छत्तीसगढ़)

प्रमुख साइट कार्यालय (MAJOR SITE OFFICES)

01. एम्स, झझर, हरियाणा हेतु राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
02. कोचिन केंसर एवं अनुसंधान केन्द्र – एर्रनाकुलम, केरल
03. सिलीगुड़ी में ई.एस.आई.सी. हेतु 100 बिस्तरों वाला अस्पताल
04. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबंधित अस्पतालों का पुनर्विकास, नई दिल्ली
05. नर्सिंग कालेज का उन्नयन – राजकुमारी अमृत कौर, नई दिल्ली
06. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में नया पेड–वार्ड
07. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में होस्टल ब्लॉक
08. एम्स (AIIMS), रायबरेली में हाऊसिंग ब्लॉक का निर्माण
09. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में सर्जिकल ब्लॉक
10. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में मातृ एवं शिशु ब्लॉक
11. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में नया ओ.पी.डी. ब्लॉक
12. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) का सेटेलाईट सेंटर, संगरूर (ओ.पी.डी. तथा मुख्य कार्य)
13. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (N R H M) – छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला तथा हिमाचल प्रदेश
14. न्यूरो साईंसेज, निम्हास (NIMHANS), बेंगलूरू में अति–विशिष्ठ ब्लॉक का निर्माण
15. राष्ट्रीय पशु बायो–टैक्नोलाजी संस्थान, हैदराबाद
16. पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान, पूणे हेतु वैक्सीन प्रसंस्करण सुविधाएं
17. आई.आई.टी. खड़गपुर हेतु 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (फेस I – 400 बिस्तर)
18. नये एम्स (AIIMS) के लिए आवासीय एवं होस्टल कॉम्पलैक्स, भुवनेश्वर
19. पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, कोलकाता चिकित्सा महाविद्यालय (K M C), कोलकत्ता हेतु अति– विशिष्ट ब्लॉक, ओ.पी.डी. एवं शैक्षिक ब्लॉक का निर्माण
20. नाहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल का उन्नयन
21. नाहन, हमीरपुर तथा चम्बा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज
22. क्षेत्रीय पेरामेडिकल एवं नर्सिंग साईसेंज संस्थान (RIPANS), आईजोल
23. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (R I M S), इम्फाल में यू.जी. सीटों को 100 से 150 में बढ़ाने का कार्यान्वयन

पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत उन्नयन परियोजनाएं, फेस – III

– रीवा	– बहरामपुर	– उदयपुर	– ग्वालियर	– पटियाला
– बीकानेर	– जबलपुर	– बुरला	– औरंगाबाद	– विजयवाड़ा
– डिब्रुगढ़	– झांसी	– कोटा	– गुवाहाटी	– शिमला
– इलाहाबाद	– लातूर	– पणजी (गोवा)	– दार्जिलिंग	

24. नागपुर, कल्याणी तथा गुँटूर में नया एम्स (AIIMS)
25. मिजोरम चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, फालकॉन, मिजोरम
26. पाली, राजस्थान में 100 इन्टेक मेडिकल कॉलेज
27. डा. आर. पी. मेडिकल कॉलेज, कांगडा हेतु हाऊसिंग एवं होस्टल का निर्माण

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
122–124, मॉडल बस्ती,
नई दिल्ली – 110005

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार,
4, शिवाजी मार्ग,
नई दिल्ली – 110015

सचिवालीय लेखा परीक्षक

मैसर्स प्रवीण रस्तोगी एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव
फ्लैट नम्बर 3, सूद बिल्डिंग
तेल मिल रोड,
राम नगर, पहाड़गंज,
नई दिल्ली – 110055

बैंकर्स

इंडियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूको बैंक
कॉरपोरेशन बैंक
एच डी एफ सी बैंक
ओरिएंटल बैंक
एक्सिस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

(एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक)
(भारत सरका का उद्यम)

कारपोरेट कार्यालयः
ई–6 (ए), सैक्टर–1, नौएडा – 201 301 (उ0प्र0)
फोन : 0120-2542436, 37, 38, 39, 40
फैक्स : 0120-2542447, 2533001
सी.आई.एन. संख्या : यू74140डीएल1983जीओआई015459
वेबसाइट : www.hsccltd.co.in

www.paromita.org